राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ६] द्वितीय विधान सभा के नवम् सत्र, १९६० का ९वां दिवस [संख्या ६

मंगलवार, ३० अगस्त, १९६०

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर १४ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[शिक्षा, राजस्व, सार्वजनिक निर्माण, समाज कल्याण, पुनर्वास, सामान्य प्रशासन, योजना तथा विकास एवं विद्युत-विभाग]

प्रश्न संख्या २०७

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २०८

श्री सूरजमल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री दयाकृष्ण विजय।

सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्टरी में स्थित हाई स्कूल में शिक्षकों की कमी को दूर करना

२०९. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्टरी में स्थित हाई स्कूल पर सरकार का किसी प्रकार का नियन्त्रण है? यदि हां, तो किस किस प्रकार का?

(ख) इस हाई स्कूल में कितने विद्यार्थी इस समय शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं?

(ग) क्या शिक्षा विभाग का विद्यार्थियों की संख्या अनुसार शिक्षकों की स्ट्रेंग्थ के सम्बन्ध में कोई नियम है? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(घ) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्टरी के हाई स्कूल में शिक्षकों की कमी है? यदि हां, तो क्या सरकार उसे पूरा करवाने का विचार रखती है?

Page No.2

उप मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्टरी में एक प्राइवेट उच्चतर माध्यमिक शाला चल रही है । उस पर सरकार का अन्य मान्यता प्राप्त स्कूलों पर जो नियन्त्रण होता है वैसा ही उस शाला पर है; जैसे शाला का निरीक्षण, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों का पालन कराना, इत्यादि २ ।

(ख) इस शाला में २१४ विद्यार्थी शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ।

(ग) एक उच्चतर माध्यमिक शाला के वास्ते जिसमें ६ से ११ कक्षाएं तक हों निम्न अध्यापक साधारणतया रखे जाते हैं:—

१. ६ वरिष्ठ अध्यापक ।

२. ३ ट्रेन्ड ग्रेज्युएट ।

३. २ इंटर ट्रेंड ।

४. २ ट्रेंड मैट्रिक ।

५. १ बी. टी. आई ।

६. १ क्राफ्ट टीचर ।

(घ) जी हां, सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्टरी की शाला में अध्यापकों की कमी थी और इस पाठशाला के निरीक्षण के समय जो फरवरी, १९६० में किया गया था, इस कमी को पूरा करने के वास्ते नोटिस दिया गया था । उस आदेश के अनुपालन में इस पाठशाला के प्रधानाध्यापक ने सूचित किया है कि १४ अध्यापकों की नियुक्ति की जा चुकी है जो छात्रों की संख्या को देखते हुए पर्याप्त प्रतीत होती है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि अभी वर्तमान में भी जो शिक्षक कार्य कर रहे हैं वे जिस योग्यता के होने चाहिए उस योग्यता के नहीं हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जब बोर्ड ने नोटिस दिया था उसके बाद जो नियुक्तियां की गई हैं वे इस योग्यता की ही होनी चाहिये ।

श्री दयाकृष्ण विजय : आपने संख्या पूरी कर दी हो चौदह, लेकिन जिस पद के लिए जिस प्रकार के अध्यापक होने चाहिये ट्रेंड, वे वहां इस समय भी नहीं हैं ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसकी जांच मैं करा लूंगा, अगर ऐसा नहीं है तो ।

प्रश्न संख्या २१०

श्री अध्यक्ष : श्री लादूराम सुलाणिया ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २११

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री लक्ष्मीचन्द ।

जालोर जिले की गलत तारीखों में रीज्यूम की गई जागीरों के रिफन्डेबल बिलों का भुगतान

२१२. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No.3

(श्री लक्ष्मीचन्द)

(क) जालोर जिले में ऐसी कितनी जागीरें सरकार द्वारा गलत तारीखों में रिज्युम करने के कारण आमदनी रिफन्ड करने के आदेश दिये गये थे और कब कब ?

(ख) क्या यह सत्य है कि उन जागीरों के रिफण्ड बिलों का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और सरकार का अब कब तक भुगतान कराने का विचार है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) सरकार द्वारा जागीरें रेवतड़ा, सुराचन्द, टापी डठुवा, बेड़िया गलत तरीकों में रिज्यूम हुई किन्तु अभी तक उनको रिफंड के आदेशता नहीं हुये हैं।

(ख) जी हां। रिफंड की कार्यवाही जारी है। शीघ्र ही भुगतान करने की व्यवस्था की जायगी।

श्री लक्ष्मीचन्द : यह जो गलत तरीके से रिज़म्पशन किया गया और उसकी रिकवरी कराई गई और उसके दर्मियान जितनी रकम वसूल हुई उसको वापिस करते समय क्या उसका सूद भी दिया जायेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : रिज़म्पशन के बाद किसको रकम वापिस करना, कितनी वापस करना और उसका क्या इंट्रेस्ट देना, यह तो सब जागीर रिज़म्प्शन रूल्स में दिया हुआ है, मुझे यहां बताने की आवश्यकता नहीं है।

श्री लक्ष्मीचन्द : कम्पेन्सेशन के सिवाय वसूल हुई रकम जो रिफन्ड की जायेगी उसका इन्ट्रेस्ट सरकार क्यों नहीं देना चाहती ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं कब कह रहा हूं कि सूद नहीं दिया जायेगा ? जो कुछ सूद वगैरह देना होगा वह जागीर रिज़म्प्शन एक्ट और उसके तहत बने रूल्स के अन्दर जो प्रोविज़न हैं उसके अनुसार दे दिया जायेगा। आप उन प्रोविज़न्स को देख सकते हैं; मुझे यहां बताने की आवश्यकता नहीं है।

श्री लक्ष्मीचन्द : अभी तक रिफण्ड बिल न बनने का क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो प्रोसीजर है उन सबको पूरा करना पड़ता है; कहां से वसूली हुई, कितनी वसूली हुई, कितनी रिकवरी हुई और कितनी रिफन्ड करनी है, किसको देनी है यह सब देखना पड़ता है, आप स्वयं भी कायदे के मुताबिक देख सकते हैं।

श्री लक्ष्मीचन्द : टापीडठुवा में किन किन जागीरों का पेमेंट हो गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे ख्याल से अभी तो पेमेंट करने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री लक्ष्मीचन्द : मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि एक जागीर का पेमेंट हो गया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मेरी जानकारी में नहीं है। आपने जो सूचना दी है उसके लिए धन्यवाद।

Page No.4

कोटा जिले के अधिक योग्यतावाले एस० डी० आईज० को योग्यतानुसार वेतन न मिलना

२१३. **श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा):** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) कोटा जिले में कितने एस. डी. आईज़. हैं तथा उनकी क्या योग्यताएं हैं ?

(ख) इस पद के लिए आवश्यक योग्यता क्या होनी चाहिये ?

(ग) क्या इस पद पर कम तथा अधिक योग्यतावाले व्यक्तियों को नियुक्त कर रखा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(घ) क्या यह सही है कि अधिक योग्यतावाले एस.डी.आईज़. अपनी योग्यतानुसार ग्रेड इसलिये नहीं पा रहे हैं क्योंकि वे कम वेतन वाले पद पर नियुक्त हैं ?

उप मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): (क) कोटा जिले में ११ एस. डी. आईज़. हैं । उनकी सूची मय योग्यता के संलग्न है ।

(ख) इस पद के लिए न्यूनतम योग्यता ट्रेंड इन्टर है ।

(ग) जी हां, इन पदों पर कुछ कम तथा अधिक योग्यता वाले व्यक्ति भी कार्य कर रहे हैं । कम योग्यता वाले व्यक्ति पुराने समय से, इन पदों पर अनुभव के आधार पर कार्य कर रहे हैं और इनमें से अधिकांश थोड़े समय में ही अवकाश प्राप्त करने वाले हैं, अतः इन्हें इन स्थानों से स्थानान्तरण करना उचित नहीं समझा गया ।

(घ) जी नहीं ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री दयाकृष्ण विजय : आपने प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर में कम योग्यतावालों का स्पष्टीकरण तो किया लेकिन जो अधिक योग्यता वाले व्यक्ति हैं उसका क्या कारण है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अधिकवालों का भी हमने जिक्र किया है, इसमें लिखा है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : अधिक योग्यता वाले क्यों रख रहे हैं, यह पूछ रहा हूं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आगे की ग्रेड में प्रमोशन तभी होता है जब कि उस ग्रेड के अन्दर वेकेंसी हो । मुमकिन है कि एक ग्रेड में बी. ए., बी. एड. हो लेकिन ट्रेंड ग्रेज्युएट अगर उस जगह है तो उस समय तक ठहरना पड़ेगा जब तक कि उस ग्रेड के अन्दर वेकेंसी न हो, जब तक कि सीनियोरिटी से वह उसमें नहीं आ जाता हो ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि इन लोगों की सूची के अन्दर कितने ही बी. ए. और बी. एड. और अधिक योग्यतावाले व्यक्ति हैं ? वे इंगलिश के अच्छे ज्ञाता हैं और इंगलिश में कर रहे हैं और इंगलिश की कई जगह वान्ट्स हैं, कई जगह खाली हैं, लेकिन इस तरह के व्यक्तियों

Page No.5

(श्री दयाकृष्ण विजय)

की ग्रेड नहीं बढ़ रही है । अगर उनका हाई स्कूल में ट्रान्सफर कर दिया जाता है तो अपने आप ग्रेड बढ़ जाती है, हाई स्कूल के टीचर की तरह ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी, ऐसा नहीं है । एस. टी. आई. ट्रेन्ड टीचर्स की अलग लिस्ट नहीं है । वे सब में शामिल रहते हैं । इन्टरचेन्जेबल पोस्ट हैं । उस पोस्ट पर कार्य करने से तरक्की का बन्धन नहीं आता है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : हाई स्कूल के ट्रेन्ड टीचर्स और बी. ए., बी. एड. की क्या ग्रेड हैं और एस. टी. आई. की क्या ग्रेड है और कहां तक जाते हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसका अलग से प्रश्न पूछें । हाई स्कूल की ६०), इन्टर की ७०) रु. अनट्रेन्ड बी.ए. की ६०) और ट्रेन्ड बी. ए. की ११०)रु. से है । मगर अलग से प्रश्न पूछें वेतन-श्रृंखला के बारे में ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या अधिक योग्यता वाले ग्रेड वही पा रहे हैं जो कम वेतन वाले पदों पर नियुक्त पाते हैं ? एस. टी. आई. की ग्रेड कम है और ट्रेन्ड की ज्यादा है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : एस. टी. आई. की अलग कोई वेतन श्रृंखला नहीं है । उनकी जैसी योग्यता होती है उसके अनुसार ही वेतन मिलता है । केवल स्पेशल पे एस. टी. आई. की पोस्ट के साथ है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह मानना पड़ेगा कि जितने भी एस. टी. आई. पास जैसी भी योग्यता का कार्य कर रहे हैं उनको उनकी योग्यता के अनुसार वेतन मिल रहा है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : योग्यता की बात नहीं है । एक बी. ए., एलएल. बी. जस्टिस भी हो सकता है हाई कोर्ट का, और एक एल. डी. सी. भी बी. ए., एल एल. बी. होता है । अगर वह चाहे कि वह भी बी. ए., एलएल. बी. है इसलिए उस पोस्ट पर चला जाय । तो ऐसी बात नहीं है । मैंने निवेदन किया है कि इसमें सीनियोरिटी का प्रश्न आता है और जितनी पोस्टें हैं उनमें वेकेन्सी हो तो प्रमोशन का कारण हो सकता है; नहीं तो नहीं हो सकता है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : आपके हाई स्कूल में जो शिक्षक हाई स्कूल ट्रेन्ड शिक्षक हैं उनकी जो ग्रेड है और जो बी. एससी., और बी. एड. हैं उनको भी वही ग्रेड मिलनी चाहिए जो कि आपके एस. टी. आई. की योग्यतावालों को मिल रही है ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जिस ग्रेड की एज्युकेशन विभाग की टीचिंग लाइन में काम करते हैं और जैसी भी ग्रेड है वह एस. टी. आई. के पद पर ट्रान्सफर करने पर दी जाती है; ज्यादा नहीं दिया जाता है । एस. टी. आई. की पोस्ट के साथ में सिर्फ स्पेशल पे २५) रु० माहवार है ।

जयपुर में स्थित श्री दाऊजी के मंदिर के हिसाब-किताब की जांच

२१४. **श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री लक्ष्मीचन्द)

(क) जयपुर में स्थित हवामहल के पास श्री दाऊजी के मंदिर के पीछे कितनी जागीर है और वह जागीर रिज्यूम की गई है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(ख) श्री दाऊजी के मंदिर को सरकार द्वारा कितनी सहायता प्रति वर्ष दी जाती है और क्या उसके हिसाब-किताब की कभी जांच की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(ग) उक्त मंदिर का वार्षिक आय-व्यय क्या है ? तुलनात्मक आंकड़ा १ जनवरी, १९६० से आज तक सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) इस मंदिर के पीछे लगभग २,६००)रु० वार्षिक की जागीर है। १,०००) रु० तक वार्षिक की आयवाली जागीरों के खालसे का नोटिफिकेशन ता० १.८.६० से हुआ है। तदनुसार यह १ अगस्त, ६० से खालसा कर ली गई।

(ख) श्री दाऊजी के मंदिर को सरकार द्वारा ८१) रु० वार्षिक नकद सहायता दी जाती है। मंदिर के हिसाब-किताब की कभी जांच नहीं की गई कारण कि यह मंदिर देव-स्थान विभाग के प्रबन्ध में नहीं है।

(ग) मंदिर की वार्षिक आय २,६००)रु० के लगभग है। व्यय के लिये कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मंदिर में व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री लक्ष्मीचन्द : आपने कहा कि इस मंदिर की जांच नहीं की गई जब कि दूसरे मंदिर को एड दी जाती है तो क्या किसी मंदिर की जांच नहीं करते हैं या किसी एक भी मंदिर की जांच नहीं की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एडेड टेम्पल्स के लिए रूल्स बने हुए हैं और उनके अन्दर ऐसा है कि ऐसे मंदिरों के ऊपर जिनको कि ६००) रु० से कम अमाउन्ट दिया जाता है गवर्नमेंट से उनकी आमद और खर्चे पर नियन्त्रण सरकार का नहीं रहता है। इसको सिर्फ ८१) रु० ही दिये जाते हैं।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : खर्चे की जांच नहीं की गई, तो कैसे मालूम हुआ है कि ८१) रु० की सहायता पर्याप्त है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, सवाल का जवाब माननीय सदस्या ने ठीक नहीं समझा है। ८१) रु० की सहायता सरकार से दी जाती है, इसलिए सरकार को मालूम है। खर्चे का इससे क्या सम्बन्ध है ?

टोडारायसिंह से नासिरदा वाया थांवला होती हुई अजमेर से देवली जानेवाली सड़क को मालहेड़ा चौकी से मिलाना

२१५. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देगें :—

(१) क्या टोडा रायसिंह से नासिरदा वाया थांवला होती हुई सड़क, जो अजमेर से देवली जाती है, से मालहेड़ा चौकी को मिलाने की कोई योजना है ? अगर हां, तो यह सड़क किस योजना के अन्तर्गत आने वाली है ?

Page No.7

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

(२) क्या उपरोक्त सड़क का सर्वे हो चुका है ? अगर हां, तो कार्य कब चालू करा दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो कब तक सर्वे हो जावेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता !

(२) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न संख्या २१६

श्री अध्यक्ष : श्री सूरजमल।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २१७

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

जालौर जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिये छात्रावास की व्यवस्था

२१८. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) जिला जालोर में शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स की क्या परसेन्टेज है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि जालोर जिले में शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्रों के लिये छात्रावास की कोई अलग से व्यवस्था नहीं होने से बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) जिला जालोर की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का १७ प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति का ७ प्रतिशत बनता है।

(ख) जी नहीं।

श्री लक्ष्मीचन्द : होस्टल किस श्रेणी का है, शिड्यूल्ड कास्ट्स का है या शिड्यूल्ड ट्राइब्स का है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल: यह छात्रालय अनुसूचित जनजाति का है।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या उसके अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट के बच्चों को भर्ती किया जाता है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जगह उसके अन्दर है और चूंकि अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थी ज्यादा नहीं थे, इस वास्ते उन दोनों को भर्ती किया जाता है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या यह सरकार की निश्चित नीति है कि अनुसूचित जन-जातियों और अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए अलग छात्रावास न करके उनको दूसरे छात्रावासों में रखा जाय औरों के साथ ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के अलग अलग छात्रावास होते हैं। लेकिन चूंकि वहां पर संख्या पूरी नहीं है इसलिए दूसरी अनुसूचित जातियों के लड़कों को भी वहां रख दिया।

डॉ० चन्द्रकला : मेरा मतलब यह नहीं है, मेरा मतलब यह है कि सरकार की यह नीति है क्या कि इन जातियों के लिए अलग छात्रावास नहीं रहें और दूसरे छात्रावासों में ये लोग सम्मिलित रहें। अलग छात्रावास नहीं बनाये जायं, इनके लिए क्या सरकार की ऐसी नीति है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जगह को देख कर बनाये जाते हैं। अनुसूचित जनजातियों की आबादी जहां पर ज्यादा है, उनके क्षेत्र में आता है तो पहला प्रिफरेन्स उनको दिया जाता है और अनुसूचित जातियों के लिए है तो उनको दिया जाता है। अलग अलग हैं अलग अलग एरियाज़ में जहां जहां कि उनकी आबादी ज्यादा होती है।

डॉ० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहती हूं कि सरकार की नीति इस बारे में क्या है ? मंत्री महोदय इधर उधर की बात बताते हैं। सरकार की स्पष्ट नीति क्या है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं स्पष्ट नीति ही बता रहा हूं कि जहां जिस क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के आदमी ज्यादा रहते हैं वहां उन्हीं के लिए होस्टल खोला जाता है। उसमें अनुसूचित जातियों के आदमी रहते भी नहीं हैं और होने भी नहीं चाहिए और जहां पर अनुसूचित जातियों की जनसंख्या ज्यादा है वहां पर उन लोगों के लिए खोला जायगा। वहां अनुसूचित जनजाति के आदमी कहां से आयेंगे ? इसमें नीति का क्या सवाल पैदा होता है। स्थान को देखते हुए बनाया जाता है।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या यह सच है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के बच्चों को वहां पर एडमिशन नहीं मिला ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : शिकायत आई थी तो ऑर्डर दे दिया गया है कि उनको भी भर्ती कर लिया जाय।

प्रश्न संख्या २१६

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २२०

श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

टोंक से सवाई माधोपुर तक सड़क निर्माण

२२१. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सही है कि टोंक से सवाई माधोपुर की सड़क बन कर तैयार हो चुकी है ? अगर नहीं, तो कितने मील बाकी है और इसका कार्य कब शुरू हुआ था ?

(ख) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त सड़क के रास्ते में बड़े बड़े नाले-नदियां आती हैं ? अगर हां, तो कितनी और कौन कौन सी ? उनमें कितनों पर पुल तैयार हो चुके और कितने बाकी हैं और वह कब तक तैयार हो जावेंगे ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) यह सही नहीं है, केवल ४४ मील सड़क बनी है। (२) ४ मील। (३) १९५३–५४ से।

(ख) सही है। सूची प्रस्तुत कर दी गई है। ७ पर पुल बन चुके हैं, ४ पर बाकी हैं। उन पर पुल अथवा पुलिया बनाने की वर्तमान फाइनेन्शियल इयर में कोई योजना नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह : मेरा यह निवेदन करना है कि कितने मील बाकी है? आपने कहा कि ४ मील बाकी है या बन चुकी है?

श्री हरिश्चन्द्र : बाकी है, मैंने कहा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं आपसे अर्ज करूं कि नाले जो ७ बन चुके और ४ बाकी हैं तो ४ भी सवाई माधोपुर से अलीगढ़ तहसील में हैं। उनके बीच में बाकी हैं या टोंक से अलीगढ़ जाते हैं इसके बीच में बाकी हैं, और उनके नाम क्या क्या हैं यह तो बताइये, मैंने पूछा है?

श्री हरिश्चन्द्र : पिछले साल में सड़क के लिए मैंने कहा है कि ४ मील बाकी है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : ४ मील सड़क बाकी है लेकिन ४ पुलिये बनना बाकी है और ७ बन चुके हैं, आपने यह फरमाया है; तो मैंने अर्ज किया जो ४ नाले बाकी हैं वे सवाई माधोपुर से अलीगढ़ आते हैं उसके बीच में बनने बाकी हैं या टोंक से अलीगढ़ जाते हैं उसके बीच में आते हैं वे बाकी हैं? कौन २ से बाकी हैं? उनके नाम क्या हैं?

श्री हरिश्चन्द्र : (अश्रव्य)

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं और पूछ रहा हूं कि ४ जो रीमेनिंग हैं....

श्री हरिश्चन्द्र : टौंक टू सवाई माधोपुर और टौंक टू अलीगढ़ रोड्स पर ४ बाकी हैं।

एक माननीय सदस्य : उनियारा बीच में आता है?

रावराजा श्री सरदारसिंह : टौंक से सवाई माधोपुर और टौंक से अलीगढ़ सब उनियारा होकर जाती हैं। उनियारे से फंटती हैं। टौंक से उनियारा टू अलीगढ़ और टौंक से उनियारा टू सवाई माधोपुर।

श्री हरिश्चन्द्र : माननीय सदस्य को मैंने कहा कि वह बाकी है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं अर्ज करूं कि ४४ मील सड़क बन चुकी है, ७ नाले बन चुके हैं और ४ ही बाकी हैं, तो जब सरकार इतने अर्से से नालों को नहीं बना रही है तो सड़क बनाने से क्या फायदा है?

श्री हरिश्चन्द्र : यह फाइनेन्शियल प्रोस्पेक्ट्स पर है। पैसा होगा तो बन जायेंगे।

रावराजा श्री सरदारसिंह : फैसला कब होगा जब कि वह सड़क टूट जायगी?

Page No.10

श्री हरिश्चन्द्र : यह दूसरा प्रश्न है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : सरकार इतनी धन-राशि लगाती है और नाले बाकी हैं तो उसका भी तो कुछ टाइम होना चाहिए।

श्री हरिश्चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि what does the Hon'ble Member really want ?

श्री अध्यक्ष : उनियारे के लिए पुल चाहते हैं।

(विराम)

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, हाउस भी नहीं समझ पा रहा है कि आप क्या उत्तर दे रहे हैं। सड़क निर्माण करते हैं, पुलिये आवश्यक होती हैं बनाना। तो सड़क को बनाने से फायदा क्या जबकि आप पुलियों को एस्टीमेंट में नहीं लेते हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह आपका कहना बिल्कुल ठीक है लेकिन जितनी आवश्यकता पुल की है उससे भी ज्यादा आवश्यकता पैसे की होती है। पैसा होगा तो पुलिये बना दिये जायेंगे।

श्री श्रीभानसिंह : जिस टाइम सर्वे हुआ था उस समय क्या इन पुलियों को उसमें इन्क्ल्यूड नहीं किया गया था ?

श्री हरिश्चन्द्र : क्रोस ड्रेनेज का अलग प्रोविज़न किया जाता है।

श्री श्रीभानसिंह : इस सड़क का निर्माण किया था उस समय किसी केटेगरी में तो रखा होगा। यह फेअर वेदर रोड होगी या ऑल टाइम रहेगी, इस बात को देख कर किसी न किसी केटेगरी में रख कर सर्वे किया होगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : क्रोस ड्रेनेज का प्रोविज़न अलग होता है। स्माल ड्रेनेज जो वर्क के बीच में आती हैं उनको शामिल लेते हैं। बाकी को अलग लेते हैं।

श्री श्रीभानसिंह : इस सड़क के लिये क्यों नहीं अलग से प्रोविजन किया गया जबकि आपका डिपार्टमेंट इस बात को जानता था कि इस सड़क पर यातायात तब तक नहीं चल सकता जब तक पुलिया नहीं बन जाते ?

श्री हरिश्चन्द्र : ७ पुलिये बन चुके हैं, केवल ४ बनने बाकी हैं, जो आगे बनेंगे।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आगे कब बनायेंगे, १० साल में या २० साल में ?

श्री हरिश्चन्द्र : थर्ड फाइव इयर प्लान में।

प्रश्न संख्या २२२

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २२३

श्री अध्यक्ष : श्री लादूराम मुलाणिया।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या २२४

श्री किशनाराम ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २२५

श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

जयपुर नगर के सिटी केम्प में बसे पुरुषार्थियों को अन्यत्र बसाने सम्बन्धी योजना

२२६. डॉ० चन्द्रकला : (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या जयपुर शहर के सिटी कैम्प में बसे हुए पुरुषार्थियों को वहां से हटा कर किसी दूसरी जगह बसाने की योजना है ? यदि हां, तो कहां पर ?

(२) यह योजना कब से बनी हुई है तथा इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है ? कब तक इन लोगों को अपने नये स्थान पर बसा दिया जायगा ?

(३) प्रस्तावित स्थान पर बसाने में सरकार की ओर से इन लोगों को कितनी किस प्रकार की सहायता तथा सुविधा दी जायगी ?

(४) मकान बनाने के लिये जमीन देने के अलावा क्या किसी प्रकार का अल्प-कालीन अथवा दीर्घकालीन ऋण देने की सुविधा भी इन लोगों को मिलेगी ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी हां । इन लोगों को सिटी कैम्प से उठा कर कच्चा बन्दा रोड (आउट साइड चांदपोल गेट) के पास बसाने की योजना है ।

(२) इन लोगों को बसाने की योजना सन् १६५५ से चली आ रही है । उपयुक्त स्थान न मिलने के कारण योजना को कार्यान्वित नहीं किया जा सका । अब कच्चा बन्दा रोड पर स्थान मिल गया है और प्लॉट काट कर दिये गये हैं । जमीन को हमवार करने का कार्य अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड द्वारा किया जा रहा है । यह कार्यवाही वर्षा काल के अन्त तक समाप्त कर देंगे और मकान बनाने शुरू हो जायेंगे ।

(३) इन लोगों के प्रति कुटुम्ब को ५००) रु० मकान बनाने के लिए सहायता के रूप में दिये जा चुके हैं । इसके अलावा इन लोगों को कोई सहायता नहीं दी जावेगी ।

(४) जी नहीं ।

डॉ० चन्द्रकला : उनको जगह नहीं दी गई, प्लॉट नहीं दिये गये और ५००) रु० प्लॉट बनाने के लिये दिये जा चुके हैं और जैसा कि आपने फरमाया आगे और कोई सहायता नहीं दी जायगी तो क्या सरकार यह महसूस करती है कि शरणार्थी किस तरह से मकान बना पायेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ये ५००)

Page No.12

(श्री दामोदरलाल व्यास)

रुपये उनको कर्जे के तौर पर नहीं दिये गये हैं, सहायता के रूप में दिये गये हैं।

डॉ० चन्द्रकला : सरकार को जब सहायता देने में जल्दी थी तो उनको जमीन देने में जल्दी क्यों नहीं की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यदि माननीय सदस्या मेरा जवाब पूरा पढ़ लेतीं तो प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैंने बताया था कि जमीन उनको अलॉट हो चुकी है, अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड हमवार करने की कार्यवाही कर रहा है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या उनको पजेशन मिल चुका है ? यदि नहीं, तो कब तक मिलेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वैसे उनको जमीन अलॉट हो चुकी है। हमवार की कार्यवाही चल रही है। हमवार होते ही उनको पज़ेशन मिल जायगा।

डॉ० चन्द्रकला : क्या मन्त्रीजी को मालूम है कि हमवार का काम बन्द हो चुका है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसा मेरे ध्यान में आप कभी नहीं लाईं।

डॉ० चन्द्रकला : क्या मन्त्रीजी को मालूम है कि मसानों के पास में वह जमीन लोगों के बसने लायक नहीं है और वहां पर कूड़ा डाला जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कूड़ा फैंकना बन्द हो चुका है, जमीन मौके की है और शरणार्थियों ने उसे पसन्द किया है : आपको ना पसन्द हो तो पता नहीं।

डॉ० चन्द्रकला : मुझको वहां नहीं बसना है। सन् ५५ से यह योजना चल रही है, लेकिन हमवार करने में २ साल से ऊपर लग गये। अब और कितना समय लगेगा ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

तहसील पीपलदा में चम्बल नदी पर ग्राम ढीपरी या गता के निकट निर्मित होनेवाली पुलिया।

२२७. **श्री रामनारायण वर्मा**,(पीपल्दा-सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या पीपल्दा तहसील में चम्बल नदी पर ग्राम ढीपरी या गता के निकट तृतीय पंचवर्षीय योजना में कोई पुलिया बांधे जाने का विचार है ?

(ख) यदि हां, तो किस स्थान पर पुलिया बांधी जावेगी और सरकार द्वारा उस पर कितनी धन-राशि व्यय करने का विचार है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) तृतीय पंचवर्षीय योजना अभी विचाराधीन है; अतः निश्चित नहीं कहा जा सकता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न संख्या २२८

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

तहसील अलॉटमेंट कमेटी, अनूपगढ़ द्वारा मुसलमानों को अलॉट किया रकबा दूसरे अधिकारियों को दे दिया जाना

२२६. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) भूतपूर्व सैनिकों की कितनी दर्ख्वास्तें सन् १६५५ से जमीन लेने के लिये अलॉट कमेटी, अनूपगढ़ द्वारा सिफारिश करके कलेक्टर, गंगानगर को अलॉटमेंट करने के लिये भेजी गईं ?

(ख) क्या यह सत्य है कि कलेक्टर ने उनमें से किसी जाति विशेष की दर्ख्वास्तों को मंजूर भी किया और उनके लिये तजवीज़ किया हुआ रकबा दूसरों को अलॉट कर दिया? यदि हां, तो क्यों ?

(ग) क्या यह सत्य है कि तहसील अलॉटमेंट कमेटी द्वारा मुसलमानों को अलॉट किया रकबा दूसरे अधिकारियों को बिना तहसील कमेटी की राय के दे दिया गया, उनमें से अधिकांश भूमिहीन किसान नहीं हैं ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) २१० दर्ख्वास्तें भेजी गईं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) मुसलमानों के लिय तजवीज़ किया हुआ रकबा उन दूसरे हकदारों को दिया गया है जो कि उनके मुकाबले में विशेष अधिकारी थे । कोई रकबा बगैर राय कमेटी के अलॉट नहीं किया गया ।

श्री मुरलीधर व्यास : जैसा कि आपने कहा कि विशेष अधिकारी थे उनको दिया गया तो किस आधार पर ? जो भूमिहीन थे उनको न देकर जिनके पास पहले से ही भूमि थी उनको अलॉट किया गया और वे किस तरह से विशेष अधिकारी थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप नियम देखिये । नियमों में प्रायोरिटी दी गई है । पहले किसी के पास कम है तो इस प्रकार के टेन्योर के लिये प्रायोरिटी दी गई है, उसके हिसाब से उनको पहले दी गई ।

श्री मुरलीधर व्यास : जिनको भूमि अलॉट की गई उनके पास पहले लैंड थी या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यदि किसी के पास पहले से कम लैंड है तो उसको पूरा करने का प्रोविज़न रूल्स में है ।

श्री मुरलीधर व्यास : किस सीमा तक किसी को ज्यादा अलॉट कर सकते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सीमा इसमें दी गई है । यदि नियमों के खिलाफ-वर्जी की गई हो तो आप ध्यान में लावें तो कार्यवाही की जा सकती है । लेकिन इसमें खिलाफ वर्जी हुई नहीं ।

प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की कमी

२३०. श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : Will the Minister for Education be pleased to answer:—

(श्री मोहब्बतसिंह)

(a) Is it a fact that there is a shortage of female trained teachers in the State to meet the existing necessity in the Girls'High Schools and Higher Secondary Schools ?

(b) Does the Government contemplate to liberally permit such graduate female teachers to take B. Ed. training at the training colleges on stipend basis who are in service with the Education Department ?

(c) What is the number of such female candidates who are in B. Ed. training since the current, July Session ?

(d) Are there such cases where permission to graduate female teachers who are serving the Department and who had expressed their desire to undertake training in the current session commencing from July have been refused ? If so, what are the reasons for the refusal ?

(e) Is there any reservation for female gradutate teachers at B. Ed. training colleges ? If so, how many seats are reserved in total ?

उप–मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई):(a) Yes. There is a shortage of trained teachers in schools in rural areas.

(b) Yes. They are already liberally permitted to take B. Ed. training on stipend basis.

(c) The number of such female candidates in B. Ed. training is 27.

(d) No, Sir.

(e) There is no reservation for lady teachers.

श्री मोहब्बतसिंह : Does the Government contemplate to reserve some seats for the lady teachers inorder to meet with this shortage ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : To this date, it has not been found necessary.

श्री मोहब्बतसिंह : But when there is a shortage why not the...

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : It is for those who are prepared to be trained and who are prepared to go in rural areas.

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : सरकार इस शोर्टेज को किस प्रकार से पूरा करने का विचार करती है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Giving training to more teachers.

श्री मोहब्बतसिंह : What is the number of the required teachers.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Mr. Speaker, Sir, this is not covered by this question. The Hon'ble Member may please ask a separate question and then it will be answered.

श्री मोहब्बतसिंह : How it has been found that there is a shortage?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : That we know but the actual number is not known. But we know there is a shortage in rural areas.

श्री अध्यक्ष : Next Question please.

शिक्षण संस्थाओं में छात्रवृद्धि के कारण स्कूलों में डबल शिफ्ट चालू करना

२३१. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या शिक्षण संस्थाओं में बढ़ती हुई छात्र संख्या के अनुसार भवन निर्माण की योजना सरकार के पास विचाराधीन है ?

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस कमी को डबल शिफ्ट में स्कूल चलाने पर पूरा करने का इरादा रखती है ?

(ग) यदि हां, तो जुलाई ६० से क्या यह नियम लागू हो जाने की आशा है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) जहां तक फन्ड्स उपलब्ध होते हैं सरकार शिक्षा संस्थाओं के भवन में वृद्धि करने के लिए यथा संभव धन राशि प्रदान करती है, लेकिन छात्रों की संख्या की वृद्धि के अनुसार भवन निर्माण करना सम्भव नहीं है।

(ख) छात्रों की संख्या अधिक होने पर डबल शिफ्ट में स्कूल चलाये जाते हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : डबल शिफ्ट में चलाने के लिए क्या कोई निश्चित नियम सरकार द्वारा बनाये गये हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार यह महसूस करती है कि जहां डबल शिफ्ट चल रही है वहां कहीं पर तो छोटी क्लासेज़ के लड़के पहली शिफ्ट में आते हैं और कहीं बड़ी क्लासेज़ के लड़के पहली शिफ्ट में आते हैं ? इसलिए क्या सरकार नियम बनाना उचित समझती है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ऐसे हरेक इन्स्टिट्यूशन पर लागू होने वाले युनिफॉर्म नियम बनने मुश्किल हैं। वहीं की ऑथोरिटी को असुविधा हो तो वे नियम बना सकते हैं।

डॉ० चन्द्रकला : सरकार भी वाजिब समझती है या नहीं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आप नियम बनाकर पेश करें तो विचार करेंगे।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : जहां पर को-एजुकेशन है वे इन्स्टीटयूट्स डबल शिफ्ट से चलते हैं, वहां लड़कों के बराबर ही लड़कियों की संख्या है, तो क्या वहां पर लड़कियों के लिये अलग शिफ्ट और लड़कों के लिए अलग शिफ्ट करने का सरकार विचार करती है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ऐसी कोई इन्सटान्सेज़ आप बतायेंगे तो जरूर विचार करेंगे।

श्री पी० के० चौधरी : फुलेरा हाई स्कूल में ऐसा ही है ।

प्रश्न संख्या २२४

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री प्रभुलाल पुरोहित ।

प्राइमरी स्कूलों में चपरासी पुनः उपलब्ध कराना

२३३. श्री प्रभुलाल पुरोहित(लालसोट): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सच है कि प्राइमरी स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी रखे जाते हैं ?

(ख) अगर हां, तो जयपुर जिले में कितने ऐसे प्राइमरी स्कूल्स हैं जहां ऐसे कर्मचारी मौजूद हैं ?

(ग) क्या यह सच है कि पंचायतों को प्राइमरी स्कूल सम्भलाने के पहले लालसोट व बांदीकुई प्राइमरी स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे परन्तु पंचायतों को प्राइमरी स्कूल सम्भलाते समय उक्त दोनों स्कूलों में से उक्त कर्मचारी हटा दिये गये हैं ?

(घ) अगर हां, तो ऐसा क्यों किया गया तथा क्या अब इन प्राइमरी स्कूलों में चपरासी दिये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) जी नहीं । साधारणतया प्राथमिक शालाओं में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं रखे जाते । परन्तु जयपुर की पुरानी प्राथमिक शालाओं में कुछ ऐसे कर्मचारी भी राज्य द्वारा स्वीकृत चले आ रहे हैं ।

(ख) जयपुर जिले की १६ प्राथमिक शालाओं में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं । वे ये हैं :—

१. प्रा. शा. दौसा, २. प्रा. शा. गांधी-नगर, जयपुर, ३. प्रा. शा. चांदपोल गेट, जयपुर, ४. प्रा. शा. नादीरजी, जयपुर, ५. प्रा. शा. सरस्वती कुंड, जयपुर, ६. प्रा. शा. मुरली मनोहर के मन्दिर के पास, जयपुर, ७. प्रा. शा. अथरोही, ८. प्रा. शा. बिहारीजी रामगंज, जयपुर, ६. प्रा. शा. बाईजी का मन्दिर, १०. प्रा. शा. विनोदीलाल जी का मन्दिर, ११. प्रा. शा. मोदीखाना, १२. प्रा. शा. फतेहटीबा, १३. प्रा. शा. पुरानाघाट, १४. प्रा. शा. रेलवे स्टेशन, १५. रि. प्रा. शा. नुमाइश कैम्प, १६. रि. प्रा. शा. चावलान, १७. रि. प्रा. शा. अनाज की मंडी, १८. रि. प्रा. शा. नादिर-जी, १६. रि. प्रा. शा. ब्रह्मपुरी, जयपुर ।

(ग) लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण योजना के अन्तर्गत प्राथमिक शालाओं को स्थानान्तरित करते समय प्रत्येक समिति को एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उप-सहायक निरीक्षक के साथ परिवर्तित किया गया था । प्राथमिक शालाओं के लिए कर्मचारी हस्तान्तरित नहीं किये गये ।

(च) जैसा कि कहा गया है कि प्राथमिक शालाओं के लिए कोई कर्मचारी नहीं दिये गये हैं । सरकार जब तक कि बहुत बड़ी

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

स्कूल न हो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को प्राइमरी स्कूल में नियुक्त करना उचित नहीं समझती है। जिन शालाओं में अस्थाई तौर पर डेपुटेशन पर दूसरे पदों पर कार्य कर रहे थे उन कर्मचारियों को अन्य माध्यमिक शालाओं में भेज दिया गया। यह अखिल राजस्थान की नीति के अनुसार हुआ है; अतः बांदीकुई और लालसोट शालाओं का अलग से प्रश्न विचारणीय नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : इन प्राइमरी स्कूल्स का चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के बिना काम कैसे होता है और कौन करता है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वे तो छोटे छोटे स्कूल हैं, बच्चे और शिक्षक मिलकर कर लेते हैं।

श्री बेनाराम गहलोत (खारची) : पानी पिलाने की क्या व्यवस्था है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : पानी की प्यास के कारण बच्चों और शिक्षकों को ज्यादा असुविधा हुई हो, ऐसा प्रश्न हमारे सामने नहीं आया है। वे खुद लाते हैं या उनके पेरेन्ट भेज देते हैं।

डॉ० चन्द्रकला : स्वावलम्बन की बात प्राइमरी स्कूलों में की गई है, यह दूसरी संस्थाओं में क्या लागू नहीं करते; वहां भी बच्चे और सब मिल कर काम चला लें ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : और संस्थाओं में पानी पिलाने के अलावा और भी काम होते हैं इसलिए कर्मचारी रखना जरूरी हो जाता है।

डॉ० चन्द्रकला : प्राइमरी स्कूलों में वे सब काम बच्चे और मास्टर मिल कर करते हैं तो और संस्थाओं में क्यों नहीं करते हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ऐसा है कि १०० लड़के जब हो जाते हैं तो बहुत से स्कूल मिडिल स्कूलों में परिवर्तित हो जाते हैं। अमूमन ५०–६० लड़के होते हैं वहां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं दिया जाता।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): पंचायत समितियों को जब स्कूल हैंड ओवर किये गये, उस समय उप–सहायक शिक्षा निरीक्षक को एक चपरासी दे दिया गया। इसके पहले उप–सहायक शिक्षा निरीक्षक के पास कोई चपरासी होता नहीं था। इसका कारण क्या है, क्यों यह बर्डन पंचायतों पर बढ़ाया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता। मेरे ख्याल से पहले डिपार्टमेंट ही उसको करता था। इसलिए अगर वे चाहते तो चपरासी को अपने साथ ले जा सकते थे क्योंकि वे पंचायत समिति में चले गये, इसलिए ड्युटीज़ को देखते हुए, मेरे ख्याल से, उनके साथ चपरासी का रहना आवश्यक हो जाता है।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : तीन सौ, चार सौ छात्र लालसोट स्कूल में हैं। पहले वहां चपरासी था, पंचायत समिति में जाने के बाद वह हटा दिया गया है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं सुन नहीं सका।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय स्वीकार करते हैं, वे हटा दिये गये हैं।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : तो अब दे दिया जाय, तृतीय श्रेणी का कर्मचारी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने निवेदन कर दिया कि वापिस देने की नीति नहीं है।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : लालसोट में ३००–४०० छात्रों की संख्या है, वहां भी क्यों नहीं दिया जाता ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : तीन सौ, चार सौ छात्रों की संख्या किसी प्राइमरी स्कूल में हो, उनमें कोई ऐसा नहीं है जिसे मिडिल स्कूल नहीं किया हो। कोई प्राइमरी स्कूल ऐसा बतायें जिसमें चार सौ छात्र हों ?

श्री प्रभुलाल पुरोहित : लालसोट स्कूल में तीन सौ से ऊपर हैं।

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

'स्कूल चलो' अभियान के द्वारा हुई प्रगति

२३४. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) इस वर्ष प्रान्त भर में 'स्कूल चलो अभियान' कब से कब तक, कितने दिनों का किन किन स्थानों पर मनाया गया ? क्या यह अभियान केवल बालिकाओं की भर्ती के लिये ही था ?

(२) जयपुर शहर में इस समय बालिकाओं के लिये कुल कितनी शिक्षण संस्थायें हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) जयपुर शहर में लड़कियों की किन किन शिक्षण संस्थाओं में छात्राओं की संख्या पर्याप्त नहीं है ?

(४) इस साल लड़कियों की कितनी शिक्षण संस्थायें नई शुरू की गई ?

(५) 'स्कूल चलो' अभियान के परिणाम स्वरूप स्कूलों में छात्राओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ? क्या उसी अनुपात में स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था में भी वृद्धि हुई ?

उप मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) इस वर्ष प्रान्त भर में 'स्कूल चलो अभियान' दिनांक १५–७–६० से ३१–७–६० तक मनाया गया था। यह केवल बालिकाओं के लिये ही नहीं था। समस्त राजस्थान में बालक व बालिकाओं के लिये था। परन्तु बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, अजमेर व सीकर में खास तौर पर बलिकाओं के लिए भी मनाया गया।

(२) जयपुर शहर में ८ माध्यमिक शालाएं व ७ प्राथमिक शालाएं हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) सब स्कूलों में छात्राओं की संख्या पर्याप्त है।

(४) इस वर्ष जयपुर शहर में कोई नई शाला नहीं खोली गई।

(५) जयपुर शहर में छात्राओं की

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

संख्या में लगभग ४० प्रतिशत वृद्धि हुई है। जहां जहां आवश्यक है अध्यापिकाओं की संख्या बढ़ाने की कार्यवाही हो रही है

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

डॉ० चन्द्रकला : तो जब स्कूलों में पर्याप्त संख्या थी और कहीं कमी नहीं थी, तो ४० प्रतिशत वृद्धि हुई है, उसको कैसे एडजस्ट किया गया है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने कहा, जहां वृद्धि हुई है वहां अलग से स्टाफ लगाने की कोशिश कर रहे हैं।

डॉ० चन्द्रकला : अभी आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन छात्राओं की भर्ती जब हो गई तो शिक्षकों की व्यवस्था कर लेते। यह भर्ती हो चुकी है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इनकी भर्ती हो चुकी है और आंकड़े मंगा कर जितने टीचर्स की आवश्यकता होगी वे लगा दिये जायेंगे ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार यह नहीं सोचती है कि शालाओं को शुरू हुए दो महीने हो गये और सरकार विचार कर रही है ? क्या इससे इस बढ़ी हुई संख्या और पहले की संख्या के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : दो महीने नहीं हुए हैं। ३१ जुलाई, १९६० तक पखवाड़ा चला, २८-२९ दिन हुए हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : उस पखवाड़े के अन्तर्गत क्या क्या कार्य किये गये 'स्कूल चलो अभियान' पखवाड़े में ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जगह जगह कमेटियां बनाई गईं और संरक्षकों और माता-पिता थे उनसे कहा गया, मीटिंग आयोजित की गईं, प्रभात फेरियां लगाई गईं, जो जो प्रचार के साधन थे वे किये गये । यह बताया गया कि स्त्री-शिक्षा की कितनी आवश्यकता है आज के युग में।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार माध्यमिक शिक्षा और प्राइमरी शिक्षा को और मिडिल शिक्षा को एक तरह समझती है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : राष्ट्रीय ध्येय जो है वह है कि ६ से लेकर ११ वर्ष के बालक-बालिकाओं को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने की तीसरी पंचवर्षीय योजना में व्यवस्था कर सकें : हमारे देश में लड़कों की संख्या काफी ठीक है, इसकी प्रगति ठीक है, लेकिन लड़कियों की संख्या में कमी है। हम इस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना में। इसके लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा। इस उद्देश्य को ध्यान में रख कर खास तौर से प्राइमरी और ज्यादा से ज्यादा मिडिल स्कूल तक 'स्कूल चलो अभियान' का प्रचार किया । हाई स्कूल और कॉलेज का सवाल है, वह माता-पिता और संरक्षकों की मर्जी है कि बच्चों को आगे पढ़ायें या नहीं पढ़ायें। हम आठवीं तक पढ़ाने की जिम्मेदारी समझते हैं

डॉ० चन्द्रकला : मैंने प्रश्न के दूसरे

Page No.20

(डॉ० चन्द्रकला)

भाग के द्वारा पूछा है, "जयपुर शहर में इस समय बालिकाओं के लिए कुल कितनी शिक्षण संस्थायें हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।" मुझे मिडिल और प्राइमरी की सूची मिली है। मन्त्री महोदय माध्यमिक की ओर बताते हैं। क्या सरकार इसको और उसको एक मानती है और इसे ज्यादा समझती है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न था 'स्कूल चलो अभियान' के सिलसिले में। 'स्कूल चलो अभियान' मिडिल और प्राइमरी स्कूल तक सीमित था। इसलिए दिया है, क्योंकि जो उद्देश्य था, प्रश्न पूछने का, उससे बाहर नहीं जा सकता था। अगर आप पूछती हैं तो मैं जबानी बता सकता हूं और एक-आध रह जायगा तो कल बता दूं कि इतने हाई स्कूल्स हैं, इतने माध्यमिक स्कूल हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : 'स्कूल चलो' अभियान, जितनी सार्वजनिक संस्थायें थी, उनके लिए नहीं था ? क्या जो एक योजना के अन्तर्गत अभियान चलाया जाता है वह सरकारी संस्थाओं के लिए होता है, समस्त संस्थाओं के लिए नहीं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने कहा कि इसका उद्देश्य यह था कि छः वर्ष से लेकर ग्यारह वर्ष के बालक-बालिकायें हैं, उनको स्कूल में लाने के लिए, संख्या बढ़ाने के लिए अभियान चलाया जाय।

श्री दयाकृष्ण विजय : जो कमेटियां बनाई गई उनके अन्दर एक पार्टी विशेष के सदस्य लेने से इस अभियान में सफलता नहीं हुई ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जो स्त्री-पुरुष शिक्षा के प्रेमी थे, उनको कमेटी में लेने के आदेश थे। ये आदेश नहीं थे कि पार्टी विशेष के लोगों को कमेटी में लिया जाय। हो सकता है कि एक पार्टी के लोगों ने दिलचस्पी ली हो और दूसरे नहीं लेते हों।

डॉ० चन्द्रकला : सरकार ऐसे अभियान में अपनी पाठशालाओं का ही ध्यान रखती है या उस जगह पर जो अर्द्ध सरकारी और प्राइवेट संस्थायें चलती हैं उनमें भी भर्ती करने और संख्या बढ़ाने का विचार करती है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सब के लिए आम तौर पर लड़के और लड़कियां ज्यादा भर्ती हों; उसमें एडड, प्राइवेट या सरकारी में भेद नहीं होता।

डॉ० चन्द्रकला : लेकिन आपने केवल अपनी पाठशालाओं का, जो सरकार द्वारा संचालित की जाती हैं कर दिया। बाकी औरों का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मोहब्बतसिंह।

राज्य कर्मचारियों के लिये सिरोही में आवास-गृहों की कमी

२३५. श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मोहब्बतसिंह)

(a) Does the Government acknowledge the acute shortage of residential accommodation at Sirohi for the Government Officials ?

(b) Is it also a fact that during Second Five Year Plan only a meager amount has been utilised for this purpose at Sirohi ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास):

(a) Yes.

(b) No Government residential building at Sirohi was constructed during the 2nd Five Year Plan.

श्री मोहब्बतसिंह : Does the Government contemplate to keep a fair provision during the 3rd. Five Year Plan ?

श्री दामोदरलाल व्यास : The construction of buildings for the plan is under consideration and necessary action will be taken on receipt of the proposals from the District.

१९५९-६० में जयपुरशहर के लिये अल्प-आय गृह योजना

२३६. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गत वर्ष १९५९-६० में अल्प आय गृह योजना के अन्तर्गत कुल कितनी राशि जयपुर शहर के लिये मंजूर हुई थी ?

(२) इस राशि में से कितनी निश्चित अवधि के अन्तर्गत व्यय हुई और कितनी शेष रह गई ?

(३) इस योजना के अन्तर्गत कुल कितने लोगों को ऋण दिया गया ? कृपया नामावली सदन की मेज पर रखें ।

(४) कुल कितने लोगों ने ऋण के लिये आवेदन-पत्र दिया था ? जिन्हें गत वर्ष ऋण दिया जा सका क्या उन्हें इस वर्ष ऋण देते समय प्राथमिकता दी जाने का सरकार का विचार है ?

(५) क्या जालूपुरा बस्ती के नवनिर्माण के निमित्त जो ऋण दिया गया वह इस योजना के अन्तर्गत ही दिया गया है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) १९५९-६० में अल्प आय गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत जयपुर शहर के लिये कुल ६,४१,१०० रुपये की धन-राशि मंजूर की गई ।

(२) उक्त धनराशि में से ६,४०,२९० रुपया पिछले वित्तीय वर्ष में व्यय हुए तथा शेष केवल ८१० रुपये रहे ।

(४) इस योजना के अन्तर्गत १९५९-६० में १०६ व्यक्तियों तथा एक सहकारी समिति को ऋण दिया गया । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(४) १९५९-६० में कुल ७१ आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे । जिन्हें पिछले वर्ष

Page No.22

(श्री दामोदरलाल व्यास)

ऋण नहीं दिया जा सका उन्हें इस वर्ष प्राथमिकता दी जा रही है।

(५) जी हां।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

डॉ० चन्द्रकला : यह जो कुल धन राशि खर्च हुई है....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : कूओं के निर्माण का तो इसमें जवाब नहीं दिया गया है ?

डॉ० चन्द्रकला : वह तो आगे प्रश्न २३८ है। अगला प्रश्न है।

श्री पी० के० चौधरी : कूओं के निर्माण हेतु 'प्रदत्त सहायता' हैडिंग दिया है, इसका जवाब तो नहीं दिया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : This question is different Sir.

डॉ० चन्द्रकला : ७० आदमियों को ऋण दिया गया है जिनके नाम सूची में दिये गये हैं। क्या इसमें उन लोगों के भी नाम शामिल हैं जिनके नाम ऋण अस्वीकृत हुए हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : होना तो नहीं चाहिये।

डॉ० चन्द्रकला : जालूपुरा बस्ती के लोगों को बसाने के लिये ऋण दिया गया, वह इसी योजना के अन्तर्गत दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्या को मालूम होना चाहिये कि स्वयं व्यक्ति को ऋण दिया जाता है। अब तो युनियन गवर्नमेंट ने हिन्दुस्तान के ६ शहरों को ही स्कीम में लिया है।

डॉ० चन्द्रकला : मेह, पानी और आंधी से जब जालूपुरा बहने लगा था तो उस समय माननीय मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि इसको नये सिरे से बसाया जावेगा। क्या माननीय मन्त्री महोदय ने उस समय सर्वसाधारण के हकों को मार कर इस प्रकार का आश्वासन दिया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वे भी नागरिक हैं और चूंकि वे गरीब हैं इसलिये वे इसके लेने के ज्यादा अधिकारी हैं।

डॉ० चन्द्रकला : क्या जालूपुरा में ही लोग गरीब हैं ? क्या सरकार ने अपना फैसला कर लिया है कि जालूपुरा के सिवाय जयपुर में दूसरे कोई गरीब नहीं हैं और उन्हीं को अधिकार हैं और दूसरों को अधिकार नहीं हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कितने ही प्रार्थना-पत्र वालों को इसलिये नहीं दिया गया कि उनके प्रार्थना-पत्र देरी से आये।

डॉ० चन्द्रकला : पूरे जालूपुरा को ऋण दिया, और ऐसे ऐसे लोगों को ऋण दिया गया है जिनकी हालत बहुत अच्छी है और वह इसलिये उनको भी मिल गया क्योंकि सामूहिक योजना थी। लेकिन जब सर्वसाधारण को दिये जाने वाले ऋण में से दिया तो उनको क्यों दिया गया जो गरीब नहीं थे ?

प्रश्न संख्या २३७

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मोहब्बतसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री वीराराम।

सिरोही जिले में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को कुओं के निर्माण हेतु प्रदत्त सहायता

२३८. श्री वीराराम (सिरोही-सु०) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला सिरोही में सन् १६५८-५६ में कितने कूओं के लिये शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्तियों को सहायता दी गई ? क्या वे कूए पूरे बन गये ? कृपया पूरी सूची मय रकम के सदन की मेज पर रखें।

समाज कल्याण मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : जिला सिरोही में सन् १६५८-५६ में अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति को कुओं के लिये इस विभाग द्वारा सहायता नहीं दी गई।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्यों नहीं दी गई ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अनुसूचित जातियों के लिये सिलाई केन्द्र जरूर चल रहा है। शिक्षा के लिये दूसरे जिलों की तरह छात्रों को छात्रावृत्ति दी जाती है।

श्री लक्ष्मीचन्द : इससे तो पानी की समस्या हल नहीं हो सकती है।

श्री दलपतसिंह (आबू) : क्या सरकार महसूस करती है कि उनको भी कूओं के लिये सहायता दी जावे ? अब तक क्यों नहीं दी गई ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं नहीं कह सकता कि क्यों नहीं दी गई। हो सकता है, मांगी नहीं गई हो। कोई इन्कार थोड़ा ही किया गया। वाजिब मांग होगी तो दी जावेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भैरोंसिंह।

जिनिंग फैक्टरी, शाहपुरा एवं गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा को बेचे जाने के सम्बन्ध में

२०७. श्री भैरोंसिंह [श्री माधोपुर-श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) द्वारा पूछा गया] : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) जिनिंग फैक्टरी, शाहपुरा एवं गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा को कब कब और किस किस पार्टी को किस प्रकार से कितने कितने रुपयों में बेचा गया था ?

(ख) इन फैक्टरीज़ की कीमत-भुगतान के सम्बन्ध में पार्टीज़ से क्या एग्रीमेन्ट हुआ था ? कृपया उस एग्रीमेन्ट की कॉपी सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ग) एग्रीमेंट के अनुसार किस किस फैक्टरी की कीमत कितनी कितनी वसूल हुई तथा कब कब ? जिस रकम का भुगतान नहीं हुआ, वह क्यों और सरकार द्वारा उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : जिनिंग फैक्टरी, शाहपुरा को मल्टी परपज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी, शाहपुरा को ५२,५०० रु० में अक्टूबर, सन् १६५७ में बेचा गया।

गुलाबपुरा फैक्टरी को गुलाबपुरा कॉटन जिनिंग एन्ड प्रेसिंग सहकारी समिति लि० को अक्टूबर, १६५७ में २,११,१११ रु० में बेचा गया।

उपरोक्त फैक्टरियों के बेचने के लिये टेन्डर्स आमन्त्रित किये गये थे।

(२) इन फैक्टरियों को निम्न शर्तों पर बेचा गया था :—

शाहपुरा फैक्टरी:—पार्टी को फैक्ट्री के अधिकार में लेने की तारीख से एक सप्ताह के अन्दर रकम अदा करानी होगी।

गुलाबपुरा फैक्टरी:—पार्टी को २१,२०० रु० अर्नेस्ट मनी व ३१,००० रु० कब्जा लेते समय जमा कराने होंगे व बाकी १,५८,६११ रु० दो बराबर की किश्तों में दो वर्ष में जमा कराने होंगे और इस रकम पर ३ प्रतिशत ब्याज देना होगा। इस बिक्री में फैक्टरी की कुछ जमीन व क्वार्टर्स शामिल नहीं हैं।

इन पार्टीज़ के साथ फोर्मल एग्रीमेंट का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है।

(३) मल्टी परपज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी, शाहपुरा से २०,००० रु० अब तक प्राप्त हुये जिसकी विगत निम्न प्रकार है :

रकम	जमा होने की तारीख
७,३०० रु०	६.११.५७
६,०० रु०	३०.१२.५७
५,७१२ रु०	२.२.५८
६,३८८ रु०	४.१.५८

योग २०,००० रु०

गुलाबपुरा कॉटन जिनिंग एन्ड प्रेसिंग सहकारी समिति लि० से ८२,२०० रु० प्राप्त हुआ जिसका ब्योरा निम्न है :

रकम	जमा होने की तारीख
२१,२०० रु०	१२.११.५७
३१,००० रु०	२८.१०.५७
१५,००० रु०	११.२.५८
१५,००० रु०	६.२.५६

योग ८२,२०० रु०

बाकी रकम की वसूली के लिये पार्टीज़ को नोटिस दिये गये मगर अब तक रकम जमा न होने पर अब पी. डी. आर. एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री सूरजमल।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू-सु०) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर दिलाया जाना चाहिये।

शेरगढ़ तहसील के ग्रामों के अनुसूचित जाति के काश्तकारों से छीने गये पट्टे पटवारियों से वापिस दिलाना

२०८. श्री सूरजमल [फलौदी-सु०–श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू-सु.) द्वारा पूछा गया]:

(श्री सूरजमल)

क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या सरकार को विदित है कि शेरगढ़ तहसील के कई गांवों के अनुसूचित जातियों के काश्तकारों को खुदकाश्त और पट्टा सुद खेत होने पर भी स्थानीय पटवारियों द्वारा उनसे लगान जमा कराने को कह कर पट्टा देखने के लिए मंगवाया जाकर पट्टा छीन लेना व अन्य कई धांधलियें की जाती हैं?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार अब उक्त पटवारीगणों की जांच करके उक्त काश्तकारों को राहत व उनसे छीने गये पट्टों को वापिस दिलायेगी ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) कोई भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा किसी भी पटवारी के विरुद्ध ऐसी शिकायत नहीं है एवं न कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र जेर तजवीज है।

(२) यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री दलपतसिंह (आबू) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जो पूछा गया है तो उनके वहां पर जरूर इस प्रकार की कार्यवाही हुई होगी तभी तो यह प्रश्न पूछा गया है। अगर सरकार को कोई इस प्रकार की कार्यवाही की सूचना भेजें तो क्या गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेने के लिये तैयार है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : That goes without saying. Any Hon'ble Member can give; that to the Government and the Government will take necessary action.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

ग्राम जीतावाला, तहसील बस्सी के हरिजनों को खसरा नं० ३०१ की आबादी को भूमि दिलवाना

२१०. **श्री लादूराम सुलाणिया** (दूदू–सु०) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि जिला जयपुर, तहसील बस्सी के ग्राम जीतावाला के हरिजनों ने खसरा नं० ३०१ रकबा एक बीघा नौ बिस्वा जमीन आबादी के लिये तहसीलदार बस्सी को एक प्रार्थना–पत्र तारीख ३१ मार्च, १९५३ को दिया था ?

(२) क्या यह सत्य है कि उक्त जमीन को देने के लिये राजस्थान राजपत्र दिनांक ९ अप्रेल, १९५९ में प्रकाशित विज्ञप्तियां दिसम्बर २, १९५८ के द्वारा यह बताया गया कि सरकार जीतावाला के हरिजनों को बसाना चाहती है ?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त जमीन पर गंगासहाय पुत्र रामसुख हराएयां ने कब्जा कर रखा है जिससे वहां के ७० परिवार हरिजनों में असंतोष व्याप्त है ? सरकार अब इस जमीन को इन लोगों को दिलाने की कब तक व्यवस्था करेगी ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास):(१) जी नहीं। प्रार्थना–पत्र दिसम्बर, सन् १९५४ में पेश किया गया था।

(२) जी हां।

(३) जी हां। हरिजनों को जमीन दिलाने

(श्री दामोदरलाल व्यास)

हेतु राजस्थान राज पत्र में अवाप्ति अधिनियम की धारा ६ की विज्ञप्ति का प्रकाशन हो चुका है ।

श्री लादूराम सुलाणिया : यह हरिजनों की जमीन ग्रामवासियों के लिये एक्वायर करने के लिये विज्ञप्ति प्रकाशित की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एक्वायर करने का जो पर्पज़ था उसके लिये प्रकाशित की गई ।

श्री लादूराम सुलाणिया : क्या वह जमीन एक्वायर कर ली गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अभी मैंने कहा कि दफा ६ का नोटिस दिया गया है ।

श्री लादूराम सुलाणिया : इसके लिये दो साल से कार्यवाही चल रही है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : दो साल से कार्यवाही चल रही है, यह ठीक है; लेकिन एक्वीज़िशन की कार्यवाही में बहुत समय लगता है । जो लोग ऐतराज करते हैं उनके ऐतराजों को भी सुनना पड़ता है और इसके अलावा नोटिफिकेशन की मयाद भी दफा ४, ५ और ६ की अलग अलग होती है । यह तो कानून है और हमें कानून के अनुसार करना पड़ता है, इसको हम रोक नहीं सकते ।

श्री लादूराम सुलाणिया : क्या खादी बनाने के लिये लोगों को आश्वासन मिला कि यह जमीन उनको दी जावेगी और उन्होंने खादी बनाने की मशीनें मंगा ली हैं ? क्या वे मशीनें बेकार हो रही हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल । २११ ।

श्री लादूराम सुलाणिया : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि दो वर्ष हो गये हैं मशीनें बेकार पड़ी हुई हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

(१२ मध्यान्ह)

विद्युत कार्यालय, बीकानेर के वर्क चार्ज कर्मचारियों को स्थाई करना

२११. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल [जौहरी बाजार, जयपुर—श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) द्वारा पूछा गया] : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि विद्युत कार्यालय, बीकानेर में वर्क चार्ज कर्मचारी विगत दस-बारह वर्षों से स्थाई क्लर्कों की तरह कार्य कर रहे हैं ?

(ख) क्या यह भी सत्य है कि उन्हें साप्ताहिक व गजटेड छुट्टियां, केज्युअल व प्रिविलेज छुट्टी आदि रियायतें भी अन्य सरकारी कर्मचारियों के समान ही दी जाती रही हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि कर्मचारियों में से कुछ को प्रोमोशन दिया गया व उनसे भी सीनियर कर्मचारियों को ऐसा मौका नहीं दिया गया ?

(घ) क्या उक्त कर्मचारी स्थाई पदों पर नियुक्त करने के योग्य नहीं हैं ? अगर हैं, तो उन्हें स्थाई अब तक क्यों नहीं किया गया ?

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि सरकार के सन् १६५४ के निर्णयानुसार जयपुर व जोधपुर के विद्युत विभाग के वर्क चार्ज स्टाफ को स्थाई किया गया ? अगर हां, तो क्या सरकार यह निर्णय बीकानेर के कर्मचारियों पर भी लागू करने का विचार रखती है ?

विद्युत मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) पहले कुछ ऐसे लोग थे परन्तु अब वह रेगुलर सर्विस में ले लिये गये हैं।

(ख) आंशिक रूप में ऐसा था।

(ग) नियमानुसार सीनियोरिटी व योग्यता का पूरा ध्यान रख कर ही प्रोमोशन दिया जाता है।

(घ) इस समय इस तरह की कोई समस्या ही नहीं है।

(ङ) सन् १६५४ के सरकार के निर्णय के अनुसार जो स्थाई स्थान रिक्त हुए उन पर स्थायी नियुक्ति के लिये जयपुर, जोधपुर, बीकानेर आदि पॉवर हाउस के वर्क चार्ज कर्मचारियों को समान अवसर दिया गया। केवल बीकानेर पर इस प्रश्न को लागू करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री दयाकृष्ण विजय : बीकानेर के ही वर्क चार्ज कर्मचारियों को परमानेन्ट नहीं करने का क्या कारण है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने 'ङ' में आपको बताया कि केवल बीकानेर पर ही यह निर्णय लागू करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री दयाकृष्ण विजय : सब पर लागू किये गये हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : जी हां।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : प्रश्न संख्या २१६ का जवाब दिलाया जाय।

जोधपुर जिलों के पुलिस थानों को तहसीलवार पुनर्गठन कराना

२१६. श्री सूरजमल [फलौदी सु०— श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) द्वारा पूछा गया] : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) जिस वक्त जोधपुर जिले की तहसीलों का पुनर्गठन किया गया उसी वक्त क्या पुलिस थाना का भी पुनर्गठन किया गया था ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(ख) क्या यह सच है कि ओसियां तहसील में भोजासर, लोहावट और गांव खेड़ापा भी पुलिस थाना के गांव हैं ?

(ग) क्या यह भी सही है कि खेड़ापा थाना के गांव बिलाड़ा तहसील में भी हैं और दोनों तहसीलों के एस. डी. ओ. अलग अलग होने से जनता को काफी कठिनाइयां होती हैं ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या विचार कर रही है ?

(घ) क्या सरकार अभी तक इन पुलिस थानों का तहसीलवार पुनर्गठन करने का विचार रखती है तथा इनके पुनर्गठन में क्यों विलम्ब हो रहा है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जी नहीं। पुलिस थानों की

Page No.28

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सीमाओं का तहसीलों की सीमाओं के अनुसार पुनर्गठन किया जाना आवश्यक नहीं है।

(ख) ओसियां तहसील में केवल खेड़ापा थाने के कुछ गांव हैं। भोजासर तथा लोहावट थाने के एक भी गांव ओसियां तहसील में नहीं है।

(ग) खेड़ापा थाने के कुछ गांव बिलाड़ा तहसील में हैं। परन्तु दोनों तहसीलें एक ही सब डिविजन (जोधपुर) में हैं अत: अलग एस. डी. एम. होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

ग्राम सुरसुरा में भूमिहीनों को अलॉट की गई भूमि पर इनको काश्त करने देना

२१७. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल [जौहरी बाजार, जयपुर—श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) द्वारा पूछा गया] : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) ग्राम सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़ में गोचर भूमि कितनी है ?

(ख) क्या यह सही है कि सेटलमेंट विभाग ने भी ग्राम के पश्चिम में १,०१७ बीघा भूमि गोचर के लिए सुरक्षित की है ?

(ग) क्या यह भी सही है कि गत वर्ष रूपनगढ़ तहसील ने ७५७ बीघा की भूमि जो कि ग्राम के पूर्व में है, गोचर के लिए सुरक्षित की है ?

(घ) इस ग्राम में पशु कितने हैं एवं उनके लिए कितनी भूमि गोचर के लिए चाहिये ?

(ङ) क्या यह भी सही है कि गत वर्ष रूपनगढ़ तहसील की अलॉटमेंट कमेटी ने ग्राम के पूर्व में भूमिहीनों को ३६१ बीघा भूमि काश्त के लिए अलॉट की है ?

(च) अगर हां, तो उन्हें काश्त करने से क्यों रोका गया ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) ग्राम सुरसुरा में १,७७१।।।३ गोचर भूमि है।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) २,४०६ पशु—भेड़—बकरियों के अलावा हैं। जिसके लिये १,२०४।। बीघा भूमि की आवश्यकता है।

(ङ) जी हां।

(च) जिन भूमिहीन काश्तकारों को जमीन अलॉट की गई उस पर उनका अधिकार होकर जमीन काश्त हो गई थी। मंजूरशुदा चरागाह के नम्बरान की फहरिश्त जिलाधीश से प्राप्त होने पर भविष्य में इन नम्बरान को काश्त न करने की काश्तकारान को सूचित कर दिया गया। सूचना पंचायत को दी जा चुकी है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या अलॉटमेंट कैन्सिल कर दिया गया ?

Page No.29

श्री दामोदरलाल व्यास : एक साल के लिए आरजी था इसलिए कैन्सिल हो गया।

श्री दयाकृष्ण विजय : अलॉटमेंट करके कब्जा कर लेते हैं, वे उस कब्जे को छोड़ते नहीं हैं और चरागाह की जमीन पर काश्त कर लेते हैं उनके लिए क्या किया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसा होता है तो कार्यवाही होती है।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू-सु०) : भूमि अलॉटमेंट कमेटी ने की अलॉट या सेटलमेंट ने ?

श्री दामोदरलाल व्यास : भूमि अलॉटमेंट कमेटी ने ?

श्री लादूराम सुलाणिया : दस साल के लिए करते हैं। क्या पर्चे उनको मिल गये थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : दस साल का यह कायदा नहीं है। वह दूसरा प्रोविज़न है। यह भूमि एक साल के लिए अलॉट कर दी थी जो कैन्सिल हो गई।

श्री दयाकृष्ण विजय : गोचर भूमि है तो अलॉटमेंट कमेटी को क्या अधिकार है कि वह आरजी तरीके से एक वर्ष, महीने, दो महीने के लिये अलॉट कर दे ? उनके खिलाफ क्या कोई कार्यवाही की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं सुना है, ऐसा मालूम होता है। यह भूमि अलॉट सेटलमेंट ने नहीं की। इसको जिलाधीश ने चरागाह डिक्लेयर कर दिया और उससे पहले यह भूमि चरागाह नहीं थी।

श्री लादूराम सुलाणिया : उस जमीन को क्यों चरागाह घोषित किया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उन्होंने उसको उपयुक्त समझा।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

स्टेनोग्राफर्स की पद-वृद्धि के नियम

२१६. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल [(जौहरी बाजार, जयपुर) : will the Chief Minister be pleosed to state :

(1) Whether in the Government Secretariat Stenographers are eligible for promotion to the posts of Assistant Secretaries and Office Superintendents ?

(2) If so, whether the Stenographers working in other Departments of Government are also eligible for similar promotions ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी हां।

(२) जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

अजमेर जिले में नम्बरदारों के बकाया अलाउन्स का भुगतान कराना

२२०. श्री भैरोंसिंह [श्री माधोपुर–

(श्री भैरोंसिंह)

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) द्वारा पूछा गया] : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) अजमेर जिले में कौन कौन सी ऐसी तहसीलें हैं जिनमें नम्बरदारों को अलाउन्स नहीं दिया गया है ?

(ख) जिन नम्बरदारों को अलाउन्स नहीं मिला है उनके नाम उनकी बकाया राशि की सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(ग) यह बकाया अलॉउन्स नहीं चुकाने के क्या कारण हैं ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है; इसलिए इसको नेक्स्ट वीक में रखा जावे।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री मोहनसिंह, एस. डी. ओ., प्रतापगढ़ के विरुद्ध हुई जांच पर की गई कार्यवाही

२२२. **श्री भैरोंसिंह** [श्री माधोपुर— श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) द्वारा पूछा गया] : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि श्री मोहनसिंह, एस. डी. ओ., प्रतापगढ़, जिला चित्तौड़ के विरुद्ध स्थानीय जनता तथा कांग्रेस अथवा जनसंघ पार्टी के प्रतिनिधियों ने कई प्रकार की शिकायतें जिलाधीश एवं कमिश्नर महोदय को की हैं तथा एक लिखित शिकायत-पत्र प्रस्तुत किया है ?

(ख) यदि हां, तो कब कब ? कृपया उन शिकायती पत्रों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ग) क्या यह सही है कि इन शिकायतों की जांच कलेक्टर चित्तौड़, ने की है तथा उन्होंने कुछ शिकायतों को सच्चा पाया है ?

(घ) क्या यह सही है कि कलेक्टर ने जांच का परिणाम कमिश्नर, उदयपुर के पास भेज दिया ? यदि हां, तो कब ?

(ङ) इस जांच पर अब तक क्या क्या कार्यवाही हुई है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जी हां। सेक्रेटरी, जन संघ पार्टी, प्रतापगढ़ ने दिनांक १९. ५. ५९ को एक लिखित शिकायती पत्र कमिश्नर, उदयपुर के पास भेजा था एवं कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ जब इस शिकायत की जांच के लिए प्रतापगढ़ गये तब एक और हस्ताक्षर का नोट जन संघ द्वारा उनको दिया गया।

(ख) दिनांक १९. ५. ५९ को। प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां। २. ९. ५९ को।

(ङ) श्री मोहनसिंह एस० डी० ओ० को सावधान कर दिया गया है कि शिकायतें

(श्री दामोदरलाल व्यास)

प्रोसीजर व नियम न जानने के कारण हुई हैं अतः भविष्य में उनका पूर्ण पालन किया जावे।

जहां तक भ्रष्टाचार की शिकायतें थीं बिल्कुल सिद्ध नहीं हुई इसलिए सेक्रेटरी, जनसंघ, प्रतापगढ़ के खिलाफ कार्यवाही किये जाने का मामला दर पेश है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या बयानात लिये थे? जबाब में तो लिखा नहीं। सेक्रेटरी, जन संघ से कोई बयान नहीं लिये गये?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने सुना नहीं।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू-सु०) : ये जनसंघ के सेक्रेटरी थे?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, दूसरे माननीय सदस्य खड़े हैं इसलिए इस ओर सतर्क रहें।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि जो आरोप प्रतापगढ़ जन संघ सेक्रेटरी ने अधिकारी के विरुद्ध लगाये थे उनको प्रमाणित करने का उनको अवसर ही नहीं दिया गया?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मेरी जानकारी में नहीं है। कलेक्टर खुद मौके पर गये और इस जांच से इस परिणाम पर पहुंचे कि करप्शन की शिकायतें सही नहीं हैं। केवल प्रोसीजरल गलतियां थीं जिनके लिए उनको वार्निंग दे दी गई।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : श्री मोहनसिंह पर जो चार्जेज़ करप्शन के लगाये गये तो उनको पहले एन्टी-करप्शन में न भेज कर कलेक्टर से ही क्यों जांच कराई गई?

श्री दामोदरलाल व्यास : प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी कराई गई। यदि प्राइमा-फेसी केस बनता है तो फिर उसको एन्टी-करप्शन को भेज दिया जाय।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : वार्निंग दी तो शिकायतें तो सही थी।

श्री दामोदरलाल व्यास : प्रोसीजर न जानने के कारण कुछ गलतियां थीं।

श्री श्रीभानसिंह : करप्शनके चार्जेज़ लगाये थे उनकी व्यक्तिगत शिकायत की या करप्ट प्रेक्टिसेज़ में इन्डल्ज करता है, कलेक्टर ने नोटिस दिया था कि उसको पेश करे?

श्री दामोदरलाल व्यास : That information is not with me at the moment.

किस वक्त क्या कार्यवाही की; रिज़ल्ट था वह मैंने आपके सामने पेश कर दिया। आप चाहें कि मैं हर चीज़ की डिटेल्स बताऊं, you may kindly put a separate guestion for that.

श्री श्रीभानसिंह : Is the Hon'ble Minister in a position to assure the House that the gentleman who com-

(श्री श्रीभानसिंह)

plained for corruption, his evidence was taken by the officer in charge of the enquiry ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I have already snbmitted that I don't know the details of the enquiry, but I assume that the enquiry officer must have given notice to the complainant.

श्री श्रीभानसिंह : In case it is established that the enquiry officer did not give any notice, will the Government order another enquiry against Shri Mohan Singh for corrupt practices ?

श्री दामोदरलाल व्यास: Certainly, If the Secretary of the Jana Sangha or any other man approaches the Governmnet that he was not given any oppotrunity or notice to adduce evidence, an enquiry will definitely be held.

श्री श्रीभानसिंह : Did the failure to observe certain /procedure bring any financial loss to the Government ?

श्री दामोदरलाल व्यास : No.

श्री श्रीभानसिंह : In cases in which the Government officers commit procedural breaches, is there any instance where the Government has not taken any action against the officer, nor suspended him ?

श्री दामोदरलाल व्यास : It all depends upon circumstances of the case.

श्री श्रीभानसिंह : What was the nature of these procedural irregularities which this officer committed, and whether they were grave irregularities or simple ?

श्री दामोदरलाल व्यास : The Government has already applied its mind and found on the recommendations of the Commissioner that they were minor, and a warning was considered sufficient. Moreover, the allegations contained in the application are placed on the Table of the House.

श्री श्रीभानसिंह : This House would like to know whether these procedural breaches were of minor nature or of grave nature ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I have already submitted that details of enquiry are not before me. All that I have got is the finding of the Enquiry Officer and I cannot at the moment tell him what irregularities were committed. But my information is that the irregularities committed were of a minor nature and a warning was considered sufficient for them.

श्री शिवचरणदास (मांडल) : क्या यह सही है कि लालसिंह नामक व्यक्ति में ११००) रुपया बकाया था ; यह भी शिका-

(श्री शिवचरणदास)

यत जनसंघ के सेक्रेटरी की तरफ से की गई थी ? ११००) रुपये की वसूली के आर्डर दे दिये गये; उसके बाद भी एक बार ७००) और दूसरी बार ५००) रुपये दिये गये जब कि उसमें ११००) रुपये पहले से बकाया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह ठीक है कि उसको ११००) रुपये बकाया होते हुए भी लोन दे दिया गया जब कि रूल्स की तहत उसको दिया नहीं जा सकता यह। इरेंगुलेरिटी हुई है, लेकिन सफिशियेन्ट सिक्योरिटी ले ली गई थी ताकि गवर्नमेंट का पैसा खतरे में न पड़े।

ग्राम बीलवाड़ा, तहसील बैराठ में फीमेल टीचर क्वार्टर व पुलिया निर्माण हेतु प्रदत्त धनराशि का हिसाब लेना

२२३. श्री लादूराम सुलागिया (दूदू-सु०) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या ग्राम बीलवाड़ी, तहसील बैराठ में फीमेल टीचर क्वार्टर के लिये कोई धनराशि दी गई थी ? यदि हां, तो कितनी और किसको ?

(ख) क्या वह कार्य, जिसके लिये धनराशि दी गई थी पूरा हो गया है ? यदि हां तो कब ?

(ग) क्या दी हुई धनराशि का हिसाब लिया गया ? यदि हां, तो कब और क्या दिया गया, हिसाब सही पाया गया ?

(घ) क्या बीलवाड़ी में पुलिया बनाने के लिये भी कोई धनराशि दी गई थी ? यदि हां, तो कितनी ?

(ङ) क्या उक्त पुलिया बनाने में खर्चे का हिसाब लिया गया ? यदि हां, तो कब और अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

विकास मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल): (क) जी हां। २,५००)रु० ग्राम पंचायत मामरू को।

(ख) जी हां। मई, सन् १९६० में।

(ग) जी हां। दिनांक २८-१-६० एवं २-८-६० को। पंचायत द्वारा दिया गया हिसाब सही पाया गया है।

(घ) जी हां। १,८००) रु०।

(ङ) जी हां। जुलाई, सन् १९६० में।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

(अनुपस्थित)

चाकसू, पावटा तथा बांदीकुई स्कूलों के लिये खरीदे गये सामान में अनियमितता

२२५. श्री भैरोंसिंह [श्री माधोपुर—श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) द्वारा पूछा गया] : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No.34

(श्री भैरोंसिंह)

(क) क्या यह सही है कि सन् १९५८–५९ में चाकसू, पावटा तथा बांदीकुई (जयपुर जिला) के स्कूलों में कोई सामान खरीदा गया था ? यदि हां, तो क्या क्या और कब ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(ख) यह सामान किस किस तारीख को किस किस स्कूल में पहुँचा ?

(ग) इस सामान की कीमत का भुगतान किस किस तारीख को किस किस फर्म को किस प्रकार से किया गया ?

(घ) क्या यह सही है कि सामान पहुँचाने से पहले ही रकम का भुगतान कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों और किस प्रकार से ?

(ङ) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में जांच की गई है ? यदि हां, तो किसके द्वारा और उसका क्या नतीजा रहा ?

उप–मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) जी हां। चाकसू, पावटा तथा बांदीकुई के स्कूलों में सन् १९५८–५९ में जो सामान खरीदा गया था उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) सामान स्कूलों में पहुँचने की तिथियां भी सूची में दी हुई हैं।

(ग) यह सूचना भी सूची में दी हुई है।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर–सु०) : सामान क्या था ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : (घ) जी नहीं।

(ङ) उपरोक्त स्कूलों की जांच विभागीय निम्न व्यक्तियों द्वारा की गई, जिनकी रिपोर्ट से पता चलता है कि किसी भी अधिकारी ने सामान आने से पहले रकम का भुगतान नहीं किया।

चाकसू : श्री ओमप्रकाश सिंघल, उप निरीक्षक, कार्यालय उप–शिक्षाध्यक्ष, जयपुर।

श्री श्रवणस्वरूप माथुर, वरिष्ठ लेखक, कार्यालय उपशिक्षाध्यक्ष, जयपुर

पावटा : श्री सीताराम पारीक, वरिष्ठ लेखक, कार्यालय उपाध्यक्ष, जयपुर।

श्री गोविन्द सहाय, कनिष्ठ लेखक, कार्यालय उपाध्यक्ष, जयपुर।

बांदीकुई : श्री भगवानदास गांधी, मुख्य लेखक, कार्यालय उपाध्यक्ष, जयपुर।

श्री मदनलाल शर्मा, वरिष्ठ लेखक, कार्यालय उपाध्यक्ष, जयपुर।

(कृपया परिशिष्ठ ६ देखिये)

श्रीमती विमल सुधा कृषि, सहायक अध्यापिका, महारानी गर्ल्स स्कूल बीकानेर का वेतन किसी दीगर व्यक्ति द्वारा जाली हस्ताक्षर बना कर लिया जाना

२२८. श्री भैरोंसिंह [श्री माधोपुर श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) द्वारा पूछा गया] : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No.35

(श्री भैरोंसिंह)

(क) क्या यह सही है कि श्रीमती बिमल सुधा, कृषि, सहायक अध्यापिका, महारानीगर्ल्स हाई स्कूल, बीकानेर का सितम्बर, अक्तूबर, १९५७ का वेतन जरिये बिल नं० ३३ तारीख २५-९-५७ व बिल नं० ३७ तारीख २८-१०-५८ किसी व्यक्ति ने उक्त सहायक अध्यापिका के जाली दस्तखत करके ले लिया है ?

(ख) क्या यह सही है कि ५९ रुपये ३ आने की रकम, जो उक्त अध्यापिका को इन्टर तथा बी. ए. की ग्रेड के १०-७-५६ से ३१-१०-५६ तक के अन्तर के रूप में मिलने वाली थी, को बिल नं० २७ तारीख २९-१२-५६ के जरिये माह दिसम्बर, १९५६ में किसी ने उक्त अध्यापिका के दस्तखत बना कर वसूल कर ली ?

(ग) क्या यह सही है कि उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में उक्त अध्यापिका ने कई बार शिक्षा संचालक तथा अतिरिक्त सहायक संचालक को लिखित सूचना दी है ? यदि हां, तो कब कब तथा उन पर अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) इस विषय की जांच की जा रही है।

(ख) इस विषय की भी जांच की जा रही है।

(ग) इस विषय में श्रीमती विमले सुधा ने ता० ८-९-५९ को प्रथम बार प्रार्थनापत्र अतिरिक्त शिक्षाध्यक्ष के कार्यालय में पेश किया। इसकी जांच की जा रही है।

श्री दयाकृष्ण विजय : जब स्पेसिफिक तारीख, बिल का नम्बर आदि दिया गया है फिर भी रकम का पेमेंट क्यों नहीं किया गया ?

श्री पूनमचंन्द बिश्नोई : आपने इस प्रश्न को पढ़ा नहीं। उनके नाम से किसी दूसरे ने उनका वेतन उठा लिया। अब जांच करने का यह रह गया कि वास्तव में किसी ने जाली हस्ताक्षर करके रुपया उठाया है या नहीं।

श्री दयाकृष्ण विजय : जांच किसके द्वारा करवाई जा रही है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स, बीकानेर द्वारा।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या इस बारे में सिग्नेचर एक्सपर्ट की भी राय ली जायगी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जांच के अलग अलग तरीके होते हैं, आवश्यक समझा गया तो यह भी अपना लिया जायगा।

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : क्या इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स हैण्ड राइटिंग एक्सपर्ट हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जांच करने वाला अधिकारी यदि आवश्यक समझेगा तो हैण्ड राइटिंग एक्सपर्ट से भी इसमें सहायता ले सकता है। हर बात का एक्सपर्ट इन्क्वायरी ऑफिसर नहीं होता; it is only when the enquiry officer doubts the

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

signatures, then the matter is referred to the Handwriting expert.

श्री दयाकृष्ण विजय : माननीय मंत्री महोदय, यह मानते हैं कि डिस्प्यूट इस बात का है कि जाली हस्ताक्षर द्वारा उनका वेतन किसी ने ले लिया। वैसी हालत में इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स किस तरह से जांच कर पायगा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने आपसे निवेदन कि किया इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स हैण्ड राइटिंग एक्सपर्ट नहीं हो सकता यदि वह आवश्यक समझेगा तो हैण्ड राइटिंग एक्सपर्ट की ओपीनियन ले सकता है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या आपने इस बात की जांच करवा ली कि किस व्यक्ति द्वारा और कब यह पेमेंट किया गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : पेमेंट सभी बैंकों से होता है। ट्रेजरी बिल पास करती है और उसके अनुसार बैंक से रुपया ड्रॉ होता है। इसमें तो बात यह है कि किसी ने उनके जाली हस्ताक्षर करके रुपया ले लिया। यह सब बिना गवाह सुबूत के पता नहीं लग सकता।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : इन्क्वायरी होने में कितना समय लगेगा ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

आदर्श नगर बस्ती में सिंधी क्वार्टर्स के सामने बी ३४ व बी ३५ प्लॉट्स के बीच की सड़क हेतु छोड़ी जमीन का यू०आई०बी० द्वारा आवंटन

२३२. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** [जौहरी बाजार, जयपुर—श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) द्वारा पूछा गया] : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि आदर्श नगर बस्ती में सिंधी क्वार्टर्स के सामने बी ३४ व बी ३५ प्लॉट्स के बीच में ६० फीट चौड़ी जगह आम सड़क के वास्ते छोड़ी गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि इस जगह पर सड़क बनाई जाकर सिंधी क्वार्टर्स को आदर्श नगर बस्ती के श्मशान की तरफ के हिस्से से मिलाने की योजना थी ?

(३) क्या यह सही है कि अर्बन इम्प्रूवमेंट, बोर्ड जयपुर ने अब यह जगह एक प्लॉट बना कर किसी को अलॉट कर दी है ? यदि हां, तो किसको, कब और क्यों ? बोर्ड के रिज़ोल्युशन की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ?

(४) क्या यह सही है कि सिंधी क्वार्टर्स के रहनेवालों ने इसके विरुद्ध आपत्ति की है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी हां, इस प्रकार की सड़क पी० डब्लू० डी० ने जो आदर्श नगर का प्लान बनाया उसमें रखी थी।

(२) जी हां, प्लान के अनुसार ऐसी योजना थी।

(३) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

(४) जी नहीं। सिंधी क्वार्टर्स के रहनेवालों ने इस विभाग को इसके विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं की है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए ।

१२. १६ म० प०

राजस्थान के लिये राज्य भूमि आयोग का प्रतिवेदन

(विचार–विमर्श)

राज्य भूमि आयोग के प्रतिवेदन पर विचार

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि राज्य भूमि आयोग (स्टेट लैंड कमीशन) के प्रतिवेदन को विचारार्थ लिया जाय ।"

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं, जो लैंड कमीशन ने रिपोर्ट दी है, लैंड कमीशन की जो रिकमन्डेशन्स हैं उनकी ओर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही हुई, उस पर प्रकाश डालना चाहता हूँ ।

यह रिपोर्ट माननीय सदस्यों को गत अधिवेशन में सर्कुलेट हो गई थी । इसकी एक एक प्रति माननीय सदस्यों के पास पहुंच गई है । कल मुझे कुछ माननीय सदस्यों ने इसके हिन्दी अनुवाद के लिये कहा था । मैं इसके लिए उनसे क्षमा चाहता हूं । हिन्दी अनुवाद के लिए समय नहीं था, इसलिए हो नहीं सका । ओरीजिनल रिपोर्ट अंग्रेजी में थी वही माननीय सदस्यों को सर्कुलेट कर दी गई है । जैसा कि रिपोर्ट से जाहिर है लैंड कमीशन की स्थापना १९५६ के अन्दर राजस्थान सरकार ने की । प्लानिंग कमीशन ने और दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्टेट्स को इस बात के लिए सलाह दी गई थी तो अपने यहां लैंड रिफोर्म्स के लिए जो कानून बनाये हैं उनके इम्पलीमेंन्टेशन हेतु, किस किस तरह के लैंड रिफोर्म्स किये जाने चाहिये, उनमें क्या खामी है, लैंड यूटिलाइजेशन के मामले में क्या होना चाहिये, इसके लिए लैंड कमीशन की स्थापना होनी चाहिये । उसी की सलाह पर हमने १९५६ में लैंड कमीशन बनाया । उसमें सरकारी और गैर–सरकारी दोनों प्रकार के सदस्य रखे गये थे । उन्होंने दो कमेटियां बनाई । एक तो टीनेन्सी लेजिस्लेशन के सम्बन्ध में और दूसरी लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में । इन दोनों ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स दे दी हैं लैंड कमीशन को । टीनेन्सी लेजिस्लेशन कमेटी ने एक क्वेश्चनेअर भी राजस्थान के लोगों से जानकारी प्राप्त करने के लिये जारी किया था और वह गजट में प्रकाशित हुआ था ताकि टीनेन्सी लेजिस्लेशन के बारे में जो लोग जानकारी दे सकें दें, जिससे उनकी राय उपयोगी साबित हो सके । क्वेश्चनेअर पर राय प्राप्त हो जाने के बाद लैंड कमीशन ने उस पर पूरा बहस–मुबाहसा करके अपनी रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत की है । इसकी रिकमन्डेशन पैराग्राफ ७१ से लेकर ९९ तक दी गई है और इस रिकमन्डेशन की समेरी चेप्टर १० के पेराग्राफ १०० में दी हुई है । इस पर बहस आरम्भ करने से पहले मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि इस

Page No.38

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कमीशन की जो रिकमन्डेशन्स आई हैं उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की, उसकी थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि रिज़म्प्शन ऑफ जागीर्स का जहां तक सवाल है इसके लिये जैसा पैरा ७४ में कहा गया है उसके बारे में मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि जितनी भी जागीरें हैं राजस्थान में, सब की सब रिज़्यूम कर ली गई हैं। एक हजार तक की धार्मिक जागीरें भी रिज़्यूम कर ली गई हैं। एक हजार से नीचे की अभी बाकी हैं। जागीर रिज़म्प्शन का नेट रिज़ल्ट सदन की जानकारी के लिये कह दूं:

Total Jagirs resumed :	25,45,493
Total number of claims for compensation finalised upto 30-6-1960 :	1,74,536
Total number of claims for compensation paid, including Ajmer area, upto 30-6-1960 :	30, 753
Total number of compensation and rehabilitation grants :	58,359
Total value of bonds issued. Rs.	11,50,50,500/-
Gross income of resumed jagirs :	3,46,86,145/-
Total number of jagirs released :	2,89,000

अब सुनेल टप्पा की जागीरें और आबू एरिया की जागीरें क्रमशः मध्यप्रदेश और बम्बई राज्यों ने रिज़्यूम कर लीं। जागीरों का जहां तक प्रश्न है तमाम जागीरें एक रुपये से लेकर एक पैसे तक की भी नहीं बची हैं रिज्यूम होने से। केवल एक हजार से नीचे तक की धार्मिक जागीरें बची हैं जिनको भी हम बहुत जल्दी रिज्यूम कर लेंगे। इस तरह जागीर रिज़म्प्शन का काम सम्पूर्ण सम्पन्न हो जाता है।

बिस्वेदारी और जमींदारी का प्रश्न जहां तक है, आपको मालूम है हमने इस सम्बन्ध में भी एक एक्ट लागू करके पहली नवम्बर, ५९ को उसे लागू कर दिया और इस तरह सारी बिस्वेदारी और जमींदारी को रिज़्यूम कर लिया गया है। इस हिसाब से कुल ३,२४,७४१ जमींदारी और बिस्वेदारियों की स्टेटें थीं जो रिज़्यूम हो गई हैं; जिनका टोटल कम्पेन्सेशन करीब आठ करोड़ के आवेगा। तो जहां तक इनका प्रश्न है, ये भी रिज़्यूम कर ली गई हैं। इनके कम्पेन्सेशन के फॉर्म्स आ रहे हैं। कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर की असिस्टेन्स से कार्यवाही कर रहे हैं।

तीसरी रिकमन्डेशन है टीनेन्सी एक्ट के सैक्शन ३१ की। किसानों के मकान बनाने के लिये जमीन फ्री मिलनी चाहिये। बाड़ा, कैटल शैड, सीड सेन्टर आदि बनाने के लिये भी जमीन फ्री मिलनी चाहिये। इसका राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में प्रोविजन था और जब यह एक्ट बना था उस समय आबादी लैण्ड गवर्नमेंट के पास थी और तहसीलदार के द्वारा इसका इन्तजाम होता था। पर बाद में यह आबादी लैण्ड पंचायतों को और म्युनिसिपैल्टियों को ट्रान्सफर

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कर दी गई। इसके बाद कई काश्तकारों की शिकायतें आई कि पंचायतों द्वारा और म्युनिसिपैल्टियों द्वारा सैक्शन ३१ के प्रोविजन्स का पालन नहीं होता और वे किसानों को इन कामों के लिये फ्री जमीनें नहीं देते।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : लेबर पॉलिसी भी इसमें आती है कि नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : रिकमन्डेशन्स जितनी हैं उनमें एक एक को लेकर देख लीजिये कि मैं उनका जवाब देता हूं या नहीं।

तो जब इस तरह की शिकायतें आने लगीं तो इसके लिये सख्त हिदायतें एल० एस० जी० विभाग के मातहत करवा दी गई कि सैक्शन ३१ के अन्तर्गत बनाये गये नियम ८ से १७ तक की सख्ती से पाबन्दी की जाय और जो रूल्स के अन्तर्गत किसानों को रियायतें दी गई हैं उनको बदस्तूर दें। और रेवेन्यु डिपार्टमेंट ने अपने कलेक्टरों को हिदायत कर दी है कि वे भी इसको देखें।

तीसरी बात, जिसके लिये आप बहुत उत्सुक हैं, एग्रीकल्चरल लेबर और विलेज आर्टिज़न वगैरह जो हैं जिनके लिये लैंड कमीशन ने पेज ७६ पर सिफारिशें की हैं, उनके बारे में आपकी जानकारी के लिये कहता हूँ कि सरकार ने इस रिकमन्डेशन को स्वीकार कर लिया है और जल्दी ही लेजिस्लेशन यहां सदन में टीनेन्सी लेजिस्लेशन के अमेंडमेंट के तौर पर पेश करने वाली है।

इसके बाद रिकमन्डेशन है काश्तकारों को बिल्डिंग मैटीरियल फ्री ऑफ रायल्टी देने के बारे में। जैसे स्टोन क्वेरीज़ से स्टोन या चूना बनाने के लिये फ्री ऑफ रायल्टी से देना। तो यह वे ले सकते हैं। पर इस प्रकार की शिकायतें आई कि जहां जहां माइनिंग लीजेज़ हैं वहां वहा ठेकेदार नहीं देते। चुनांचे हमने माइनिंग विभाग से सम्पर्क किया, उनको लिखा! इस पर वहां से माइनर मिनरल कन्सेशन रूल्स को अमेंड किया गया जो इस प्रकार है :

Clause (a) of Rule 9 :—

"Excavation of masonary stones and ordfnary clay, including brick making clay, from areas which are not working pits of the lessees shall be free of any rent, royalty or permit fees."

इसका मतलब यह है कि लाइसेन्स्ड ठेकेदारों की खानों के अलावा दूसरी जगह से काश्तकार अपने पर्पज़ के लिये पत्थर, चूना वगैरह ले सकते हैं और उस पर रॉयल्टी फ्री होगी। इस तरह से इन्डस्ट्री विभाग ने अपने नोटीफिकेशन के द्वारा अमेन्डमेंट कर दिया है। यह भी इम्प्लीमेंट इस तरह से हो गया।

सक्सेशन ऑफ टीनेन्सी के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिश की गई जिसके द्वारा आज जो सक्सेशन ऑर्डर है उसे चेन्ज करने के लिये था। क्योंकि आप जानते हैं कि जो पहले माननीय सदस्य, थे उन्होने, जब यह टीनेन्सी लेजिस्लेशन पास हुआ था,

(श्री दामोदरलाल व्यास)

इस पर काफी बहस की कि आया इस सक्सेशन पर पर्सनल लॉ एप्लाई किया जावे या कन्सर्टेड जैसा जयपुर, जोधपुर–मारवाड़ और दूसरी जगहों के भी यू. पी., सी. पी. में जैसा स्पेसिफाइड ऑर्डर ऑफ सक्सेशन दिया हुआ था उसको एडोप्ट कर लिया जावे। अल्टीमेटली इस पर एतराज किया गया, उधर वालों ने भी ऐतराज किया, इसलिये पर्सनल लॉ पर ही रखा गया। मगर लैंड कमीशन ने इस बात की फिर सिफारिश की और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इससे पार्टीशन और फ्रेग्मेन्टेशन ज्यादा हो जावेगा। सरकार ने दुबारा विचार किया और आखिर काफी सोच-विचार के बाद इस नतीजे पर पहुँची कि ऑलरेडी हमने रेवेन्यू एक्ट में ५४–५५ में एक प्रोविजन कर रखा है कि एक हद तक जमीन का पार्टीशन या फ्रेग्मेन्टेशन हो सकेगा, उससे अधिक नहीं हो सकेगा। तो इसके बाद पर्सनल लॉ को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। इसलिये यह सिफारिश गवर्नमेंट ने स्वीकार नहीं की; सरकार इस सिफारिश से एग्री नहीं हो सकी।

इसके बाद जो लैंड कमीशन की सिफारिश थी रिडेम्पशन ऑफ प्रीएग्ज़िस्टिंग मोर्टगेजेज़, वह पैरा ७६ में मिलेगी। यह भी एक इम्पोर्टेन्ट सिफारिश है। इसलिये यह है कि टीनेन्सी एक्ट जब आया, मोर्टगेज पर एक रेस्ट्रिक्शन लगी है कि इतने अर्से के लिये मोर्टगेज कर सकता है। दस साल के बाद फ्री ऑफ लैंड एन्कम्ब्रेन्स रिडीम हो जावेगी और वह वापिस मोर्टगेजर को मिल जावेगी। तो सवाल यह होता है कि यह रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एप्लाई की जावे या नहीं, तो यह रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं हो सकती, बाद के केसों पर होगी। प्री–कोवेनेन्टिंग स्टेटों में ऐसा था कि वहां के अपने कायदे–कानूनों के मुताबिक बहुत से लोगों ने जमीनें मोर्टगेज की थीं और उन पर उनके एग्जिस्टिंग लॉ एप्लाई होते थे। उनके अन्तर्गत साठ साल, तीस साल के भी कई मोर्टगेज के केस थे और actual mortgage transfer of property में Law of Redemption and Foreclosure के बारे में जो कानून ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट में था वह यों का यों एप्लाई होता था। पर सब्सीक्वेन्टली टीनेन्सी एक्ट बना तो इस पर रेस्ट्रिक्शन लग गई टीनेन्ट्स के इन्टरेस्ट में कि नाजायज़ फायदा न उठा सकें और मोर्टगेजर को उसकी इस जमीन से पर्मानेन्टली डिप्राइव न कर दिया जावे। इसलिये यह प्रोविज़न रख दिया था। परन्तु अब जो लैण्ड कमीशन की रिपोर्ट है उसमें सिफारिश की है कि जिस तारीख से यह टीनेन्सी एक्ट आया उसके पहले २० वर्ष के जो मोर्टगेजेज़ हैं free of all encumbrances, redeemed मान लेने चाहिए; इस पर भी लेजिस्लेशन बनना चाहिए। इस सिफारिश को भी सरकार ने स्वीकार किया है और जल्दी ही इसके लिए सदन के अन्दर एक लेजिस्लेशन पेश किया जायेगा जिसके ऊपर माननीय सदस्यों को मौका मिलेगा कि वे अपने विचार व्यक्त कर सकें।

फिर इसके बाद में सीलिंग के इम्पोज़िशन के लिए रिकमन्डेशन की थी। मेरे ख्याल से सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि यह कानून हमारे यहां बन गया है और इसके ऊपर मार्च १९६० में स्वीकृति भी

Page No.41

(श्री दामोदरलाल व्यास)

आ गई है और उसके लिए रूल्स बन रहे हैं और रूल्स के साथ साथ किस एरिया में कितनी सीलिंग हो उसमें करीब ५००–७०० ऑफिसर्स सेटलमेंट डिपार्टमेंट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को वर्क–आउट करने में लगे हुए हैं और जल्दी ही रूल्स और जितना एरिया प्रत्येक एरिया के लिए रखा जायेगा वह राजपत्र में प्रकाशित हो जायेगा और माननीय सदस्यों को इसकी जानकारी मालूम हो जायेगी। सरकार इस कानून को इफेक्टिवली लागू करने के लिए प्रयत्नशील है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस काम में किसी किस्म की देरी नहीं होगी।

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर): पर इसमें देरी बहुत हो रही है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा कि इसके अन्दर 700 Officers are working. जहां कुछ देरी हुई है वहां काम इतना बड़ा है कि देरी होना स्वाभाविक है। आपको यह समझ लेना चाहिए कि हमारी तरफ से देरी नहीं हुई है। पहले तो असेन्ट आने में ही देरी हुई; जब तक एरिया वर्क-आउट नहीं होगा तब तक रूल्स भी नहीं बन सकते; इसलिए एरिया और रूल्स एक साथ ही पब्लिश करने पड़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट–वाइज़ ऑब्जेक्शन्स को तय करने के लिए सारे प्रोविज़न्स रखे जा रहे हैं और दो–तीन महीने से बराबर इस मामले में लग रहे हैं और रेकॉर्ड से सोइल कन्ज़र्वेशन वगैरह की सब की तैयारी कर रहे हैं। मैं जो सूचना आपको दे रहा हूँ वह सही है।

इसके बाद में पैरा ८४ में डिमार्केशन ऑफ ग्रेजिंग ग्राउन्ड्स के लिए सिफारिश की है। इस रिकमन्डेशन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को ये हिदायतें जारी कर दी हैं कि ग्रेजिग ग्राउन्ड्स को डिमार्केट कर दें और उसके बाद में उनको पंचायतों के सुपुर्द कर दें और जहां ऑलरेडी डिमार्केटेड हैं उनको पंचायतों के सुपुर्द कर दिया जावे। मैं समझता हूँ कि जहां पहले से यह ग्रेजिंग ग्राउन्ड्स डिमार्केटेड थे उनको पंचायतों के सुपुर्द कर दिया गया है और जहां नहीं हैं यदि वहां लैण्ड अवेलेबल है तो उसके लिए एस० डी० ओ० के यहां कार्यवाही हो रही है और उसको डिमार्केट कर रहे हैं। इस पर काफी निगाह सरकार की है और इस काम को जल्दी ही तय कर लिया जायेगा और सारे ग्रेजिग ग्राउन्ड्स पंचायतों को दे दिये जायेंगे ....

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू–सु०): सन् ६० के अन्दर हो जायेगा क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप जिस तहसील के रहनेवाले हैं वहां यह ऑलरेडी डिमार्केटेड है और वहां पर ये ग्राउन्ड्स पंचायतों को दे दिए गए हैं। आपकी कॉन्स्टीटुएन्सी के बारे में कह सकता हूं कि वहां पर डिमार्केशन किया हुआ है।

कैटल फेयर वगैरह के लिए कमीशन ने पैरा ८५ में सिफारिश की है इसके लिए....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): कैटल फेयर लैण्ड रिफॉर्म्स के कौन से चैप्टर में है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य ऐसा प्रश्न करते हैं, मैं समझता हूं कि यह सवाल बड़ा दिलचस्प है। आप लैंड की गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया की प्लानिंग कमीशन की जो रिफॉर्म्स के ऊपर बॉडी है उसके मेम्बर हैं और वह खुद जानते हैं। उन्होंने पूछा कि कैटल फेयर लैंड रिफॉर्म्स के अन्दर कौन से चैप्टर में आते हैं, इसके सम्बन्ध में सवाल पूछा है तो मैं वही जबाबे दे सकता था जो मैंने अर्ज किया है। जहां आप लैण्ड की बात करते हैं वहां कैटल की बात पहले आती है।....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): इससे पता यह लगता है कि ऐसे आदमी को आपने भेजा था।

श्री दामोदरलाल व्यास : वे बहुत योग्य हैं और लैण्ड रिफॉर्म्स से उनकी पूरी दिलचस्पी है और जानकारी है। टीनेन्सी लेजिस्लेशन में हमको उनसे जितनी सहायता मिली वह सब माननीय सदस्य जानते हैं। मैंने तो कोई एस्पूरशन्स उनके लिए नहीं किये। मैं जानता हूं, उन्होंने यह सवाल सीरियसली नहीं किया था। इसलिए मैंने भी ऐसा ही जबाब दिया था। आप उनकी योग्यता पर किसी किस्म का डाउट न करें। मैंने कहा कि लैंड का कैटल फेयर के साथ ही सम्बन्ध है, वह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को इम्पलीमेंट करने के लिए लिख दिया है और वह विचाराधीन है और यह बात माननीय सदस्य जानते हैं कि जो पंचायत समिति और जिला परिषद् का कानून है उसके अन्दर यह है कि जितने भी फेयर्स हैं उनका इन्तजाम पंचायत समिति, जिला परिषद् जैसी संस्थायें ही करें। लेकिन जो रिकमन्डेशन की है वह बहुत इम्पोर्टेन्ट है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसको लुक–आफ्टर कर रहा है।

इसके बाद में युटिलाइज़ेशन ऑफ लैंड के बारे में पैरा ८६ में सिफारिश की है। उसके लिए हमने रिपोर्ट के मिलने के बाद में कलेक्टर्स को इस बात के लिए हिदायत भेजी कि जहां जहां जमीन का युटिलाइज़ेशन नहीं हो रहा है और काश्तकारों के पास जमीन खाली पड़ी है उसको युटीलाइज़ करने के लिए इसके तहत कार्यवाही की जाये। मैं आपको सन्तोष के साथ कह सकता हूँ कि कलेक्टर्स ने इन हिदायतों पर कार्यवाही की है और कलेक्टर्स ने इस प्रकार के नोटिसेज़ इश्यू किये हैं कि लैंड युटिलाइज़ेशन एक्ट के तहत लोगों ने अपनी जमीन को युटिलाइज़ किया है और काश्त किया है और जिन्होंने ऐसा नहीं किया है उनके खिलाफ लैंड युटिलाइज़ेशन एक्ट के तहत कार्यवाही हो रही है। पहले क्या होता था कि लैंड युटीलाइज़ेशन एक्ट के तहत जमीन का अलॉटमेंट ३ साल के लिए कर देते हैं उसमें दिक्कत थी कि रीक्लेम करें तो ३ साल के लिए सबलेटिंग बराबर नहीं होता था। इसलिए अभी कुछ ही दिन पहले इस सदन ने एक कानून पास किया जिसमें ३ साल के बजाय इस अवधि को ५ साल कर दिया है। इससे मैं समझता हूँ कि काफी दिक्कतें दूर हो जायेंगी और लैंड भी युटीलाइज़ेशन में आ जायेगी जिससे हमारे देश के प्रोडक्शन में काफी बढ़ोतरी होगी। जमीन भी इससे खाली नहीं रहेगी और काम में आ जायेगी।

Page No.43

(श्री दामोदरलाल व्यास)

'ट्रान्सफर ऑफ ग्रास बीड्स फ्रोम फारेस्ट टू रेवेन्यू डिपार्टमेंट'; इसके लिए सिफारिश कमीशन ने पैरा ८७ में की है। इस पर सरकार ने निर्णय लिया है और उसके लिए आदेश जारी हुए हैं।

गैर मुमकिन लैण्ड्स को कल्टीवेशन में लाने के लिए कमीशन ने पैरा ८८ में सिफारिश की है। यह बहुत इम्पोर्टेन्ट है। जब कहीं सेटलमेंट हुआ था और जो लैंड काबिले काश्त है, पर गैर मुमकिन लैंड है तो उसको अलॉट नहीं किया जा सकता था, इसलिए कि वह सेटलमेंट डिपार्टमेंट के रेकॉर्ड में गैर मुमकिन लैंड दर्ज है। इसलिए ऑर्डर्स जारी कर दिये हैं कि जहां गैर मुमकिन जमीन है और वह काबिले काश्त है तो उसका रेकॉर्ड में से क्लासीफिकेशन चैन्ज कर दिया जाये और ऐसे ऑर्डर्स होने के बाद हजारों बीघा जमीन हर तहसील में लैंड अवेलेबल हो सकेगी जो कि लैण्डलैस पर्सन्स को अलॉट की जा सकेगी। इससे देश में अनाज की प्रौडक्शन बढ़ेगी और जमीन का भी उपयोग उचित रूप में हो सकेगा।

एक सिफारिश लैण्ड कमीशन ने यह की थी कि ग्रेजिंग ग्राउन्ड्स को डिमार्केट किया जाये लेकिन पायतन, अगोर आदि जमीन को ध्यान में रखा जाये ...

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : यह क्या चीज़ है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I will just explain. उसको प्रायोरिटी दी जाये। इसके लिए सरकार ने ऑर्डर्स जारी कर दिये हैं। लेकिन एक कन्ट्रोवर्सी इसमें खड़ी हो रही है कि पायतन, जोड़ और अगोर को ग्रेजिंग ग्राउन्ड्स बनाते समय ध्यान में रखा जाये। यह सरकार के विचाराधीन है और अन्तिम निर्णय नहीं हुआ। अब यह क्या चीज़ है, इसके लिए माननीय सदस्या की जानकारी के लिए बता दूं कि जोड़ बीड़ को कहते हैं और अगोर ऐसा होता है कि अपने यहां राजस्थान के अन्दर पहले कुछ गांव वालों ने, कुछ राजाओं ने बहुत सी जमीन देवीजी के नाम फॉरेस्ट के नाम डिमार्केट करा दी थी जिसकी सैंक्टिटी ऐसी थी कि वहां पर कोई भी लकड़ी नहीं काट सकता था और वह सिर्फ घास वगैरह के चरने के लिए होता है। उसकी रिकमन्डेशन जो है पैरा ९१ में है

लैंड कमीशन का एक सुझाव लैंड मैनेजमेंट के लिए है। लैंड मैनेजमेंट के लिए कमीशन ने यह सुझाव दिया है कि कानून बनाना चाहिए। तो इसके लिए मैं अर्ज करूं कि हमने विचार किया और हमने यह सोचा कि अभी वह स्थिति नहीं आई है कि हमारे यहां राजस्थान में लेजिस्लेशन के द्वारा लैंड मैनेजमेंट कराया जाय। लैंड मैनेजमेंट लार्ज होल्डिंग्स पर लगाना ठीक हो सकता है। लार्ज होल्डिंग्स के लिए हमने ऑलरेडी सीलिंग का लेजिस्लेशन बनाया है और उसके अन्दर वैल मैनेज्ड फार्म्स कितने हैं और नोन मैनेज्ड फार्म्स कितने हैं, इसकी व्यवस्था की है। लेकिन लैंड मैनेजमेंट के लिए लेजिस्लेशन सेपरेट लाना, यह रेस्ट्रिक्शन लगाना सम्भव नहीं है। जो ऑर्डिनरी स्मॉल होल्डिंग्स हैं, ऑर्डिनरी टीनेंट्स हैं उन पर लेजिस्लेशन के जरिए लैंड मैनेजमेंट लागू करना मुना-

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सिब नहीं है। इसलिए जो रिकमन्डेशन थी इस लैंड कमीशन की उसको सरकार ने स्वीकार नहीं किया और वह इस तरह से छोड़ दिया गया है।

दूसरी बात कोऑपरेटिव फार्मिंग की है। जैसा मैंने आपसे अभी कहा कि लैंड मैनेजमेंट लेजिस्लेशन का तो सवाल ही नहीं है, लार्ज होल्डिंग्स के लिए जो रूल्स बनेंगे उससे ये गवर्न हो जायेंगे और कोई बात मेरे ख्याल से दिक्कत की रहेगी नहीं।

एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स के लिए सिफारिश की गई है पैरा ६४ के अन्दर, जिसे एबोलिश कर दिया गया है। इसलिए मैं समझता हूं कि रिकमन्डेशन को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है।

फिर सोइल इरोज़न के लिए पैरा ६५ में सिफारिश की गई है। लैंडकमीशन की सिफारिश के अनुसार सोइल इरोज़न के लिए लेजिस्लेशन बनाने के लिए हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को लिख दिया है और वे इसे बना रहे हैं। जब वह सदन के सामने आयेगा तभी विचार हो सकेगा। मैं नहीं जानता कि कितनी प्रोग्रेस उसमें हुई है। मैं समझता हूं कि इस बिल को सदन के सामने माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब जब रखेंगे तभी हमको उस पर कुछ अपना मुलाहिजा करने का, कुछ अपने ख्यालात इज़हार करने का मौका मिलेगा।

इसके बाद कन्सोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स के लिए जो कमीशन ने सिफारिश की है वह पैरा ६६ के अन्दर है। इसके सम्बन्ध में निवेदन है कि राजस्थान के अन्दर काफी तेजी के साथ कन्सोलिडेशन का वर्क हो रहा है और जहां कहीं भी ज्यादा फ्रेगमेंटेशन है वहां पर कार्य चल रहा है और आगे भी काफी तेजी से कार्य किया जा रहा है।

इसके बाद में उन्होंने पैरा ६७ के अन्दर जो सुझाव इस बात का दिया है "Appointment of a Committee for simplification of revenue laws," जितने रेवेन्यू लॉज हैं उनको सिम्प्लीफाइ करने के लिए एक कमेटी बनाने का जो सुझाव है तो एक कमेटी अपोइन्ट करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और मैं माननीय सदस्यों को बताऊं कि उस कमेटी का अपोइन्टमेंट जल्दी ही हो जायेगा जो रेवेन्यू लॉज़ को स्टडी करके जहां सिम्प्लीफिकेशन की आवश्यकता होगी उसको करेगी। माननीय सदस्य जो लेजिस्लेशन के अन्दर दिलचस्पी रखते हैं वे भी इसमें रहेंगे चाहे वे आप हों, चाहे आप हो। (सामने के माननीय सदस्यों की ओर संकेत करते हुए)

एक बहुत ही अहम सवाल है जिसके ऊपर लैंड कमीशन ने रिकमन्डेशन की है कि लैंड रिफॉर्म्स जितने भी हुए हैं उसका इफेक्ट ऑन पीजेंट्री क्या हुआ है, इसकी जांच करने के लिए एक कमेटी मुकर्रर की जाय। इसके लिए एक कमेटी तो है, लेकिन हम एक ऐसी कमेटी मुकर्रर करना चाहते हैं जो गांवों के अन्दर जाकर एक्चुअल इकोनोमिक कंडीशन इम्प्रूव करने में लैंड रिफॉर्म्स ने कितनी मदद की है और उसका क्या इफेक्ट हुआ है; इसका इस तरह से सर्वे हो जाय इस तरह की एक कमेटी मुकर्रर करना चाहते हैं और उसके साथ साथ.......

श्री लादूराम सुलाखिया (दूदू–सु०) : यह कमेटी क्या सारे राजस्थान के लिए होगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : It is not proper to interrupt me; यह तरीका ठीक नहीं है कि आप बीच बीच में इन्टरप्ट करें। आप बात पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। कमेटी किसके लिए मुकर्रर की जा रही है और आप सवाल दूसरा पूछ रहे हैं, मैं बात दूसरी कह रहा हूं।

एक और इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है इकोनोमिक कंडीशन के लिए। हमारे टिनेंसी एक्ट के अन्दर स्पेसिफिक प्रोविज़न है सेक्शन फिफ्टीन और नाइनटीन में। पिछले आठ–दस महीनों के अन्दर एक वार लेवल पर इसके लिए काम हुआ है और सेक्शन १५ और १६ के तहत एंटरीज़ करने में हर ज़गह कार्यवाही की है और मैं अभी तो इस पोज़ीशन में नहीं हूं लेकिन कुछ समय के बाद ही में इस पोज़ीशन में हो सकूंगा फैक्ट्स एन्ड फिगर्स के द्वारा कि राजस्थान भर के कि कितने टिलर्स हैं, कितने टीनेंट्स और सब टीनेंट्स हैं, कितनों को खातेदरी राइट्स दिये जा चुके हैं आदि सारे आंकड़े सदन के समक्ष रखने की स्थिति में हो सकूंगा। मैं आपसे यह कह सकता हूं कि इसके लिए कमिश्नर्स और कलेक्टर्स के पर्सनल लेवल पर यह कार्यवाही चल रही है और काफी प्रगति इसके अन्दर हुई है। तो इस प्रकार लैंड कमीशन की जो एक बहुत बड़ी रिकमन्डेशन है वह इम्प्लीमेंट हो जायेगी।

इसी तरह से एक दूसरी रिकमन्डेशन कमीशन ने की है पैरा ६६ में। एक कमेटी मुकर्रर करें छोटी सी जो सुपरविजन करे एन्फोरसमेंट ऑफ लैंड मैनेजमेंट लेजिस्लेशन को। जैसा मैंने अभी आपसे अर्ज किया दो कमेटी इसके लिए बन जाती हैं, एक तो जो इम्पोरटेन्ट लेजिस्लेशन लैंड रिफार्न्स के लिए बनाए गए उनका इफेक्ट देखने के लिए जो इम्पोरटेन्ट लैंड रिफार्म्स लेजिस्लेशन हैं उनका इकोनोमिक कन्डीशन पर, लोगों के बैटरमेंट पर क्या इफैक्ट हुआ है, इसको देखने के लिये और दूसरी सिम्प्लीफिकेशन ऑफ लौज के लिए। इसकी ही एक सब–कमेटी बना कर ही इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जायेगी।

ये बातें मैंने माननीय सदस्यों को जो रिपोर्ट अभी आपके सामने दर पेश है, लैंड कमीशन की रिपोर्ट है उसके लिए गवर्नमेंट ने उन रिकमन्डेशन पर क्या क्या एक्शन लिया; यह मैंने आपकी जानकारी के लिए बताई हैं। अब मैं यही अर्ज करूंगा कि इसके ऊपर माननीय सदस्य अपने अपने विचार और रिपोर्ट पर गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया है उस पर अपने विचार प्रकट करें और उनके जो सुझाव हों उन्हें सदन के समक्ष रखें। मैं उन पर विचार करूंगा।

(दो–तीन माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीभानसिंह।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय अध्यक्ष, आज राजस्थान राज्य के भूमि आयोग ने जो रिपोर्ट दी है उस पर सदन को विचार रखने का मौका मिला है। हम राजस्थान स्टेट लैंड कमीशन की रिपोर्ट देखें

(श्री भीमानसिंह)

तो कम से कम मेरे को यह लगता है कि राजस्थान का कोई पूर्व या प्राचीन इतिहास जो है वह सदन के सामने रखा जा रहा है। सदन और राजस्थान की जनता इसमें दिलचस्पी नहीं रखती कि राजस्थान गवर्नमेंट ने किस किस साल के अन्दर किस किस तारीख को कौन कौन से लैंड लेजिस्लेशन पास किये। राजस्थान की जनता और राजस्थान की विधान सभा के ये सदस्य इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि किस किस सन् के अन्दर, जिस जिस साल के अन्दर लैंड रिफॉर्म का लेजिस्लेशन पास किया, उसका जनता पर क्या असर पड़ा ? तो पहले तो मैं यह समझता नहीं कि सदन का समय क्यों व्यर्थ में एक एन्शियेंट हिस्ट्री की किताब पर व्यतीत किया जा रहा है ? लैंड कमीशन की जो यह रिपोर्ट आपने यहां सदन के सामने विचारार्थ रखी तो मेरा सबसे पहला सवाल तो यह है कि जिन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए, जिन लक्ष्यों की ओब्जेक्टिव्ज़ को एचीव करने के लिए हमने रिफॉर्म्स किये, हमने लेजिस्लेशन पास किया उन ओब्जेक्टिव्स को हमने एचीव किया भी या नहीं किया। मगर सबसे पहले मैं इस लैंड कमीशन को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता हूं, मगर मैं आपसे यह पूछता हूं कि जिस मकसद से यह लैंड कमीशन बनाई गई उस मकसद की पूर्ति हुई या नहीं ? क्योंकि इसके चेयरमैन सदन के माननीय नेता थे और इसके वाइस चेयरमैन माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर थे। इस कमीशन ने जिन ओब्जेक्टिव्ज के लिए यह अपॉइन्ट की थी उसके जो टर्म्स और रेफरेंस थे उनके अनुसार उसने रिपोर्ट सब्मिट की है या नहीं ? इस कमीशन के टर्म्स एन्ड रेफरेंस में यह नहीं लिखा है कि किस साल के अन्दर राजस्थान विधान सभा ने किस लेजिस्लेशन को पास किया, मगर टर्म्स एन्ड रेफरेंस में यह है : To studg the land reforms already introduced in Rajathan, : ascertion how far these have been actually implemented," आयोग की इस कमीशन की रिपोर्ट में आपको कहीं भी यह नहीं मिलेगा कि किसी जगह पर भी किसी लेजिस्लेशन को इस दृष्टि से देखा हो कि इसे इम्पलीमेंट किया या नहीं। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं "हैव बीन इफेक्टिवली इम्पलमेंटेड" इसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। इसके योग के अन्दर आप देखेंगे कि सिवाय इसके कि कहां पर ग्रोस लैण्ड डिमार्केट कर देना चाहिए, किस तरह से फोरेस्ट लैण्ड को रेवेन्यू लैण्ड के अन्दर दे देना चाहिए, इस तरह की सिम्पल रिकमन्डेशन के सिवाय इस कमीशन ने कोई ऐसा सजेशन नहीं दिया राजस्थान के अन्दर कि जिसको यह कहा जाय कि इस कमीशन को एपोइन्ट करने की राजस्थान के अन्दर जरूरत थी। वह अगर प्लानिंग कमीशन ने सजेस्ट किया तो इसका मतलब यह नहीं कि हरएक स्टेट को एपोइन्ट करना चाहिए। मगर जिस मकसद से कमीशन को एपोइन्ट करना चाहिए था और जो रिपोर्ट इस कमीशन ने दी है उससे ऐसा मालूम होता है कि कमीशन ने बिल्कुल टर्म्स ऑफ रेफरेन्स को एक तरफ रख दिया है। एक लॉ की लीगल टर्म्स के अन्दर, कोई कानून के अन्दर लीगल इन्टरप्रिटेशन आदि की जो ड्राफ्टिंग की कमियां हैं उस तरफ ज्यादा ध्यान दिया।

दूसरा जैसा कि टर्म्स ऑफ रेफरेन्स है "Make their suggestion for the drafting of land management legislation

(श्री श्रीमानसिंह)

and rules." मुझे अफसोस है कि राजस्थान की राज्य सरकार कमीशन एपोइन्ट करती है और वह इसलिए एपोइन्ट करती है कि राजस्थान की राज्य सरकार ने लैण्ड मैनेजमेंट के लिए क्या लेजिस्लेशन, क्या रूल्स राजस्थान में बनाये हैं, मगर उससे वाइस चेयरमैन खुद ही इस तरह से प्रेजुडिस्ड थे कि उन्होंने सदन के सामने कह दिया कि लैण्ड मैनेजमेंट में कुछ हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। तो फिर कमीशन को एपोइन्ट करने की और ये टर्म्स ऑफ रेफरेन्स में देने की जरूरत क्या थी ? जब कि राज्य सरकार ने पहले से ही यह निर्णय कर लिया कि वे लैण्ड मैनेजमेंट में हस्तक्षेप नहीं करेगी तो दूसरा टर्म्स ऑफ रेफरेन्स यह देने की मैं समझता हूं जरूरत ही नहीं थी । राजस्थान के अन्दर ही नहीं; हिन्दुस्तान के अन्दर लैन्ड मैनेजमेंट को देखना बहुत जरूरी है । हम इस दृष्टिकोण से देखें कि अगर हम प्रोडक्शन को इन्क्रीज़ करना चाहते हैं तो कुछ न कुछ लीगल मेजर्स लेने पड़ेंगे जिससे कि लैण्ड मैनेजमेंट को हम एफिशियन्ट लेवल पर ला सकें। अगर राजस्थान की राज्य सरकार यह नहीं जरूरत समझती है कि लैण्ड मैनेजमेंट के अन्दर हस्तक्षेप करे, जैसा कि उन्होंने कहा तो मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि बिग फार्म्स के आपके पास आंकडें मौजूद हैं, राजस्थान के अन्दर बिग फार्म्स हैं, उन बिग फार्म्स को एफिशियन्ट लेवल पर लाने के लिए, किस तरह से उसके लिए रूल्स बनाये जायं, या किसी तरह की उनको फैसिलिटी दें या किस तरह से उनके ऊपर ओवर ऑल सुपरवीज़न किया जाय ?

थर्ड टर्म्स ऑफ रेफरेन्स है "Superintend and ensure the enforcement of such legislation" तीनों टर्म्स ऑफ रेफरेन्स मैंने सदन के सामने पढ़े हैं, और तीनों ही टर्म्स ऑफ रेफरेन्स सदन ने इस कमीशन की रिपोर्ट में पढ़े होंगे। इन तीनों टर्म्स ऑफ रेफरेन्स पर कमीशन बिल्कुल साइलेन्ट है । राजस्थान लैंड रिफार्म्स का इतिहास जो शायद ५० पन्नों के अन्दर दिया है ; उन्होंने जरुरी समझा और दे दिया, और उसके आगे उन्होंने जो रिकमन्डेशन की है, उन रिकमन्डेशन्स के अन्दर इन तीनों टर्म्स ऑफ रेफरेन्स के ऊपर कमीशन बिल्कुल ही साइलेन्ट है। जो कमीशन का उद्देश्य था और जिसके लिए प्लानिंग कमीशन ने एपोइन्ट करना नैसेसरी समझा था कि हरएक स्टेट गवर्नमेंट इस तरह का कमीशन एपोइन्ट करे। वह उद्देश्य जो था वह यह था जो कि इसके अन्दर दिया हुआ है । फर्स्ट फाइव इयर प्लान में प्लानिंग कमीशन ने कहा है:—

"The Planning Commission expressed the view that a stage had been reached when new measures of land reforms should be based on an objective assessment of the working of measures already introduced."

जो मेजर्स अब तक हो गये हैं इन्ट्रोड्यूस राजस्थान में उनके ऊपर ऑब्जेक्टिव एसेसमेंट किया जाय, मगर वह ऑब्जेक्टिव एसेसमेंट तो कमीशन ने किया नहीं, और ऑब्जेक्टिव एसेसमेंट हो नहीं सकता, क्योंकि जो ऑफिसर्स इसके अन्दर ऑलरेडी थे वे आफिसर उस केटेगरी के थे जो ऑलरेडी मेजर्स को कॉम्प्लीकेटेड बनाने में पूरी दिलचस्पी राजस्थान के अन्दर रखते हैं ।

(श्री श्रीमानसिंह)

जितने भी लैंड रिफार्म्स राजस्थान के अन्दर इन्ट्रोड्यूस हुए हैं वे लैंड रिफार्म्स सारे राजस्थान के दृष्टिकोण से लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुए, मगर एक एरिया या किसी व्यक्तिगत दृष्टिकोण से राजस्थान के लैंड रिफार्म्स हुए हैं और लैंड रिफॉर्म्स को कॉम्पलीकेटेड बनाने में वे आफिसर्स रेस्पान्सिबल थे और वे ही ऑफिसर्स इस कमेटी (कमीशन) के मेम्बर्स थे। इसलिए हम यह कह दें कि अगर यह कमीशन ओब्जेक्टिव एसेसमेंट करता राजस्थान के लैंड रिफार्म्स का तो वह ओब्जेक्टिव एसेसमेंट इफेक्टिव नहीं था।

फिर भी जैसा कि मैंने कहा कि इस कमीशन ने इसमें कुछ तथ्य, इसमें कुछ फैक्ट्स दिये हैं डिस्कस करने के लिए तो सदन इस बात के लिए डिसएपोइन्ट होगा, क्योंकि इस कमीशन ने न तो कोई फैक्ट्स दिये हैं, न फिगर्स दिये हैं। सिर्फ तारीख वाइज़ कौन सा लेजिस्लेशन कब पास किया गया यह दिया है। तो उन लेजिस्लेशन्स को, मैं समझता हूं कि सदन फिर से रीओपन करके उन लेजिस्लेशन्स को डिसक्स नहीं करना चाहता है। अगर हमारे लैंड रीफॉर्म्स एक ओब्जेक्टिव था कि राजस्थान के अन्दर चाहे इन्टरमीजियरीज़ को हटायें, चाहें रेन्ट कन्ट्रोल का पास हुआ, चाहे वह लैंड युटिलाइजेशन का है, यह कहा जाय कि आज तक ६ साल में जितने भी लैंड रिफॉर्म्स के मेजर्स राजस्थान के अन्दर लिये गये हैं उतने शायद ही किसी स्टेट ने नहीं लिये हैं। चाहे आप कह दें कि आप बहुत प्रगतिशील हैं। अगर प्रगतिशील राज्य सरकार को मान कर चलें तो प्रगतिशील रिफॉर्म्स जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लेजिस्लेट किये गये हैं क्या उन उद्देश्यों की पूर्ति हुई है ?

हम सबसे पहले देखें कि लैंड कमीशन ने खुद ने लैंड लेजिस्लेशन को जो देखा है संविधान के जो डाइरेक्टिव प्रिन्सीपल्स हैं वे माननीय सदस्यों को सब को मालूम हैं। उनके मुताबिक लैंड रिफोर्म्स के ओब्जेक्टिव यह मान कर चलें कि उन्होंने वेलुएट किये हैं। जो संविधान के डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स हैं उनके अन्दर मैं यह कहूं कि कुछ सोशलिस्टिक वेल्यूज़ हैं। आप चाहें यों कह दें कि उनके अन्दर सोशलिज्म की बू आती है। डाइरेक्टिव प्रिन्सीपल्स सोशलिज्म की तरफ क्या करते हैं, मगर मैं मान कर चलता हूं कि संविधान ने जितनी भी कुछ वेल्यूज़ हमारे सामने रखी हैं और वेल्यूज़ आर्टीकल्स के अन्दर दी हुई हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट मिले, स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, लेबरर्स की वेजेज़ बढ़े, चाहे वे एग्रीकल्चर के हों या इन्डस्ट्रीज़ के, एक लेवल ऑफ वेज फिक्स किया है जो कि मिनिमम ऑफ वेजेज़ एक्ट के लिए है। इस तरह से एक व्यवस्था दी है डाइरेक्टिव प्रिन्सीपल्स के अन्दर। उस व्यवस्था को, सोशलिस्टिक वेल्यूज़ को हमने कहां तक इन लेजिस्लेशन्स से एचीव किया है ? पहला तो यह उद्देश्य रखना पड़ेगा। दूसरा उद्देश्य यह रखना पड़ेगा कि आखिर एग्रेरियन स्ट्रक्चर जो था जिसको कि हम फ्यूडल स्ट्रक्चर कहते थे, क्रिटिसाइज़ करते थे, जिसको हियरार्कीकल कहते थे, क्या उस स्ट्रक्चर को इन लैंड रिफॉर्म्स ने चेन्ज कर दिया। और तीसरा ऑब्जेक्टिव हमको रखना पड़ेगा, वह मोर प्रोडेक्शन का ऑब्जेक्टिव

Page No.49

(श्री श्रीभानसिंह)

आज सब चीजों को एलिमिनेट करके, चाहे कुछ कहें, पेरासाइट कहें, इन्टरमिजियेरीज़ कहें, कुछ भी टर्म्स उनको दें, उन सब को एलिमिनेट करके टिलर ऑफ दी सोइल जिनको हम कहते थे कि उनको जमीन देनी चाहिये, उन टिलर्स ऑफ दी सोइल को जमीन देकर क्या एग्रेरियन इकोनोमी के अन्दर, काश्तकारों के अन्दर कल्टीवेट करते थे उनको हमने ऐसा इन्सेन्टिव दिया जिससे कि राजस्थान का जो प्रोडक्शन है, जिस लेवल पर था, जिस स्टेज पर था, वह प्रोडक्शन राजस्थान का बढ़ा है या नहीं बढ़ा है ?

इन तीनों पॉइन्ट ऑफ व्यूज़ से राजस्थान लैंड रिफॉर्म्स के बारे में मेरी जो ओपीनियन है वह सदन के सामने रखना चाहूंगा। पहला जो मैंने कहा कि डाइरेक्टिव प्रिन्सीपल्स में समाजवाद की वेल्यूज़ दी हुई है। उन वेल्यूज़ को सदन के माननीय सदस्य बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मगर समाजवाद की वेल्यूज़ के अन्दर आप यह देखेंगे कि समाजवाद की वेल्यूज़ एक पुअरमैन की वेल्यूज़ हैं। एक रिचमैन या जिसको कहा जाय केपिटलिस्ट या पूंजीपति, जो कुछ भी कहें, एक रिचमैन या बिगर लैंड होल्डर्स की वेल्यूज़ नहीं है। राजस्थान के राज्य में क्या होता है कि हम समाजवाद के दृष्टिकोण और यह भी मैं कह दूं कि हम समाजवाद के नारे की आड़ में पूंजीपति की वेल्यूज़ को एक्सेप्ट हमारे लैंड रिफॉर्म्स में करते हैं और लैंड रिफार्म्स राजस्थान में हुए हैं उनके अन्दर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर कहा जाय तो लैंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है और सबसे पहला राजस्थान में जो पुअर एलीमेंट है वह राजस्थान का लैंडलैस लेबरर है जिसको कि एग्रीकल्चरल लेबरर मैं कहता हूं।

१. म० प०

हम लैंड लैस लेबरर्स को अगर एक्सप्लोइट करते हैं तो एक वर्कर और एक मालिक को एक्सेप्ट करते हैं और उसकी वेज फिक्स करते हैं तो वहां पर जो कैपिटेलिस्ट (पूंजीवाद) का सिद्धान्त है, मास्टर और वर्कर का सिद्धान्त है और वर्कर या लेबरर को एक्सप्लोइट करने का सिद्धान्त है उस सिद्धान्त को राजस्थान के टीनेन्सी लॉज़ ने माना है और राज्य सरकार ने उस पर जोर दिया है मिनिमम वेजेज़ फिक्स करके। आज मैं जानता हूं कि आप मेनेजमेंट को टच नहीं करना चाहते हैं। लेकिन बड़े २ फार्म्स पर जो लेबरर्स वर्क करते हैं उनकी वेजेज़ क्या है, क्या कभी इसकी भी इन्क्वायरी आपने की है ? राजस्थान में मिनिमम वेजेज़ एक्ट लागू करना चाहिये था। लेकिन राजस्थान सरकार कम्पलीटली लागू नहीं कर सकी है, या लागू नहीं करना चाहती है स्थिति पहले के फ्यूडल टाइम में एक्सप्लोइट करने की थी वही आज भी है। नियम बनाया करें कि हम लैंड उनको अलॉट करेंगे जो भूमिहीन होंगे लेकिन उसमें सक्सेस नहीं मिल सकी। माननीय सदस्य जानते हैं कि राजस्थान में भूमिहीन किसानों की तादाद घटी नहीं है। यह मैं नहीं कह सकता कि राजस्थान में कितने भूमिहीनों को जमीन मिल गई है। राजस्थान में उन आदमियों को, जिनको आप टिलर ऑफ दी सोइल कह सकते हैं उनको भी, भूमिहीन

(श्री श्रीमानसिंह)

किसानों को जमीन मिल गई है या ही मैं विशेष इस बारे में नहीं कहूंगा । जिनके पास पुल या जेक था उनको मिल गई होगी। जो लेबरर्स थे उनकी हालत भी जैसी पहले थी जब कि कमीशन ने रिपोर्ट की थी उसमें कुछ खास फर्क नहीं दिखलाई देता । हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि लैंड रिफोर्म्स का एन्ड (end) राजस्थान सरकार ने एचीव कर लिया, पूरा लैंड रिफोर्म कर दिया। इतना होने के बाद भी एग्रीकल्चरल लेबरर्स जो अनइकोनोमिक होल्डिंग के मालिक हैं उनके पास जो लैंड है उसकी क्या हालत है ? समाजवाद का प्रिन्सिपल जिसे कि हमारे यहां डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल के तौर पर माना गया, इक्वेलिटी ऑफ ऑपोर्चुनिटी का कॉन्स्टिट्यूशन ने डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल दिया। उसको लैंड रिफोर्म के जरिये इस तरह से एचीव किया जाना चाहिये था। लेकिन मैं यहां पर दृढ़ता के साथ कह सकता हूँ कि इस समाजवादी सिद्धान्त की जगह एक पूंजीवादी सिद्धान्त को राजस्थान के एग्रीकल्चर में हमने लैंड रिफोर्म के जरिये पूरी दृढ़ता से राजस्थान की एग्रेरियन इकोनोमी में जोड़ दिया। यह मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है। जो सिद्धान्त कमीशन ने बताया था उसे राजस्थान में लैंड रिफोर्म के जरिये कुछ भी सक्सेस एचीव नहीं कर सकें।

दूसरा ऑब्जेक्टिव यह है कि राजस्थान के एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर में पहले जब कि लैंड रिफॉर्म नहीं था तब से अब जब कि लैंड रिफोर्म्स आये तो हमने उसमें क्या चेन्जेज़ कीं ? पहले हमारे यहां जागीरदार, जमीदार आदि थे। उस समय उनके नीचे टीनेन्ट्स थे और उनके नीचे रेन्टेड लेबरर्स थे जो वर्क करते थे । आज का जो स्ट्रकचर है उसको हम तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक वे हैं जो जमीन के मालिक हैं और जमीन पर मेहनत नहीं करते लेकिन जमीन से जो आमदनी होती है उसका ज्यादा हिस्सा उनके पास जाता है। चाहे उनको आप जागीरदार कहिये, चाहे जमीदार या बिस्वेदार कहिये या, गंगानगर जिले के मालिक कह दीजिये । दूसरी किस्म के वे लोग हैं जो टीनेंट्स पहले भी थे लेकिन जिनकी सिक्योरिटी नहीं थी और उनको हेरिडेटरी राइट नहीं था, पर कल्टीवेशन करते थे। तीसरे वे लोग थे जो इनसिक्योर्ड लेबरर्स थे जो लेबर करते थे । ये तीनों केटेगरीज़ पहले भी थीं और वे ही तीनों केटेगरीज़ आज भी राजस्थान के नवें साल में वैसी ही एग्रीकल्चर स्ट्रकचर में आज भी मौजूद हैं। इनको हम एग्रेरियन स्ट्रकचर से रिमूव नहीं कर सके और जो हमने नारा लगाया था कि "टिलर ऑफ दि सोइल" को मालिक बनायेंगे उनको आज भी मालिक नहीं बना सके और तीनों को अलग नहीं कर सके। राजस्थान में एग्रीकल्चरल रिफोर्म्स से जो एचीव करना चाहते थे उनमें सबसे बड़ी कमजोरी आज भी मौजूद है ।

खातेदरी टीनेन्ट्स मौजूद हैं जिनको हम कहते हैं कि जो जमीन पर परिश्रम नहीं करते हैं उनको जमीन की इन्कम लेने का हक नहीं है क्योंकि लेबर कॉन्ट्रिब्यूट नहीं करते। हमने हालांकि हेरिडेटरी राइट्स दिये और यह प्रोविज़न रखा कि जो कोई पर्सनली कल्टीवेशन करता है या जिसके नाम पर लैंड दर्ज है या जो रिज़्यूम करना चाहता है वह रिज़्यूम कर सकता है। इस रिज़म्पशन के

(श्री श्रीभानसिंह)

क्लॉज़ को लेकर हमने जितने टीनेन्सी लेजिस्लेशन बनाये उनके मकसद और ओब्जेक्टिव को खत्म कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि जिस क्लॉज़ को हम इनइफेक्टिव बनाना चाहते थे एग्रेरियन इकोनोमी से, जिसे हम रिमूव करना चहते थे उनको रूरल इकोनोमी में फर्मली स्टिक कर दिया यह सबको मालूम है। चाहे कोई भी आदमी जो एग्रीकल्चर का काम करे, न करे उसको ज़मीन मिल सकती है। प्लानिंग कमीशन ने यह सिद्धान्त रखा था कि उस स्टेज को लाया जाय जिसमें आदमी को कम्पेल किया जा सके कि वह पर्सनल लेबर करे। लेकिन इस डाइरेक्टिव को नहीं माना। कोई आदमी पर्सनल लेबर करे, न करे; चाहे वह किसी भी केटेगरी में आता हो उसको लैंड दी जा सकती है। जिस स्ट्रकचर को रिमूव करने के लिये हमने टीनेन्सी लॉज़ बनाये, उनको हमने एक्सेप्ट कर लिया। उससे क्या हुआ कि जिनके पास खुद काश्त की जमीन रही ऐसे लोगों के पास जो एग्रीकल्चर में इन्ट्रेस्ट नहीं लेना चाहते थे उनको जमीन का मालिक मान लिया और कह दिया कि वे अपना लिविंग जमीन से ले सकते हैं और जो आदमी जमीन पर लेबर करते हैं और नेशन के लिये व राज्य के लिये कांट्रिब्यूट करते हैं उनको यह कह दिया कि तुम जिस पोज़ीशन में हो उसी में रह सकते हो। लैंडलेस लेबरर्स का स्टेन्डर्ड चाहे बढ़े न बढ़े, इस बात की परवाह नहीं रही। जो स्ट्रकचर एबोलिश करना चाहते थे उसको राजस्थान सरकार ने डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल के तौर पर मान लिया। आज वही स्ट्रकचर मिलेगा जिसमें मालिक, काश्तकार और लेबरर यह ट्रिपारटाइट सिस्टम मिलेगा। इनका डिफ्रेन्शियेशन आप साफ तौर से देख सकते हैं। आप किसी भी तहसील को ले लीजिये और वहां पर देखिये कि एक आदमी अपनी इन्कम किस तरह से ड्रॉ करता है। मालिक उसको मानते हैं जो जमीन से इन्कम ड्रॉ करता है, लेकिन खुद मेहनत नहीं करता और जमीन का पूरा शेयार लेता है। यह क्लास जो पहले जागीरदार, जमीदार के नाम से थी वह आज भी मिलेगी। दूसरी क्लास उन टीनेन्टस् की है जिनका जमीन पर हेरिडेटरी राइट है और जो खुद भी अपनी लेबर कांट्रिब्यूट करते हैं। और तीसरी क्लास वह है जिनके पास न तो अपनी जमीन है और न मालिकाना हक है। वे पार्टली लेबर करके अपनी इन्कम कमाते हैं और पार्टली अपनी लेबर टाउन्स में करके रोजी कमाते हैं। ये ही तीनों स्ट्रकचर पहले थे और ये ही तीनों आज भी मौजूद हैं। राजस्थान में हमें लैंड रिफोर्म्स से कोई सक्सेस मिली हो; ऐसा नहीं दिखाई देता।

हमें इकोनोमिक पोइन्ट ऑफ व्यू से यह देखना है कि जो कुछ हम करें, चाहे लैंड रिफोर्म्स के जरिये, चाहे और किसी जरिये से; राजस्थान का उत्पादन बढ़ना चाहिये। यदि रिफोर्म्स करने पर भी प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है तो फिर रिफोर्म्स करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें ब्रोड आउट लुक से चलना है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ावें। यदि प्रोडक्शन बढ़ता है तो लिविंग स्टेन्डर्ड भी बढ़ सकता है। आज हमारा बेसिस ऑफ इकोनोमी जो है वह है प्रोडक्शन। लेकिन लैंड रिफोर्म्स से जो हमें इन्सेन्टिव मिलना चाहिये था वह नहीं मिला और नहीं मिलने

(श्री श्रीभानसिंह)

के रीज़न्स हैं।

मैं यह चाहता हूं कि एक कमेटी और बनाई जाय जो यह बतावे कि कहां इम्पली-मेन्टेशन में गड़बड़ी हुई और जो ऑब्जे-क्टिव एचीव करना चाहते थे उसे एचीव क्यों नहीं कर सके, या लैंड रिफोर्म्स को जितना इफेक्टिव बनाना चाहते हैं उतना इफेक्टिव क्यों नहीं बना सके। तो यह इन्से-न्टिव काश्तकार को देना चाहते थे वह क्यों नहीं दे सके और क्यों प्रोडक्शन नहीं बढ़ा ? हर साल के फिगर्स देख कर बतायेंगे तो एवरेज फिगर्स बढ़ सकते हैं। राजस्थान में जो टोटल प्रोडक्शन है और जो पहले था, राजस्थान में पहले स्टेटिस्टिक्स नहीं थे, अब आप इसके जो फिगर्स देंगे, वे ही ठीक माने जायेंगे? हम उनकी तुलना नहीं कर सकते कि कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया ? हमें एवरेज प्रोडक्शन नहीं बढ़ाना हैं, हमको रूरल इकोनोमी में प्रोडक्शन सरप्लस क्रियेट करना है। जो प्रोडक्शन होना चाहिए, जो हमें रूरल इकोनोमी करनी है, वह लैंड मेजर्स से, लैंड रिफॉर्म्स से क्रियेट नहीं हो सकती। जो फार्मर में लाइफ आनी चाहिए, जो सिक्योरिटी ऑफ इनहेरीटेन्स आनी चाहिए वह तब तक नहीं आ सकती जब तक रूरल इकोनोमी में पोटेन्शियल सरप्लस नहीं होता। वह जिस हद तक करनी चाहिए, उसमें कुछ न कुछ कम होती है राजस्थान में जितने टीनेन्सी लॉज़ बने हैं, मैं समझता हूं, बहुत से मान-नीय सदस्य, मैं कम से कम नहीं जानता कि टीनेन्सी लॉ इतने बने हैं। फिर हम देखते हैं कि राजस्थान का एक काश्तकार, जो पढ़ा-लिखा नहीं होता उसको क्या मालूम पड़ सकता है कि राजस्थान राज्य सरकार ने कितने भूमि सुधार कानून बनाये हैं ? आपने आज तक कोई एजेन्सी ऐसी नहीं बनाई। राजस्थान के काश्तकारों जो कोई प्रिविलेजेज़ आपने दिये हैं, जो कम राइट्स आपने दिये हैं, आप यह भी कहें कि जो कुछ राइट्स और प्रिविलेजेज़ आपको काश्तकार को देने थे वे सब दे दिये। लेकिन राजस्थान का काश्तकार यह नहीं जानता कि क्या राइट्स और प्रिविलेजेज़ आपने उसको दिये हैं। उसको कुछ उस दिन मालूम पड़ता है जब या तो आपका पटवारी उसको जमीन से रिमूव करता है या कोई न कोई इजेक्ट करता है या सूट करता है, तब उसको मालूम पड़ता है, यानि कोर्ट ऑफ लॉ में उसको सबसे पहले यह बात मालूम पड़ती है कि उसके कुछ राइट्स और प्रिविलेजेज़ हैं। राजस्थान सरकार ने बहुत से प्रगतिशील कानून बना दिये हैं, लेकिन वे जिसके लिए बनाये हैं, उनको समझने के लिए उनको बताने के लिए राजस्थान सरकार ने कोई स्टेप्स नहीं लिये हैं। राज-स्थान की एग्रेरियन प्रोग्रेस की, इकोनोमी की जो सबसे बड़ी प्रोब्लम है वह है रूरल इन्डेटेडनैस की। राजस्थान सरकार ने सबसे पहले एग्रीकल्चरल लोन्स एक्ट, एग्रीकल्चरल इन्डेटेडनैस एक्ट, ये सब क़ानून तो बना दिये पर मेरी समझ में नहीं आता कि राज-स्थान का शायद ही कोई काश्तकार यह जानता हो कि एक डेट (sebt) कन्सीलियेशन बोर्ड है। अभी तक एक भी तहसील में यह बोर्ड कॉन्स्टीट्यूट नहीं किया है। एक तरफ जो बहुत से कानून नहीं बनने चाहिए थे वे बना दिये....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : I may inform the Hon'ble

(श्री दामोदरलाल व्यास)

Member that there is no provision of constituting any Board for this Debt Redemption in Rajasthan. I think he is perhaps thinking of any other legislation in some other State. But so far as Rajasthan is concerned, there is nothing like......

श्री श्रीभानसिंह : इस कमीशन की रिपोर्ट में बोर्ड का रेफरेन्स दिया है। मैं इसका पेज बताऊं, इसके लिए सदन का समय नहीं लेना चाहता। लेकिन इसमें है कि डेट कन्सीलियेशन बोर्ड को अपील करें, डेट कन्सीलियेशन बोर्ड का इसमें प्रावधान रखा हैं। वैसे मैं खुद अपनी इग्नोरेन्स प्लीड करता हूं। लेजिस्लेशन के इतने मेजर्स किये गये हैं, स्पेड ऑफ लेजिस्लेशन, कानूनों की भरमार इतनी हुई है टीनेन्सी के अन्दर कि मैं खुद नहीं समझ सकता कि किस साल कौनसा अमेंडमेंट हुआ है। इसके लिए सराहना भी राज्य सरकार की, लैंड कमीशन ने की है कि ११-१२ अमेंडमेंट्स टीनेन्सी एक्ट में हो गये हैं, आठ नो अमेंडमेंट लैंड रेवेन्यू एक्ट में हो गये हैं। इन ओरीजिनल कानूनों को राजस्थान का किसान नहीं समझ सका। इसके अलावा ग्यारह, बारह अमेंडमेंट्स भी उन तक नहीं पहुंच पाये हैं। फिर भी मेरे कहने का मकसद यह था कि राजस्थान का काश्तकार मनी लैंडर्स के भार से इतना दबा हुआ है कि हमारे राजस्थान में आज इस बात की बहुत जरूरत है कि राजस्थान में डेट रिडक्शन के लिए कार्यवाही की जाय। लेकिन रूरल इकोनोमी के अन्दर जो काश्तकार को दबाता आ रहा है और रूरल इकोनोमी में एक हेवक (havoc) क्रियेट कर रहा है उस मनी लैंडर की डिज़ीज़ को राजस्थान की राज्य सरकार ने इन नौ साल में क्योर नहीं किया। उसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है और उसकी एक्टीविटीज़ को कंट्रोल करने की जरूरत है और जिस कर से राजस्थान का काश्तकार दबता आ रहा है, उससे उसको मुक्त करने की जरूरत है........

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर): पेश किया था, विथ्ड्रा कर लिया।

श्री श्रीभानसिंह : यही कह रहा हूं। जो डेमेज कर रहा है रूरल इकोनोमी को, जिसके लिए कि कहना चाहिए इन्टरमीजियरी, उसको अबोलिश करने के लिए राज्य सरकार ने कोई प्रगतिशील कदम नहीं लिया है। बहुत से कानून हमने बनाये हैं, जिसके लिए कहा जाए, "Placing a cart before the horse." वह कानून है, एग्रीकल्चरल इन्डेटेडनैस एक्ट। इससे पहले हमको मनी लैंडर बिल लाना चाहिए था। उसको लाकर, उससे काश्तकार को रिलीफ दिला कर यह सेकिंड कानून आना चाहिए था एग्रीकल्चरल इन्डेटेडनैस कानून जिसे कि आप पहले ले आये। मैं इसके अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि और माननीय सदस्य व्यापक रूप से इस पर प्रकाश डालेंगे। मैं इतना जरूर चाहूंगा कि इन तीन बातों के ऊपर विचार किया जाय, एक तो जिन ऑब्जेक्टिव्ज से लैंड रिफॉर्म्स किये, आपने वे अचीव कर लिये या नहीं, इसके लिए एक कमीशन बैठाया जाय। दूसरे, जो इन्सेन्टिव, या जितना प्रोडक्शन इन लैंड रिफॉर्म्स के जरिये एनविसेज़ किया था, इनकी लैंड रिफार्म्स के अन्दर प्रगति की गई, उस तरह प्रोडक्शन के अन्दर उतनी प्रगति की या नहीं; और तीसरे

(श्री श्रीमानसिंह)

यह कि राजस्थान राज्य का जो फ्यूडल स्ट्रक्चर था उसको चैंज करने में लैंड रिफॉर्म्स ने कहां तक सहायता की है, कहां तक नहीं की है। आप समाजवाद का नारा लगाते हैं और कांग्रेस पार्टी ने एक पॉलिसी बनाई है समाजवाद को अचीव करने की। क्या उन ऑब्जेक्टिव्ज़ को, इन सम एन्ड टोटल, समाजवाद को रूरल इकोनोमी में कहां तक लागू करते हैं, जब कि हम इस सिद्धान्त को मानते हैं कि रूरल इकोनोमी में एक तो लेबर रहेंगे और एक वे आदमी रहेंगे जो लेबर को एक्स्प्लोइट करते हैं, जिसको पूंजीवादी सिद्धान्त कहते हैं ? इन तीनों चीजों को, जो कि टर्म्स ऑफ रेफरेन्स थे, कमीशन ने टच नहीं किया। इसलिए फिर से दूसरा लैंड कमीशन, या किसी दूसरे नाम से बनाया जाय-जिससे कि राजस्थान के लैंड रिफॉर्म्स की कॉम्प्रीहेन्सिव पिक्चर हाउस के अन्दर रखी जाय, एक एक्चुअल पिक्चर, न कि हिस्टोरिकल पिक्चर, सदन के सामने रखी जाय, जिससे सदन के माननीय सदस्य उस पर अच्छी तरह विचार कर सकें।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, आज यह जो कमीशन की रिपोर्ट हमारे समक्ष पेश हुई है और मंत्री महोदय का भाषण भी हमारे सामने हुआ है, इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि हमारी सरकार कानून बनाने में चतुर है, बहुत तेजी रखती है, मगर उनके इम्प्लीमेन्टेशन में इतनी ढील बरतती है कि उसको जगाने वाला, इन्जेक्शन देने वाला तैयार हो तो भी चमड़ी ऐसी पड़ी हुई है कि इन्जेक्शन असर नहीं करता है।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने यह सोचा कि काश्तकारों का शोषण हो रहा है वह किस प्रकार से कम किया जाय। उसके लिए जागीर अबोलिशन बिल पास किया, मगर उसके साथ ही साथ हमारी सरकार ने जो धर्मार्थ जागीरें हैं उनको भी खत्म कर दिया। आगे तो धर्मार्थ जागीरों के लिए लोग पुण्य निकालते थे किन्तु आज सरकार उनको लेना चाहती है। ठीक है, उनको खत्म किया, कोई बात नहीं, लेकिन साथ साथ जागीरें अबोलिशन करने पर भी काश्तकारों की उन्नति नहीं हुई, काश्तकारों को जो फायदा होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है। मगर उससे ज्यादा शोषण शुरू हुआ है, इन कानूनों के द्वारा। आपके इस कमीशन की रिपोर्ट और आपकी स्पीच से वह साबित होता है, सारी बातों के कानून बना दिये हैं। काश्तकारों को रहने के लिए मकान चाहिए, लेकिन आज उसको रहने के लिए भूमि नहीं मिलती है। आपने कह दिया: टीनेन्सी एक्ट की दफा ३१ में यह प्रावधान कर दिया, लेकिन कभी जाकर आपने इन्सपेक्शन किया कि दफा ३१ के तहत कितने काश्तकारों को तहसीलों को बसाने के लिए लैंड अलॉट किया है ? कोई फिगर्स हाउस के सामने ऐसे पेश नहीं किये हैं, जिससे कह सकें कि हमारी सरकार ने काश्तकारों के लिए जो लैंड मुकर्रर किया है, उसके हिसाब के माफिक इस प्रकार से इम्प्लीमेन्टेशन करवाया है। मैं यहां तक कहता हूं कि आपने सेटलमेंट करवा दिया, लेकिन किसी सेटलमेंट ऑपरेशन के अन्दर इस तरह की जमीन नहीं दिखाई गई है। जो आबादी में बस गये हैं, वह आबादी में इन्क्लूड कर दिया है, लेकिन

(श्री लक्ष्मीचन्द)

फर्दर एक्सटेन्शन के लिए, भविष्य में काश्तकार के बच्चा पैदा होगा, वह कहां बसेगा, उसके लिए क्या व्यवस्था होगी ? आज किसी तहसील में, किसी गांव में देखें कि काश्तकार को नोटिस दे दिया जाता है कि आबादी में यह जमीन नहीं है। फिर क्या काश्तकार आसमान में बसेगा ? वह आसमान में नहीं बस सकता है, वह गोचर भूमि पर बसेगा। अगर सरपंच उसके पक्ष का नहीं है तो उन काश्तकारों के साथ क्या रियायत होगी ? मैं बताना चाहता हूं कि रेवेन्यु मिनिस्टर भाषण तो दे देते हैं, एक कमीशन की रिपोर्ट तो दे दी है, मगर उनकी स्थिति क्या है, आप उनसे पूछिये जो काश्तकार हैं कि उनकी वाकई में क्या स्थिति है ? आज उनको भूमि खेती के लिये नहीं मिलती जब कि आप उनको भूमि दिलाने की बातें कहते हैं। मैं यह कहूंगा कि सेटलमेंट में जो उनको नोटिस दिया जाना चाहिये था वह नोटिस भी उनको नहीं दिया गया कि यह खेत किसका है। मैं यह कहूंगा कि हमारी भूमि की समस्या केवल सेटलमेंट करने से या रेट मुकर्रर करने से हल नहीं होगी। सरकार जो लगान लगाना चाहे वह लगा ले, मगर उनको तो बसने के लिये भूमि चाहिये। आपने उनको भूमि देने के लिए क्या प्रोविज़न रखा है ? आप कहेंगे कि तहसीलदार और पंचायतों में पंच और सरपंच इसका प्रबन्ध कर सकते हैं। इसके लिये आपने कानून बनाये। मैं मानता हूं कि आपने कानून बनाये हैं लेकिन केवल कानून बनाने से लोगों को कोई रियायत नहीं मिलती है। कानून बनते हैं तब यह देखना चाहिये कि आया उन क़ानूनों पर अमल भी हो रहा है या नहीं। आपने कह दिया कि काश्तकार मिट्टी, पत्थर, कंकर अपने प्रयोग के लिये ले सकता है। मगर वह कहां से लेगा ? उसको तो रॉयल्टी देनी होगी; बगैर रॉयल्टी दिये वह नहीं ले सकता। क्योंकि आपने उन सब खानों का ठेका ठेकेदारों को ऑक्शन कर दिया है। ठेकेदार एक एक गाड़ी पर दो–दो आने और चार–चार आने रॉयल्टी गांववालों से लेते हैं और जब कहीं उनको देते हैं। इस प्रकार की सैकड़ों की तादाद में आपके पास शिकायतें होगी। मगर मैं यह कहूंगा कि उन शिकायतों को सुनने वाला कौन है ? कोई शिकायतों को सुनता नहीं। सरकार बहरी हो गई है। सरकार गूंगी हो गई है और किसी गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती है। कोई कितनी ही शिकायतें क्यों न करे मगर सुनता कौन है ? इस प्रकार से इस मिट्टी और कंकर पर जो काश्तकारों के लिये आपने रॉयल्टी की रेट लगाई है वे कौनसी ऐसी खनिजें हैं जैसे सोना और चांदी हो जिससे कि हम काश्तकारों से रॉयल्टी लिये बगैर वह उनको नहीं दे सकते हैं ? मैं यह कहूंगा कि पूंजीपति और मालदार लोग तो रॉयल्टी दे सकते हैं मगर एक काश्तकार जो बहुत गरीब है वह तो खुद उस जमीन को खोद कर मिट्टी या कंकर लाता है उसको भी मिट्टी और कंकर लाने से रोका जाता है; यह कौनसी बात है ? मगर यह भी वे नहीं ला सकते क्योंकि आप ठेका देते हैं और ठेकेदार सालाना रुपया सरकार में जमा कराता है इसलिये वह उनको मिट्टी और कंकर बगैर रॉयल्टी के लेने नहीं देता है।

अध्यक्ष महोदय, महज कानून बनाने से हमारा मकसद पूरा नहीं होता है। आपने कहीं पर भी चारागाह के लिये जमीन का डिमार्केशन नहीं किया है।

Page No.56

(श्री लक्ष्मीचन्द)

आप चारागाह के लिये जमीन का कोई प्रबन्ध नहीं करते और पशु पालने वालों से घासमारी टैक्स, जिसका जिक्र कहीं भी कानून में और राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में नहीं लिखा हुआ हैं लेते है। वह मारवाड़ में ही लिया जाता है। चारागाह नहीं हैं। माननीय मंत्री महोदय जब मीटिंग में पधारे थे तो मैंने कहा था कि चारागाह के लिये जमीन को मुकर्रर फरमाइये'; एक्सेस लैंड जो आपके पास है वहां पर मवेशी चरा सकें। मगर आप चारागाहों के लिये जमीन नहीं देते और घासमारी लोगों से वसूल करते हैं। फिर भी आप कहते हैं कि हम काश्तकारों को बहुत सहूलियतें देते हैं। उनको सहूलियतें देने के लिये कानून पास करते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि कानून पास करने से या हाउस में बोलने मात्र से उनको कोई सहूलियतें नहीं मिलेंगी। उनको सहूलियतें देने के लिये आप उनके घरों में जाइये, उनके दिलों में घुसिये और देखिये कि वास्तव में उनको किस बात की दिक्कत है और उसको मिटाने का प्रयत्न करिये। केवल भाषण देने से या कानून बनाने से कोई काम नहीं होता है। आप उनसे पूछिये कि आपके साथ क्या गुजर रही है।

आपने जागीरदारी प्रथा को समाप्त किया। मगर मैं यह कहूंगा कि आपने एक जागीरदार को खत्म किया लेकिन उसकी जगह आपने अनेक जागीरदार काश्तकार के लिये पैदा कर दिये। जागीरदारी एबोलिशन पास किया लेकिन उसके साथ साथ आपने नये बहुत से जागीरदार पैदा कर दिये। इससे काश्तकारों को असुविधा ज्यादा बढ़ी है। आज आपके रेकॉर्ड में जमीन बढ़ गई है, यह बताया गया है। मगर वह रेकॉर्ड ठीक नहीं है। आप कहेंगे कि हमने यह रखा है कि रेकॉर्ड मेन्टेन करते समय पटवारी लोग सरपंचों को अपने साथ रखें मगर पटवारी सरपंचों को साथ नहीं ले जाते हैं और उनसे दस्तखत करा लेते हैं। इसके अलावा आपने उस रेकॉर्ड बुक को कौनसी इस प्रकार से बाइन्डिंग कराया है कि उसमें से एक कागज भी नहीं निकाला जा सके। जब चाहे पटवारी उसमें से कागज निकाल सकता है। क्या कभी किसी ने जाकर उसको देखा है? ठीक है, उस पर दस्तखत कर दिये मगर इससे पर्पज़ सर्व नहीं होगा। मैं यह कहूंगा कि सैकड़ों काश्तकारों के जीवन-मरण का प्रश्न है। उसमें पेज नम्बर नहीं होंगे। एक पटवारी बदल जाता है और उसकी जगह दूसरा पटवारी आता है। एक पटवारी ने गिरदावरी की स्लिप किसी काश्तकार को दे दी। दूसरा आया और उसने वह पेज निकाल कर फाड़ दिया और दूसरी स्लिप बना कर दूसरे को दे दी। क्या इस चीज को किसी ऑफिसर ने कभी चैक किया है? हम यह कहते हैं कि अधिकारी अवश्य जाते हैं और इन्सपेक्शन करते हैं और हमने कानून बनाये हैं। मैं यह कहूंगा कि कानून से तभी फायदा पहुंचता है जब हम यह देखें कि उस कानून के साथ साथ उसका इम्पलीमेन्टेशन भी हो रहा है या नहीं और हमारे कर्मचारी कानून के मुताबिक कार्यवाही करते हैं या नहीं। केवल कानून बनाने मात्र से समस्या हल नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय, तीसरी चीज मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार

(श्री लक्ष्मीचन्द)

ने भी कहा है और उसका जिक्र इस रिपोर्ट में भी किया गया है कि एडीशनल कम्पेन्सेशन ५ हजार तक के जागीरदारों को नेहरू एवार्ड के अनुसार देते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि ५ हजार की आमदनी के कई केसेज़ जागीरदारों के फाइनेलाइज्ड हो गये हैं लेकिन उनको नेहरू एवार्ड के माफिक एडीश्नल कम्पेन्सेशन नहीं मिला है। आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं और आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि कई केसेज़ फाइनेलाइज़ हो गये हैं और कई जगह लोगों को बोन्ड इश्यू हो गये हैं लेकिन नेहरू एवार्ड के अनुसार ५ करोड़ २६ लाख रुपयों को देने की बात है, वह कहीं भी जिक्र तक नहीं है कि उनको १५ वर्ष के बाद इस एवार्ड के अनुसार इतना रुपया और दिया जावेगा। अभी आपने इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया है और १५ वर्षों के बाद में जागीरदारों को क्या मालूम होगा कि उनको कितना रुपया और मिलने वाला है ? इसलिये कम से कम आप जिन केसेज़ को फाइनेलाइज करने जा रहे हैं उनमें उनका जिक्र होना आवश्यक है कि इतना रुपया और मिलेगा। इसलिये मेरे कहने का मतलब यह है कि जो कोई भी कानून आप बनाते हैं तो उसके पहले आपको यह देखना चाहिये कि यह कानून जो बना है इसका प्रोपरली इम्पलीमेन्टेशन हो रहा है या नहीं।

अब रहा गोचर के लिये भूमि का प्रश्न। आप देखेंगे कि गांवों में लोगों के पास अपने पशुओं को चराने के लिये जगह नहीं है। वहां पर ५ या १० बीघा से ज्यादा भूमि आपको नहीं मिलेगी। मगर सरकार ने कह दिया कि कानून के माफिक इतनी जमीन चाहते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि कानून के माफिक आपने किसी गांव में गोचर भूमि छोड़ी है क्या ? किसानों के मवेशी होते हैं उनको चराने के लिये उनको जमीन की आवश्यकता होती है। अगर वे उनको खेतों में चरावेंगे तो वे खाएगें किसको ? इसलिये गोचर भूमि की बहुत आवश्यकता है। मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि एक कमेटी इस बात की बनाई जानी चाहिये कि जो कानून बनते हैं उसकी तामील होती है या नहीं। आप भूमिहीन काश्तकारों को १५ बीघा जमीन एक वर्ष के लिये देते हैं। मैं यह कहूंगा कि जब आप उनको भूमिहीन काश्तकार मानते हैं तो फिर उनको आप एक साल के लिये जमीन क्यों देते हैं, क्यों नहीं उनको जमीन पर्मानेन्ट दे देते ? क्या वजह है कि वे एक साल बाद फिर तहसीलदार, पटवारी और दूसरे कर्मचारियों के पास फिरते फिरें जमीन के लिये ? जब आपको देनी है तो आपको जल्दी दे देनी चाहिये। 'दाता बड़ा के सूम, झटके उत्तर देय।' आप अगर उनको जमीन देना चाहते हैं तो आप उनको परमानेन्ट १०, १५ या २० बीघा जो कुछ भी देना चाहते हैं दे दें और कह दें कि इतनी भूमि हम इस समय देते हैं और बाकी बाद में जितनी ज्यादा भूमि होगी आपको देंगे; जिससे किसान लोग संतोष करके बैठ जावें कि इतनी जमीन तो हमको इस समय मिल गई है और इतनी भविष्य में हमको मिलने वाली है। वह तो एक तरीका हुआ, अन्यथा जब आप उनको एक साल के लिये भूमि अलॉट करते हैं तो वे देखते हैं कि एक साल के बाद भूमि तो हमसे वापिस ले ली जावेगी;

Page No.58

(श्री लक्ष्मीचन्द)

हम क्यों इस जमीन में इम्प्रूवमेंट करें। कौन जानता है कि अगले साल यह भूमि हमको मिलेगी या नहीं; मैं इस पर मेहनत, परिश्रम क्यों करूं? जहां तक तकावी देने का प्रश्न है जब तक उसके पास भूमि नहीं होती उसको तकावी भी नहीं मिल सकती। यदि एक भूमिहीन काश्तकार है, उसको भूमि दे दी और पैसा नहीं दिया साथ में तो उल्टा उसको तो और लगान देना पड़ेगा। काश्त तो बिना तकावी के क्या करेगा? उसको तकावी फौरन ही बैल खरीदने के लिए चाहिये। जमीन देते समय ही उस काश्तकार को एक बैल के लिए २५०)रु. और दो बैलों के लिए कम से कम ५००) रु० तो फौरन ही मिल जाना चाहिए। तकावी कानून में यह लगाया है कि जब भूमि होगी तो तकावी मिलेगी; तकावी नहीं होगी तो जमीन पड़ी रहेगी इसलिए कम से कम पांच सौ रुपयों की धन-राशि उसको एक मुश्त जमीन देते समय ही दे देनी चाहिये। किसान नहीं तो यह सोचेगा कि जमीन नहीं मिली तो पैसा मिल गया और पैसा मिल गया तो जमीन नहीं मिली। आखिर करेगा क्या; वह दोनों से इस तरह अलग अलग लेकर? वह या तो जमीन के लिए तरसेगा या पैसे के लिए तरसेगा। इसलिए जमीन के साथ ही उस किसान को पैसा फौरन दे देना चाहिये जिससे कि वह किसान अपने पैरों पर खड़ा हो सके और अपनी समस्या को सुलझा सके। एक बात इसके साथ यह भी कह देना चाहता हूं मैं रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से कि यदि वे वाकई किसान को राहत पहुंचाना चाहते हैं तो रेकॉर्ड को सुरक्षित रखिये। किसान का सारा जीवन ही वह रेकॉर्ड है, उसी पर उसके जीवन की रक्षा है। आज एक खेत का हजार रुपया आता है। किसी दूसरे ने किसी पटवारी से मिल कर रेकॉर्ड का एक पन्ना फड़वा दिया तो आपके पास चैक करने के क्या साधन हैं? इसलिए यदि आप काश्तकार के जीवन की रक्षा करना चाहते हैं तो रेकॉर्ड को ऐसा सुरक्षित बना दीजिये कि उसमें कोई चेन्ज न कर सके, अन्यथा काश्तकार को रिलीफ नहीं मिलेगा। नतीजा यह होगा कि काश्तकार चिल्लाते रहेंगे और उनका परिणाम कुछ नहीं निकलेगा। न हम काश्तकारों को कह सकते हैं कि हम तुम्हारी वहां वकालत करते हैं, न तुम्हारा हमारे ऊपर उत्तरदायित्व है। इसलिए आपको इम्प्लीमेन्टेशन जल्दी ही कराना चाहिये जिससे कि हम समझ सकें कि आपने काश्तकारों के हितों की सुरक्षा कर दी है।

जमीन का रीसेटलमेन्ट होना चाहिये। मेरे क्षेत्र जालोर के लिए तो मैं कह सकता हूं कि वहां यह होना जरूरी है। पहले जब नदी काश्तकारों के जमीन में से होकर बहती थी तो काफी गेहूं पकते थे, गंगानगर से भी सांचोर का इलाका बहतर था। लेकिन कुदरत के परिवर्तन से कुछ चेन्जेज़ आ गए। पहले जब नदी बहती थी तो उस वक्त सेटलमेन्ट का समय था और उस हिसाब से रेट्स ज्यादा लगाई थीं। यदि वही रेट इस समय भी वसूल करती जाती रही तो काश्तकार यही सोचेगा कि इससे जागीरदार के समय में ठीक था कि जब कि उनसे पैदावार के अनुसार ही हासिल लिया जाता था। यदि यह रेट ठीक नहीं की गई तो जो किसान पहले से सुखी हुआ वह पुनः गरीबी की हालत में पहुँच जावेगा। कुछ जमीन ऐसी है कि जहां नदी ने परिवर्तन कर लिया वहां

(श्री लक्ष्मीचन्द)

तो जबकि गेहूं आदि नहीं पकता था अब काफी पकने लग गया है, लेकिन जहां नहीं बह रही है वहां पहले से काफी कम पैदावार हो गई है। हासिल उनसे वही लिया जा रहा है। एक तरह से वह जमीन बंजर सी हो गई है। इसलिए काश्तकारों की वाजिब डिफिकल्टी को समझना चाहिये और उनके अनुसार इम्प्लीमेन्टेशन इन कानूनों का होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): अध्यक्ष महोदय, भूमि सुधार के सम्बन्ध में जो सुझाव दिये गये थे और उन सुझावों का किस प्रकार पालन किया गया, इसके सम्बन्ध में मन्त्री महोदय ने बहुत कुछ अच्छी तरह से अपनी ओर से स्पष्टीकरण किया है। मन्त्री महोदय ने, जहां तक सुधार के लिए कानून बनाने का सवाल है, कितने कानून बनाये, किस किस समय बनाये और उन सारे कानूनों के सम्बन्ध में उनकी क्या मंशा थी, इस पर भी वक्तव्य दिया। मैं यह सोचता हूं कि सही माने में कई दफा कई बातें ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छे तरीके से कही जाती हैं लेकिन जब उनको व्यवहार में देखा जाता हैं तो जिस मकसद को लेकर ये बातें की जाती है वह अगर पूरा नहीं होता है तो कुछ आश्चर्य जरूर होता है। मन्त्री महोदय की, जहां तक सुधारों का सवाल है और उन सुधारों को किस तरह से कार्यान्वित किया गया है, उन सारी बातों को सुनें तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जहां तक उनके दिल के विषय से सम्बन्ध है, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि आखिर किस मकसद को लेकर ये सुधार किये गये थे। सही माने में भूमि सुधार एक ऐसी आवश्यक चीज़ थी मुल्क की आज़ादी के बाद कि किसान के जीवन पर उसका असर पड़ना चाहिए था। इतने सुधार होने के बाद भी हम यह देखते हैं कि जिस मकसद को लेकर ये सुधार किये गये थे, वह वास्तव में पूरा हुआ या नहीं? आखिर कमीशन बैठाया गया था, उसमें एक चीज़ थी कि जो कुछ भी हमने किया है उससे कहां तक लाभ मिला है, अथवा नहीं? मन्त्री महोदय ये सारी बातें बता देते कि जागीरदारी खत्म कर देने से, बिस्वेदारी मिटा देने से, किसान को खातेदारी हक देने से और सीलिंग लागू किया है इससे यह बहतरी का काम हुआ। यह मालूम हो जाता कि पहला कानून बनाया तो इससे इतने आदमियों को लाभ मिला, दूसरे से इतना लाभ पहुँचा और सीलिंग से यह लाभ हुआ, ऐसी कोई पूरी रिपोर्ट होती तो समझता कि कोई काम हुआ है। लेकिन इससे तो कुछ समझ में नहीं आता। कानून अच्छे बनाये हैं। उनका लाभ कहां कहां किस तरीके से कितनी राजस्थान की जनता को हुआ, इससे यह समझ में नहीं आता। यदि ऐसा कोई चिट्ठा मन्त्री महोदय रख देते तो कोई गुन्जाइश नहीं होती। क्योंकि मन्त्री महोदय ने यह नहीं रखा और ऐसी हालत में इसको समझना बड़ा मुश्किल हो गया। मुझे एक किस्सा याद आता है। जब ब्रह्मा ने पहले सृष्टि का निर्माण किया तो सबसे पहले टीकाकार को बनाया और उसके बाद सृष्टि का निर्माण

Page No.60

(श्री मुरलीधर व्यास)

किया। उन्होंने टीकाकार से कहा कि तुम कमियां बताते जाओ। कमियां बताने के लिए सबसे पहले बनाया चींटी को, फिर हाथी को बनाया। हाथी के बाद बन्दर बनाया और बन्दर के बाद आदमी बनाया। और आखिर आदमी से पूछा कि जो कुछ मैंने बनाया अच्छा या बुरा, अब तो बता ? टीकाकार ने कहा ब्रह्म देव ने सब कुछ बनाया बहुत ठीक, लेकिन फिर भी आदमी की बात समझ में नहीं आती। बोलता कुछ और है और होता कुछ और है। आदमी के मुंह, नाक, कान बनाया, आदमी के दिल पर यदि खिड़की बना देते तो झांक करके देख तो लेते कि दिल में क्या है। यदि मन्त्री महोदय के दिल पर भी खिड़की होती तो न बहस करने का सवाल होता, सब लोग झांक कर देख लेते कि मन्त्री महोदय कैसा कानून बना रहे हैं, कहां तक उससे लाभ मिल रहा है, उसमें कहां तक सचाई है। बातें तो बहुत अच्छी मालूम पड़ती हैं, लेकिन जब जीवन में देखें तो बिल्कुल उसके विपरीत है। आज जहां तक एक किसान का सवाल है, १९५६ में इस प्रकार की कमेटी बैठी, उसकी रिपोर्ट इसके बाद में प्रकाशित हुई। मैं यह पूछना चाहता हूं इससे पहले कि सन् १९५३ में एक सीलिंग कमिटी मुकर्रर की थी और वह इस उद्देश्य से बनाई गई थी राजस्थान के अन्दर कि एक हद तक भूमि की सीमा का निर्धारण हो जाय। सन् ५३ के बाद उस कमिटी की रिपोर्ट आने में ५४ और ५५ भी हो जाता तो कोई बात नहीं थी। इस कमिटी को यह भी देखना था कि वाकई जो भूमि सुधार के कानून बने हैं उससे भूमि का सुधार हुआ या नहीं ? ५३ वाली कमिटी की रिपोर्ट आने के बाद हमने उसको कानूनी रूप भी दे दिया और हमें यह भी सूचना मिली है कि उस पर राष्ट्रपति की मोहर भी लग गई। लेकिन मोहर लगने के बाद भी हम सीमा निर्धारित कर देंगे, यह मैं नहीं मानता या इतने भूमिहीन किसान हैं इनको हम भूमि दे देंगे या इतने लोग जिनके पास थोड़ी जमीन है उनको इतनी जमीन मिल जायगी, यह होने वाला नहीं। सन् ५३ से आज तक इस स्थिति पर हम नहीं पहुँच पाये कि हम उसके अनुसार कार्य कर सकें। हमने कानून बहुत अच्छे बनाये। मध्यस्थता का हमने निवारण कर दिया; जागीरदारी, जमींदार बिस्वेदारी को हमने समाप्त किया। मैं मानता हूं, यह ठीक बात है। जहां तक कानून का सवाल है आपने बहुत अच्छे अच्छे कानून बनाये। उससे कुछ राहत भी मिली है लेकिन फिर भी मैं यह कह देना चाहता हूं कि जिस मूल उद्देश्य को लेकर हम चले थे, जिस मकसद पर हमें पहुंचना था वहां पर हम नहीं पहुंच पाये। इस पर हमें यह सोचना पड़ेगा कि आखिर इसका कारण क्या है? क्या कानून में हमने इस प्रकार की शिथिलता रख दी है ? मैं तो इसके लिए यही कहूंगा कि हमने कानून बहुत धीरे धीरे बनाये। अगर हम तत्परता के साथ उनको बनाते तो सही मायने में लाभ मिल सकता था। धीरे धीरे बनाने से जितना लाभ मिलना चाहिये था वह नहीं मिल पाया। राजस्थान के भूमि सुधार के कानूनों का इतिहास आप ले लीजिये। भूमि-सुधार के जितने भी कानून बने हैं उनमें राजस्थान की राजनैतिक स्थिति हमेशा सामने आई है। राज्य सरकार जब भी भूमि-सुधार के कानूनों की ओर अग्रसर हो रही थी उनके मध्यस्थ के रूप में बैठने-

(श्री मुरलीधर व्यास)

वाले इस प्रकार के लोग थे वे नहीं चाहते थे कि इस प्रकार के कानून जल्दी जल्दी लागू कर दिये जांय। इसलिए वे अड़चन डालते रहे। उन अड़चनों का सामना राजस्थान सरकार अपने राजनैतिक स्वार्थ के कारण नहीं कर सकी। उसमें कांग्रेसी सरकार ने जन हित को ज्यादा महत्व नहीं दिया; ज्यादा महत्व अपनी कुर्सी को दिया। अगर वे जन हित को ज्यादा महत्व देते तो मध्यस्थता करनेवाले जो लोग हैं उनको वे अप्रसन्न नहीं कर सकते थे। यदि वे करते तो उनको अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ता। उनको चाहिये था कि वे कुर्सी की परवाह किये बिना जो वादा वे करते आये हैं कि जमीन जोतने वाले की होगी, उसको जमीन का मालिक बनायेंगे, आजादी के बाद में सही मायने में वे बनाते तो हमारे देश का नकशा और ही कुछ होता। आज ११ साल के बाद भी वह स्थिति प्राप्त नहीं हुई है। इस स्थिति पर हम नहीं पहुंचे हैं कि जमीन जोतने वाले की हो। आज के कानून इस मामले में साफ नहीं हैं। टीनेन्सी एक्ट आज भी मौजूद है, आज भी जमीन दूसरों को दे सकते हैं, कानून के मातहत उससे लाभ उठाया जा सकता है। जमीन जोतने वाले की होगी; जो बुनियादी बात हम स्वीकार करते आते हैं उसको जमीन मिली नहीं है। आज भी मालिक दूसरे हैं; जमीन जोतता दूसरा ही है। आज भी मध्यस्थता समाप्त नहीं हुई है।

तीसरी बात आप कहते हैं कि हम जो सुधार कर रहे हैं उससे राजस्थान की डेढ़ करोड़ जनता में से एक करोड़ जो किसानों की संख्या है उसको फायदा पहुंचने वाला है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या आपके पास इस प्रकार के आंकड़े हैं कि इतने लोगों के पास जमीन नहीं है या इतने लोगों के पास आवश्यकता से कम जमीन है और कानून द्वारा हमने इतने आदमियों को भूमि का मालिक बनाया? इस प्रकार के आपके पास आंकड़े नहीं हैं। इसलिए आप आंकड़े दे नहीं सकते। अगर यह हो जाता तो आप बहुत जल्दी आंकड़े दे देते लेकिन यह हुआ नहीं है। इसका कारण यह है कि हमने चाहे कितने ही कानून बना लिये किन्तु उससे आम किसान को लाभ मिला नहीं।

आपने सीलिंग कानून पास कर दिया लेकिन, जनता जानती है कि राजस्थान सरकार आज इतनी कमजोर है। वह जानती है कि अगर हमने सीलिंग का कानून लागू कर दिया तो हमारी हालत अगले चुनाव में क्या होने वाली है। इसलिये मैं यह स्पष्ट रूप से कह सकता हूं, दूसरे आम चुनावों से पहले आप इसको कभी लागू नहीं करेंगे। आम चुनावों से पहले आपने यह लागू कर दिया तो इसका नतीजा यह होगा कि जो मध्यस्थ आदमी हैं वे आपकी खिलाफत करेंगे और यदि वे खिलाफत में उतर जाते हैं तो आपका आना मुश्किल हो जायगा। इससे यह साफ जाहिर होता है कि आप सीलिंग का कानून पास कर लें, किन्तु उसके अनुसार आप भूमिहीन किसान को जमीन अलॉट नहीं करेंगे। यह वस्तुस्थिति है, जो मैंने आपके सामने रखी है। चाहे शास्त्रीजी की सरकार रही हो, चाहे किसी और की सरकार हो राजस्थान की कांग्रेसी सरकार की यही स्थिति रही है जिसके कारण उसकी हिम्मत यह

Page No.62

(श्री मुरलीधर व्यास)

नहीं हो सकी जिसके कारण वाकई किसान को राहत मिल सके। जितने भी कानून हमने बनाये हैं उससे जो लोग लाभ उठाना चाहते हैं वे पूरा लाभ उठाते हैं लेकिन आम लोगों को उससे लाभ मिलने वाला नहीं है और न मिला है।

इसके अलावा मूल उद्देश्य हमारे कानून बनाने का जो है वह यह होना चाहिये कि किसान की आमदनी बढ़े और भूमि के उत्पादन में बढ़ोतरी होनी चाहिये। इसी उद्देश्य को लेकर ही हम भूमि सुधार कर रहे हैं। भूमिहीन किसान को जमीन मिले; इस तरह से तीन दृष्टिकोण से हम भूमि सुधार कर रहे हैं। इन तीनों के बारे में राजस्थान सरकार के पास कोई रिपोर्ट नहीं है। सही मायने में बात यह है कि इन तीनों उद्देश्यों को वे पा नहीं सके। भूमि सुधार के द्वारा हमने किसान की माली हालत को इतना सुधारा है, यह भी फीगर्स आपके पास नहीं हैं ताकि हम इस आधार पर सोच सकें, वाकई हमने सुधार किया है।

तीसरा, हम उत्पादन के मामले को देखें। वह किस प्रकार से बढ़ायें और इसका लाभ किसको मिले ? ये तीन मूल बातें हैं। इनमें हमें बिल्कुल कामयाबी नहीं हुई है। आपके पहले युटिलाइजेशन एक्ट के अन्तर्गत जमीन किसान को मिल जानी चाहिए। मैं आपको लूणकरणसर तहसील का बताऊं, वहां जमीन अलॉट कब की जाती है जब कि वर्षा शुरू हो जाती है, उसके बाद में। अगर वर्षा शुरू होने से तीन महिने पहले किसान को मालूम हो जाय तो वह उसके लिए तैयारी कर सकता है। आप बीकानेर तहसील को ले लीजिए। २७। ७ को वहां अलॉटमेंट होता है। इसी तरह से लूणकरणसर तहसील में काफी जमीन पड़ी हुई है। वहां जमीन जोतने वाले कोई नहीं हैं, फिर भी समय पर जमीन अलॉट नहीं की जाती। जो अलॉटमेंट करने वाले लोग हैं; वर्षा का समय बीत जाता है उसके बाद अलॉमेंट्स होते हैं। जहां तक जमीन के उपयोग करने का सवाल है उसका एक मकसद होता है। वास्तव में उससे किसान को फायदा होता है या नहीं, यह हमें देखना है। इस मामले के अन्दर काफी ढिलाई हुई है।

जहां तक गोचर भूमि का सवाल है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां भी कहीं, किसी भी गांव में चले जाइये सरकार ने गोचरभूमि छीन ली है। बीकानेर के आस-पास जितनी भी गोचर जमीन थी प्लॉन्टेशन स्कीम के तहत सारी जमीन को सरकार ने घेर लिया है। हर गांव में यही स्थिति है। आज गोचर भूमि गांवों में नजर नहीं आती।

तो अगर आप व्यवस्था करना चाहते हैं कि हर जगह गोचर भूमि हो तो रास्ता इसका निकालना चाहिये। पहले गोचर भूमि नहीं थी और अब राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनने के बाद कोई ज्यादा मिल गई हो यह बात नहीं दिखाई देती; बल्कि विपरीत बात दिखाई देती है। तो हम देखते हैं कि आखिर ये कानून किस दृष्टि-कोण से बनाते हैं। आप कानून बनाते हैं जरूर पर मूल मुद्दे की बात यह है कि इस कानून का लाभ कुछ मिलता है या नहीं; इस पर जाना चाहिये।

(श्री मुरलीधर व्यास)

इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि आप मध्यस्थ को दूर करने की हमेशा बात करते रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। पहले गांव में बोहरा था जो किसान को ऋण देता था और इस तरह से किसान को दबाकर रखता था। यह स्थिति बहुत पुरानी है। पर आज भी थोड़ी बहुत तादाद में यह स्थिति बनी हुई है। इसके कुछ लाभ भी हैं किसान को, और कुछ हैरानी भी होती है। क्योंकि बिना पैसा उसका कोई काम होता नहीं। तो आज भी वे इन बोहरों के पास जाते हैं। इसके हल करने के लिए मान लें कि आपने कोआॅपरेटिव बैंक बनाये। पर आज भी मैं कहना चाहता हूं कि इन बैंकों का लाभ उनको नहीं मिलता। अब नये मध्यस्थ बन गये हैं। पहले बोहरा मध्यस्थ था! अब आज भी बैंकों और किसानों के बीच एक मध्यस्थ वर्ग बन गया है। दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आपकी जमात के लोग और आपके आसपास रहने वाले खुशामन्द पसन्द लोग इन बैंकों से काफी तादाद में रुपया निकाल लेते हैं और फिर वे उस रुपये को किसान को कर्जे में देते हैं। तो यह लाभ कुछ बीच वाले लोग आज भी उठा लेते हैं। होना तो यह चाहिये था कि इससे मध्यस्थता दूर होती। पर हुआ उल्टा ही है। आपके साथ रात-दिन जो उठता बैठता है वह इसका लाभ ले जाता है। और आप कहते हैं कि इससे किसानों को लाभ पहुंचा है? ऐसे अनेकों उदाहरण आपको मिलेंगे। किसान का सीधा सम्बन्ध नहीं हो पाता।

राजस्थान में भूमि सुधार के कई कानून बने। उनमें संशोधन भी हुए। मैं कहता हूं मंशा आपकी अच्छी होगी, मैं यह भी नहीं कहता कि कानून बनाने वालों की मंशा खराब होगी; पर यह जरूर कहना चाहता हूं कि कानून बनाने से लाभ जो होना चाहिये था वह नहीं हुआ और इस पर आपको सोचना होगा कि यह लाभ किसान को अब किस प्रकार से पहुँच सकता है और बीच में क्या अड़चन आ जाती है। आपको बीच की यह अड़चनें भी दूर करनी पड़ेंगी। आप इस पर नहीं सोचेंगे तब तक किसी प्रकार का सुधार आपके कितने ही कानून बना लेने पर भी होना सम्भव नहीं है। देश की आय बहुत बढ़ी परन्तु इन्हीं बातों से प्रेरित होकर श्री नेहरू को भी यह कहना पड़ा कि यह आमदनी कहां किसकी जेब में गई? वाकई यह गरीबों की जेब में आई या नहीं, इसकी जांच के लिए श्रीनेहरू को भी कमीशन बिठाना पड़ा है। तो आज भी आपके जितने कानून बनते हैं उनकी मंशा' ठीक बात है, अच्छी है कि जमीन जोतने वाले की होगी, मध्यस्थता दूर होगी, भूमिहीन किसान जमीन पावेंगे पर वास्तविकता में यह होता नहीं। आप इसकी जांच कराने को एक कमीशन बैठावें कि राजस्थान का जो किसान वर्ग है उसको इन कानूनों से कितना लाभ मिला और उनकी गरीबी कितनी किस सीमा तक दूर हुई।

(१.५० म० प०)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

ये आंकड़े उपलब्ध नहीं होते, तब तक आप कितना ही कहें, हमें सन्तोष नहीं हो सकता।

(श्री मुरलीधर व्यास)

आखिर आप योजना—बद्ध चलते हैं। आप हमें सदन में इसके अनुसार कानून बनाने की बात कहते हैं पर कहने से काम नहीं चलेगा। इन कानूनों से किसान को, गरीब को कितनी राहत मिली, यह जानकारी बराबर रखी जाय। पर इस मामले में राजस्थान की सरकार हमेशा पीछे रही है। हम पूछते हैं तो जबाब जैसा तैसा दे दिया जाता है, पर आंकड़ों के साथ जबाब देने की बात टालते रहते हैं। आंकड़ों के साथ वे यह बता सकें, यह स्थिति आज तक नहीं हुई। जब तक इस स्थिति पर नहीं आते, आप चाहे कितने ही दावे करें, आपके दावे बेबुनियाद हैं। आप कह सकते हैं गांवों, में यह काम किया। पर गांवों के आदमी जानते हैं कि इससे हमें क्या मिला।

ठीक है, आपने रिपोर्ट पेश की। इसके साथ साथ आप यह भी कह देते कि इन कानूनों को कार्य रूप में परिणत करने से इतने लोगों को इस इस तरह का लाभ पहुँचाया। यह कह देते तो मैं मान लेता कि आपका स्पष्टीकरण सही है और आपके इन भूमि सुधार कानूनों से वाकई जनता को लाभ मिला।

श्री सभापति : श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय सभापति,महोदय....

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूँगा कि इस डिबेट के सम्बन्ध में चार बजे सरकार की ओर से उत्तर दिया जावेगा, इसलिये यह सारा वाद-विवाद चार बजे समाप्त हो जावेगा। इसलिये सभी माननीय सदस्य बोलने वक्त समय का ध्यान रखें, और भी बोलने वाले काफी हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर : (जारी) माननीय सभापतिजी, दस, बारह वर्ष के बाद इतने विस्तृत तौर से विचार करने का मौका इस विषय पर हमें आज जो मिला है इसके लिये मैं मन्त्री महोदय का आभार मानता हूं। भूमि सुधारों से मेरा काफी सम्बन्ध रहा है, गत असेम्बली में और इस असेम्बली में भी। मुझे अन्य राज्यों के भूमि सुधारों के कानूनों को जानने का भी मौका मिला है। उनके साथ हमारे कानून के प्रोविजन्स का अगर मिलान करें तो हमें खुशी होती है कि हमारा राजस्थान दूसरे मामलों में भले ही पिछड़ा कहा जाता हो, पर इस माने में अन्यों से काफी प्रगतिशील रहा है। जहां दूसरे प्रदेश आज भी आधे बांटे की बात करते हैं और आज भी रेगुलेशन ऑफ रेन्ट के बारे में प्लानिंग कमीशन की इच्छा के अनुसार नियम नहीं बना पाये वहां राजस्थान ने काफी अच्छे नियम और प्रावधान इन मामलों में रखे हैं।

दूसरी बात, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि १९५६ में जो यह कमीशन नियुक्त हुआ, और जो इसकी टर्म्स ऑफ रेफरेन्स थे, वे काफी स्पष्ट थे। इसकी रिपोर्ट ५६ में आई; यह देरी जरूर हुई, काफी जल्दी आ जानी चाहिये थी। इसके कम्पोज़ीशन को भी देखें तो इसके अन्दर हमारे राजस्थान के जो राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से और अन्य सभी दृष्टियों से जो ऊंचे कहे जाने-वाले लोग हैं और जो उच्च से उच्च अधि-

(श्री सोहनलाल भटनागर)

कारी हैं वे इसमें मौजूद थे। फिर भी जिस प्रकार की रिपोर्ट की आशा की जाती थी, मेरे खयाल से वैसी सामने नहीं आई और जो समस्याएं इसकी टर्म्स ऑफ रेफरेन्स में इसे सौंपी गई उन पर जैसा प्रकाश डाला जाना चाहिये था वैसा नहीं डाला जाकर बहुत सी ऐसी बातें कही गई हैं जो इतनी महत्वपूर्ण नहीं थीं, तो इससे हमें निराशा हुई है।

माननीय सभापति महोदय, यह निश्चित है कि जैसी दो प्लानों में हमारी भूमि सुधार सम्बन्धी नीति रही है और जो ऑब्जेक्टिव हमारा रहा है: "To remove the impediments of agricultural production". उनमें सबसे बड़ा यह था कि जो अन्न उत्पादन में रुकावटें है उनको दूर करना और दूसरा है: "To eliminate all elements of social injustice". दूसरे जितने भी शोषण के तरीके हैं, सामाजिक अन्याय के साधन हैं उनको समाप्त करना है।

जो कुछ सब्जेक्ट मेटर इस कमीशन को जांच के लिये दिया गया था वह बहुत स्पष्ट था और सरकार ने जो टर्म्स ऑफ रेफरेन्स दी वे सरकार की इस बारे में स्पष्ट मंशा की द्योतक हैं और यह जो उद्देश्य मैंने पहले बताया उसको परिपूर्ण करता है या नहीं, यह स्पष्ट है।

पहला है :—

"1. Study the land reforms already introduced in Rajasthan, ascertain how far these have actually been implemented and make such recommendations for their implementation or for further reforms as may be necessary;

2. make their suggestions for the drafting of land management legislation and rules; and

3. superintend and ensure the enforcement of such legislation."

तो इन दृष्टिकोणों से हम देखें तो जो ऑब्जेक्टिव मैंने निवेदन किये थे सदन के सामने उनको प्राप्त करने के जरिये तीन ही तरह से हो सकते हैं : एक तो एबोलिशन ऑफ इन्टरमीजियरी और (२) काश्तकार अधिनियम में सुधार और वह सुधार रेगुलेशन ऑफ रेन्ट या रिडक्शन ऑफ रेन्ट से हो सकता है। तीसरा है सिक्योरिटी ऑफ टीनेन्ट। इन तीन दृष्टिकोणों से देखें तो इसके अन्दर काफी प्रगति हुई है।

एबोलीशन ऑफ इन्टरमीजियरी के बारे में जो रिपोर्ट दी है, मैं उससे सन्तुष्ट हूं। यह सही है कि राजस्थान में अब जागीरदारी और जमींदारी नाम की कोई चीज नहीं रही। रिलीजियस जागीरें भी जो थोड़ी बहुत रही हैं वे भी समाप्त होने वाली हैं। पर जैसा कि थर्ड फाइव इयर प्लान में निर्देश है और जैसा राजस्व मन्त्री ने अपनी इन्ट्रोडक्टरी स्पीच में कहा है कि जो भूमि सुधार इन्टरमीजियरी की समाप्ति के साथ प्रारम्भ होते हैं उनको भी शीघ्रगामी बनाना चाहिये। और कम से कम एक टारगेट डेट नियुक्त करनी चाहिए ताकि उसके अन्दर सारे के सारे जितने भी ऐसे लोग जागीरदार और जमींदारों को जिनके ऊपर इफेक्ट हुआ है लेजिस्लेशन से जल्दी से जल्दी और खास तौर से नीचे के जितने भी भूमिधारी हैं उनको जल्दी

(श्री सोहनलाल भटनागर)

से जल्दी कम्पेन्सेशन मिल जाये; इसकी व्यवस्था की जाये ताकि उनके दिमाग में शान्ति रहे।

दूसरे माननीय सभापतिजी, यह हो सकता है कि अभी कुछ दिनों पहले हमने ऐसा लेजिस्लेशन पास किया था कि उसके अन्दर जितने भी सेवा करने वाले टेन्योर्स थे उनको भी जागीर की डेफीनिशन में माना है और उनको मैन जागीरदारों के कम्पन्सेशन में से काटकर देने की व्यवस्था की थी जो कि हम पहले भूल गए थे! आज राजस्थान के अन्दर कितने ही ऐसे भूमिधारी हैं जिनको कि सर्विस-ग्रान्ट दी थी। उस अधिनियम के अन्दर यह समाविष्ट किया गया था कि ऐसे जागीरदारों को जागीरदारों के मैन मुआवजे में से काट दिया जायेगा, लेकिन मैं समझता हूं कि इसके लिए कोई निर्देश इस कमीशन की रिपोर्ट में नहीं है।

इसके अलावा, माननीय सभापतिजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि टीनेन्सी अधिनियम में जो रिडक्शन ऑफ रेन्ट और सीक्योरिटी ऑफ टेन्योर के बारे में है उसके लिए भूमि आयोग ने एक शब्द तक भी नहीं कहा है और जैसी कि टीनेन्सी एक्ट में एक खास चीज थी वह बहुत अच्छी थी कि ऐसे कानून में ऐसा प्रावधान रखा है कि छुटा बांटा हो। आज राजस्थान में देखें तो हम देखेंगे कि जो सब-टीनेन्ट्स हैं वे इसका पालन कर रहे हैं या नहीं? आज राजस्थान में कितने ही सब-टीनेन्ट्स थे जिनको कि इसका पता भी नहीं है, आज वे गरीब हैं और साधनहीन हैं और जो कुछ उनको रियायतें दी गई हैं और जो कुछ सुधार इस दृष्टिकोण से किया गया वे ठीक तरह से उसका लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं। इस तरह से इसके सम्बन्ध में जो प्रोटेक्शन टीनेन्ट्स के लिए था मेरे ख्याल से सब माननीय सदस्यों को विदित है कि सन् १९४८ में प्रोटेक्शन ऑफ टीनेन्ट्स ऑर्डीनेन्स पास किया गया था और तभी से हमारे यहां पर बेदखली रोक दी गई और इसके अन्दर भी काफी व्यवस्था इस बात के लिए रखी है कि उनको बेदखल नहीं किया जाये, लेकिन फिर भी हम देखेंगे तो मालूम होगा कि आज भी कितने ही सब-टीनेन्ट्स बेदखल किये जाते हैं। उनके पास साधन नहीं हैं और न उनके पास सहायता है। इस दृष्टिकोण से जो भूमि आयोग है उसको देखना था कि उससे कितने लोगों को लाभ मिला है और कितने लोग सब-टीनेन्ट्स हैं और कितने काश्तकार ऐसे हैं कि जो बेदखल नहीं हुए। इसके बारे में भूमि आयोग को अपनी रिपोर्ट में प्रकाश डालना चाहिए था।

इसके साथ ही, सभापतिजी, मैं और निवेदन करना चाहूँगा कि हमने प्राइमरी राईट्स के अन्दर सबसे पहले टीनेन्सी एक्ट में प्रावधान रखा था। दफा १५ और १६ में रखा था और वह यह था कि सब-टीनेन्ट्स को भी खातेदारी अधिकार दिये। यह उनको बहुत बड़ा अधिकार दिया। इसी तरह से सब-टीनेन्ट्स जो कि टीनेन्ट्स के भी सब-टीनेन्ट्स थे उनको दफा १६ के अन्दर अधिकार दिये कि एक प्रक्रिया से वह खातेदारी राइट्स प्राप्त कर लें। उसके अन्दर सरकार ने देखा कि काफी लोग एक लम्बा अरसा गुजर जाने के बावजूद भी सब-टीनेन्ट्स को जो अधिकार दिये गये हैं टीनेन्सी राइट्स प्राप्त नहीं कर सके; इसलिए उसमें तरमीम लाई गई और

(श्री सोहनलाल भटनागर)

उसके अन्दर दो वर्ष का आप्शन टीनेन्ट्स के ऊपर न रख कर यह रख दिया कि सन् १६५५ से जो सब-टीनेन्ट्स थे उनको काश्तकार लैंड रेकॉर्ड्स के अन्दर दर्ज कर दिया जायेगा और जो कम्पन्सेशन रखा वह २० गुना रखा। वह बहुत ही मामूली अधिकार है जिसको कि वह प्राप्त कर सकते थे, लेकिन, माननीय सभापतिजी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो ५ वर्ष का नया संशोधन था और जो लैंड रेकॉर्ड्स में ठीक करने की बात थी वह कम्प्लीट नहीं हुई और दफा १६ के अन्दर जिन सब-टीनेन्ट्स को खातेदारी राइट्स प्राप्त हो जाने चाहिए थे वह रेकॉर्ड्स में दर्ज नहीं किये हैं। आज उनको इससे बहुत बड़ा अधिकार मिला था जिसके लिए चाइना और रूस में बहुत बड़ी कुर्बानी करनी पड़ी थी उसको हमने महात्मा गांधी के सिद्धान्त से अहिंसा और शांति के तरीके से बहुत बड़ा अधिकार दिया। वह आज तक रेकॉर्ड में दर्ज नहीं किया। इसके बारे में भूमि आयोग की रिपोर्ट में जरूर प्रकाश डालना चाहिए था। माननीय सभापतिजी सेक्शन १५ और १६ का जो महत्वपूर्ण पोर्शन है टीनेन्सी एक्ट का उसके बारे में कोई प्रकाश नहीं डाल कर जिनको खातेदारी राइट्स मिलने थे उनको दिक्कत हुई। इसके लिए अभी माननीय राजस्व मंत्रीजी ने जरूर आश्वासन दिया कि इसकी कार्यवाही जारी है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह लैण्ड कमीशन का प्रथम कर्त्तव्य था कि जो सबसे बड़ा अधिकार सब-टीनेन्ट्स को दिया उसके बारे में सबसे पहले डिस्कशन होना चाहिए था।

माननीय सभापतिजी, इसी तरह से जो रहने की व्यवस्था के बारे में कहा और कई माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी राय जाहिर की; मैं मानता हूं कि टीनेन्सी एक्ट के अन्दर इसके लिए अधिकार दिया, मैं मानता हूँ कि पंचायत एक्ट के अन्दर इसके लिए अधिकार दिया लेकिन इसके साथ ही लैंड रेवेन्यू एक्ट का जो ६४ दफा को देखें तो मालूम होगा कि इसमें साफ लिख दिया है :

"No person shall occupy any land in the 'Abadi' area of a village without first paying therefor such sums as may be fixed under this Act."

तो एक तरफ तो उनको फ्री जमीन देने की व्यवस्था करते हैं और दूसरी तरफ लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्दर ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविज़न मिलता है।

दूसरी बात, इस सम्बन्ध में माननीय सभापतिजी, यह है कि आज हम देखते हैं कि भारत की आबादी बढ़ रही है। विलेजेज़ में और ज्यादा बढ़ रही है और जब सेटलमेंट हुआ था उस समय जो आबादी की जमीन थी वह बहुत ही कम सीमित दायरे में थी। आज जो कृषि की भूमि है उसको आबादी में कन्वर्ट करने के लिए काफी कड़े नियम सरकार ने बनाये हैं और हमने उसके लिए कई संशोधन यहां पास किये हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि काश्त की जमीन को इस तरह से आबादी में कन्वर्ट नहीं किया जाये लेकिन साथ ही जिनके पास भूमि नहीं है और जो आर्टिज़न्स हैं उनको कम से कम रहने के लिए जमीन दी जानी चाहिए। आबादी को डेवलप करने के लिए जो नियम थे वे कभी के पास हो जाने चाहिए थे, लेकिन हम देखते हैं कि जो नियम पास हो जाने चाहिए थे आज तक, वे अभी तक नहीं हुए हैं और

(श्री सोहनलाल भटनागर)

जो आबादी को डेवलप करने का सारा तरीका और प्रक्रिया इतना केन्द्रित सरकार ने कर दिया है कि आज हजारों और लाखों इस तरह के मामले हर तहसीलों में मौजूद हैं कि जहां किसानों को जमीन नहीं मिल पाती। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो कुछ लैण्ड कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है उसके बावजूद भी इसकी तरफ खास ध्यान देना चाहिए। इसके लिए जल्दी से जल्दी रूल्स बनें और जमीन को जल्दी से जल्दी आबादी में कन्वर्ट करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

बिल्डिंग मेटीरियल के बारे में कहा गया। मेरे ख्याल से इसमें माइनिंग डिपार्टमेंट की ओर से और राजस्व विभाग की ओर से काफी प्रकाश डाल दिया गया है, काफी विज्ञप्तियां निकल चुकी हैं। जालोर से आने वाले माननीय सदस्य ने इसके बारे में कहा कि आज उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे ख्याल से वहां के लोगों की कमजोरी हो सकती है वर्ना सरकार ने जो बिल्डिंग मेटीरियल के लिए प्रावधान रखा है वह काफी पर्याप्त है और काश्तकारों को उससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है।

इसके बाद, माननीय सभापतिजी, माननीय मंत्री महोदय ने ठीक कहा कि जब टीनेन्सी एक्ट पास हुआ उस समय काफी दिक्कतें थीं कि सक्सेशन के लिए पर्सनल लॉ काम में लाया जाये या कामन लॉ काम में लाया जाये। तो इस निर्णय पर पहुँचे कि पर्सनल लॉ ही लागू होना चाहिए। इसके विपरीत लैण्ड कमीशन ने यह राय दी है कि पर्सनल लॉं वाला प्रोविज़न हटा दिया जाये। मुझे खुशी है कि माननीय मन्त्रीजी ने इसके बारे में कमीशन की रिपोर्ट को नहीं माना। कमीशन की राय है कि फ्रेग्मेंटेशन ऑफ होल्डिंग हो जायेगा उसके और इससे फर्दर डिविज़न नहीं हो सकेगा। इसके बारे में माननीय सभापति जी मैं एक दलील और देना चाहूंगा और वह यह है कि यदि पर्सनल लॉं को खत्म कर दिया गया और पर्सनल लॉं का मतलब हिन्दू लॉं, मोहमडन लॉं। कुछ वर्ष पूर्व हिन्दू सक्सेशन एक्ट पास किया गया उसमें स्त्रियों के लिए अधिकार दिये हैं। इनको यदि हम ताक में रख देते हैं तो एक महान् कदम हिन्दू धर्म के लिए कहा और अनमेरीड और मेरीड डॉटर्स को अधिकार दिये गए उससे समाप्त कर देंगे। पंजाब के अन्दर और दूसरी जगह इसके बारे में कुछ दिनों पहले यह आवाज उठी कि टीनेन्सी के मामले में जो किसान हैं वे पर्सनल लॉं से गवर्न न हों और जो हमारे प्रधान मंत्री और दूसरे आयोजना आयोग के सदस्य हैं उनकी राय सब लोगों ने पढ़ी होगी। तो सरकार ने जो वह राय जाहिर की है कि पर्सनल लॉं जितने भी हैं उनको खत्म नहीं करना चाहिए और उनको कायम रखना चाहिए, यह मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है।

माननीय सभापतिजी, इसके अन्दर जो दूसरी मुख्य बात मुझे लगी वह है रिडेम्शन ऑफ प्री-एग्जिस्टिंग मोर्टगेजीज़ के बारे में। जितने भी पुराने मोर्टगेजीज़ हैं उनके बारे में जो व्यवस्था की है वह बिल्कुल ठीक है। जब कि ओरीजिनल एक्ट पास किया गया था उस एक्ट में भी मेरे ख्याल से उसमें भी यह व्यवस्था मान ली गई थी कि पुराने जितने मोर्टगेजीज़ हैं उनके ऊपर

(श्री सोहनलाल भटनागर)

भी लागू हों। इसके अन्दर एनेमोली और एम्बीग्विटी जो थी उसको दुरुस्त करने के लिए धारा ४३ ए और बढ़ाई गई। पहले के जितने मोर्टगेजीज़ हैं उनके ऊपर पहले के कानून के मुताबिक दस साल के अन्दर के मोर्टगेजीज़ समाप्त नहीं होंगे! इस दृष्टिकोण से भी लैंड कमीशन की जो व्यवस्था बीस वर्ष के पुराने मोर्टगेजीज़ पर लगा दी जाय; यह बिल्कुल ठीक है। एक तरफ तो दस साल के मोर्टगेजीज़ को समाप्त करते हैं और दूसरी तरफ चालीस और पचास साल के कर्जों को चलने देते हैं। तारीख की बिना पर ही पचास और साठ साठ साल के ऐसे मोर्टगेजीज़ हैं जिन्हें हम कन्टीन्यू करने देना चाहते हैं। उससे जो शोषण होगा मोर्टगेजीज़ के ऊपर उसको कायम रखना चाहते हैं। इस दृष्टिकोण से भी यह जो प्रावधान रखा है वह ठीक है।

माननीय सभापतिजी, सीलिंग के बारे में भी माननीय राजस्व मन्त्रीजी ने जो कुछ प्रकाश डाला और इस रिपोर्ट के अन्दर भी बाई दी वे कुछ बातें लिखी गई। राज्य में सीलिंग लागू करने के लिए एक अलग से सिलेक्ट कमेटी बनाई गई थी। इसकी रिपोर्ट भी अलग से प्राप्त हुई. बिल वगैरह भी पास हो गया, राष्ट्रपतिजी की एसेंट भी उस पर प्राप्त हो गई है। इस सम्बन्ध में मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से सीलिंग बिल के अन्दर जिस तरह तरमीमात की है, जिस तरह की प्रोग्रेस चल रही है उसको देखते हुए इसमें इनओर्डिनेट डिले हो रही है। जितनी ज्यादा डिले होगी उतने ही लैंडलैस पर्सन्स ज्यादा हो जायेंगे, जो लैंडलेस पर्सन्स के लिए पॉवर्स और ट्रांसफर ऑफ लैंड को लीगेलाइज़ किया है वह भी ज्यादा होंगे और सीलिंग को लाग करने की जो ओरीजिनल भावना है कि इससे लाखों एकड़ भूमि हम प्राप्त कर सकें और लैंडलैस पर्सन्स को भूमि अलॉट कर सकें, हमारी ये आशाएं क्षीण होती जायेंगी, हमारे लिए कोई भी भूमि नहीं रहेगी।

तीसरी बात, माननीय सभापतिजी, डिमार्केशन ऑफ ग्रेजिंग ग्राउन्ड्स के लिए कही गई है। यह बहुत बड़ी समस्या यहां पर नहीं थी जो कि लैंड कमीशन जैसे एक उच्च स्तरीय आयोग के सामने जाती। फिर यह बात अवश्य है कि राजस्थान के अन्दर डिमार्केशन ऑफ ग्रेजिंग ग्राउन्ड्स शुरू हो गया है, लेकिन यह सम्भव है और मैं समझता हूं कि डिमार्केशन ऑफ ग्रेजिंग ग्राउन्ड्स हो जाने के बाद भी हम देखते हैं कि पंचायतों को जो सौंपे जाते हैं चरागाह, उनके पास पूरे अधिकार नहीं हैं कि वे बेदखल कर सकें। आज चरागाह की आवश्यकता है। जितने भी भूमिहीन हैं, मैं मानता हूं कि भूमिहीन किसानों को जमीनें दें, लेकिन जो चरागाह की जमीनें हैं या जो अनओक्युपाइड लैंड्स हैं एक ऑर्डर से, एक निर्दिष्ट तरीके से उनका वितरण होना चाहिए; यह नहीं कि वे कानून अपने हाथ में लेकर उन पर कब्जा कर लें।

माननीय सभापतिजी, राजस्थान के प्रत्येक गांव में हम देखते हैं कि हजारों और सैकड़ों व्यक्ति नाजायज़ तरीके से कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने सैकड़ों बीघा भूमि पर कब्जा कर रखा है! लेकिन कोई ऐसा जुर्माना या और कोई आदेश नहीं है जिससे कि वे

(श्री सोहनलाल भटनागर)

बेदखल हो सकें। इसके लिए लैंड कमीशन कोई कड़ी से कड़ी सजा या कोई और व्यवस्था का प्रावधान रख देता तो मुझे खुशी होती, लेकिन इसकी महत्ता को मानते हुए कोई अतिक्रमण न हो, स्पष्ट रूप से विचार नहीं रखे हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर कुछ कार्यवाही करेगी।

ऐसी ही एक बात कैटल फेयर के बारे में कही गई है। मैं निवेदन करूंगा कि यह विषय ऐसा नहीं था जो कि लैंड कमीशन के सामने जाता। जब माननीय राजस्व मंत्री महोदय इसके बारे में विचार रख रहे थे उस वक्त भी मैंने बाइ दी वे कहा था कि कैटल फेयर का प्रश्न भूमि सुधार के कौन से प्रोविजन में आता है। कैटल फेयर सरीखी जो बात है यह तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की हो सकती है, लेकिन वह भूमि सुधार से सम्बन्ध रखती हो, ऐसा मुझे नहीं लगता कि जिस पर लैंड कमीशन को प्रकाश डालना पड़ा।

एक बात माननीय सभापति महोदय, युटिलाइजेशन ऑफ लैंड के बारे में कही गई है। इसके बारे में राजस्थान युटिलाजेइशन ऑफ लैंड एक्ट भी पास किया गया और उसके अन्दर हमने तरमीमें भी की। मैं सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि जिन उद्देश्यों को लेकर वह अधिनियम पास किया गया उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकेगा। आज हजारों एकड़ भूमि बिना काश्त के पड़ी हुई है। उनमें भूमिहीन किसानों को बसाना चाहिए था, लेकिन आज हजारों एकड़ भूमि जागीरदारों के पास या दूसरे लोगों के पास पड़ी हुई है। वे बिना खेती के पड़ी हुई है क्योंकि सब-टीनेंट्स वगैरह के झगड़ा होने की वजह से कोई काश्त ही नहीं कराते हैं। इस दृष्टिकोण से कुछ असेसमेंट जरूर कराये हैं। असेम्बली में जब सवाल पूछे गए तो बताया गया कि अलग अलग जिलों के अन्दर अलग अलग व्यवस्था की जा रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापतिजी, कि लैंड युटिलाइजेशन एक्ट को राष्ट्र के अन्दर उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से, भूमिहीनों को रोजगार देने की दृष्टि से भी बहुत जरूरी हो जाता है कि इस विधेयक को ठीक तरह से लागू किया जाय।

एक बात इस लैंड कमीशन की रिपोर्ट के अन्दर जो है, माननीय सभापति महोदय, वह बहुत प्रशंसनीय है। वह है गैर मुमकिन भूमि को काश्त के लिए देने के लिए। यह बात सही है कि भूमि का प्रेशर है। उदयपुर और कई दूसरे जिले हैं जहां पर काफी जमीनों पर काश्त हो सकती है और वक्त सेटलमेंट जिसे गैर मुमकिन दर्ज कर दिया था अब उसको काश्त के लिए दें। आज जो लैंड अलॉटमेंट कमेटी बनाई गई है, लैंडलैस टीनेंट्स को जमीन अलॉट करने के लिए जो अलॉटमेंट कमेटी बनाई गई है उसको कार्य करना चाहिए। जब कि जमीनों की कमी है, भूमिहीन ज्यादा हैं तो ऐसी जमीनों पर काश्त होनी चाहिए और गैर मुमकिन जमीनों को मुमकिन करना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

पांच मिनट और लूंगा, सभापति महोदय।

Page No.71

(श्री सोहनलाल भटनागर)

माननीय सभापतिजी, हमारा खास ध्यान जो है और लैंड कमीशन ने भी लिखा है वह होना चाहिए लैंड मैनेजमेंट की तरफ। लैंड कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जितनी बड़ी होल्डिंग्स हैं उन पर लागू हों, छोटी होल्डिंग्स पर लागू न हो। राजस्व मंत्रीजी ने भी इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा उससे जाहिर हुआ कि क्योंकि सीलिंग का एक्ट आ रहा है इस वजह से लैंड मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। मैं, माननीय सभापतिजी, निवेदन करना चाहता हूं कि भूमि सुधार के अन्दर लैंड मैनेजमेंट का बहुत बड़ा स्थान है और पर्टीक्युलर स्टैंडर्ड जो कल्टीवेशन का है, किस तरह उसका लेवलिंग हो, वेटर कंडीशन में हो, तो इसके लिए लैंड मैनेजमेंट की व्यवस्था या तो सरकार करे या ग्राम पंचायतें करें। हमारे देश के अन्दर जो बेकार, बेरोजगार लोग हैं, जो जन-संख्या बढ़ रही है उसके लिए और हमारे देश का उत्पादन बढ़ाने के लिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि गांव के अन्दर भूमिहीन काश्तकारों को, बेकारों को कार्य दिलाने के लिए लैंड मैनेजमेंट की व्यवस्था को लगाना पड़ेगा जिससे कि हमारा उत्पादन बढ़ सके। अभी राजस्व मंत्रीजी ने सीलिंग की बात कहते हुए कहा था कि लैंड मैनेजमेंट लेजिस्लेशन की आवश्यकता नहीं है। जो वैल मैनेज्ड फार्म्स हैं वे तो हो जायेंगे लेकिन जो शूगर फार्म्स हैं और दूसरे फार्म्स हैं वे इसमें नहीं आयेंगे। उनको एग्जेम्शन दिया हुआ है, ये सीलिंग के पर्व्यू में नहीं आते। जब ये फार्म मौजूद रहेंगे तो लैंड मैनेजमेंट की भी आवश्यकता रहेगी। इस दृष्टि से भी हमें लैंड मैनेजमेंट रखने की जरूरत होगी। सभापति महोदय, एक और प्रश्न भूमि सुधार के संबंध का है और वह है कन्सोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। और यह बात बिल्कुल सही है कि लैंड कमीशन ने यह कहा है कि कोऑपरेटिव फार्मिंग होगा तो भी कन्सोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स की आवश्यकता होगी। मैं इस राय से सहमत हूं लेकिन कन्सोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स तक के बारे में भी, मेरे ख्याल से, बिल्कुल इन्टीरियर में लैंड कमीशन को जाना चाहिए था। किसान जो हैं वे इसके क्यों विरोधी है? कन्सोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स के लिए जो प्रावधान रखा गया है, जो टार्गेट रखा गया है ११ लाख के आंकड़े हमारे राजस्थान के रखे गये हैं; दूसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त होने जा रही है, लेकिन हम उनको एचीव नहीं कर सकेंगे, केवल वन-फोर्थ या वन-थर्ड ही एचीव कर सकेंगे। इस दृष्टिकोण से व्यापक तौर से लैण्ड कमीशन को जाना चाहिए था।

माननीय सभापति महोदय, और अधिक समय नहीं लेकर अन्त में मैं जो निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि माननीय राजस्व मन्त्री ने कई चीजों के लिए अलग अलग कमेटियां बैठाने की एक बात कही है, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि यदि आप हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना में जिसके लिए प्लानिंग कमीशन सोच रहा है कि मुख्य जो विचार, मुख्य जो हमारा उद्देश्य यह रहेगा कि जो लैण्ड रिफॉर्म्स हमने पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में किये हैं उनको किस तरह से कन्सोलिडेट करें, किस तरह से इम्प्लीमेंट करें, तो बहुत ही जरूरी है कि यह काम उन लोगों के ऊपर न सुपुर्द किया जाय कि सरकार की पुरानी मशीनरी है जो कि ऐसे क्रान्तिकारी कदम के लिए

(श्री सोहनलाल भटनागर)

कभी तैयार नहीं थे। यदि आप चाहते हैं कि उनका अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो तो जनता का ज्यादा से ज्यादा सहयोग लेना पड़ेगा। तो ऊंचे से ऊंचे स्टेट लेवल पर और नीचे से नीचे विलेज लेवल पर ऐसी मशीनरी बैठानी पड़ेगी जो हमारे लैंण्ड रिफॉर्म्स को ठीक तरह से इम्प्लीमेंट कराये। तो थर्ड फाइव इयर प्लान के बारे में प्लान फ्रेम आया है और उसके बाद में प्लानिंग कमीशन इसके बारे में फाइनेलाइज़ करके राय देगा उसमें स्पष्ट होगा। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि ऊपर से लेकर नीचे तक की मशीनरी ऐसी हमको मुकर्रर करनी पड़ेगी जैसी कि केरल के लैण्ड कमीशन के अन्दर लैण्ड रिफॉर्म्स बिल के अन्दर रखी गई है जिससे कि एक पर्मानेन्ट मैजर, एक पर्मानेन्ट लैण्ड कमीशन चाहे रहे और चाहे हमारे राजस्व मन्त्रीजी जो कि काफी प्रगतिशील विचारधारा रखते हैं उन्हें ही उसका चेयरमैन बनाया जाय, लेकिन जिस तरह का यह लैण्ड कमीशन बना है २५ सदस्यों का उतने सदस्य उसमें मुकर्रर नहीं करें जिससे कि न तो उनको पूरा समय मिल सकेगा और न ही वे पूरे विचार दे सकेंगे। ५,७ सदस्यों का एक बॉडी बनाया जाय जिसका कि मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि हमारे राजस्थान में जितने भी भूमि सुधार आये हैं वे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं, भूमि संबंधी जो समस्यायें नई नई उत्पन्न हो रही हैं उनका किस तरह से समाधान किया जाय। इस दृष्टिकोण से स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर एक एक कमेटी बना दी जाय ताकि इसको ठीक तरह से क्रियान्वित कर सकें।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय सभापतिजी, स्टेट लैण्ड कमीशन की जो रिपोर्ट १९५९ की हमारे सामने है उसको देखने के बाद ऐसा लगा कि यह रिपोर्ट जिस रूप में हमारे सामने आनी चाहिए थी, यह रिपोर्ट हमारे सामने उस रूप में नहीं आई। मैंने जब इसके कारणों की ओर ध्यान दिया तो मुझे ऐसा लगा कि प्लानिंग कमीशन के निर्देश के अनुसार जो कि स्टेट लेवल का कमीशन भूमि के ज्ञान के संबंध में जो कानून बने हैं और इनसे जो लाभ हो रहा है उसकी जानकारी लेने के लिए बनाना चाहिए था और हमारी राज्य सरकार ने बनाया है। हमारा जो लैण्ड कमीशन है उसके चेयरमैन हमारे राजस्थान के मुख्य मन्त्री हैं, लेकिन जो सब-कमेटीज़ बनाई हैं उन कमेटीज़ के अन्दर हमारे राजस्व मन्त्रीजी को ही उनका चेयरमैन बनाया। मैं यहां सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि जो कमेटी बनाई गई लैण्ड कमीशन के लिए, उसके बारे में मैं अपना विरोध प्रकट करता हूं इस बात के लिए कि जिस व्यक्ति ने सारे कानून बनाये हैं, जिस व्यक्ति ने भूमि सुधार के लिए जो कदम उठाये हैं उसी व्यक्ति से यह जांच करवाई जा रही है कि मेरे कानून का लाभ हो रहा है या नहीं, उसे किस प्रकार से निर्देश करना चाहिए। तो जो कुछ भी यह सुझाव देगा उसका जो कुछ भी परिणाम है जैसा कि लैण्ड कमीशन की रिपोर्ट वह केवल एक व्यक्ति की इच्छा के अनुसार हमारे सामने आयेगा। मेरा विचार यह था, मैं, सालूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य की राय का पक्षपाती नहीं हूँ कि राजस्व मन्त्रीजी को छोटी कमेटीज़ का चेयरमैन बनाया जाय,

(श्री दयाकृष्ण विजय)

लेकिन मैं इस बात का पक्षपाती हूं कि जब राज्य सरकार भूमि के संबंध का कोई भी कानून बनाती है या किसी प्रकार का भूमि सुधार के ऊपर कदम आगे बढ़ाती है तो वह अच्छा कदम है या उसके कदम का कितना लाभ जनता और काश्तकारों पर पड़ रहा है; इस बात की जांच करने के लिए वह नहीं हो सकती है। कोई भी आदमी अपनी बुराई अपने आप नहीं कह सकता है, कोई भी आदमी अपने द्वारा उठाये गये कदम को गलत नहीं बता सकता है कि उसका कदम गलत है; बताने के लिए दूसरा आदमी होना चाहिए। वह निष्पक्ष आदमी होना चाहिए और काश्तकारी के मामले में समझने वाला आदमी होना चाहिए। मेरा सुझाव यह होगा कि भविष्य में लैण्ड कमीशन यदि इस प्रकार का कायम करते हैं तो लैण्ड कमीशन में परिवर्तन किया जाना चाहिए। उसका चेयरमैन बहुत अच्छा यहां का प्रगतिशील काश्तकार हो जिसको काश्तकारी के मामले का, काश्तकारों की कठिनाइयों के मामले का, काश्तकारों के जनजीवन की जो कठिनाइयां हैं, जो ग्रामीणों की कठिनाइयां हैं, उनकी जरूरतों के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान रखता हो। ऐसे विशद् काश्तकार को चेयरमैन बनाया जाना चाहिए। उसके निर्देश के अनुसार सारी बातों का सुझाव होना चाहिए न कि वह कमेटी; जिनका कमेटी में नाम है उन नामों को देख कर ऐसा लगता है कि

(२. २५ म. प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष,पदासीन)

जो राज्य सरकार अपने विषय का बारे का सर्वेक्षण करने चली है, तो, मैं समझता हूं कि वह सर्वेक्षण उनके द्वारा निष्पक्ष नहीं हो सकता। वे कभी गहराई में नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने अपना दायरा एक तालाब का बना लिया है, वे उस तालाब से बाहर जाकर सोचने की कोशिश कभी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जबकि हम इस लैंड कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करते हैं तो मेरा यह सुझाव है कि इसके कन्स्ट्रक्शन को बदला जाय। उसमें विभिन्न प्रवृत्तियों के लोग जो कि जमीन पर काम करते हैं उनके ज्ञान का, उनके अनुभवों का हमको लाभ उठाना है। उनके अनुभवों से आगे हम क्या कदम उठा रहे हैं, कदम उठाने में कहां गलतियां कर रहे हैं, कहां ठोकर खा गये, उससे जनता का विकास कितना होना चाहिए, काश्तकारों के जीवन में किसी प्रकार का परिवर्तन आया है या नहीं, इस बात की जांच हम निष्पक्ष आदमी से करायें। हमारा लैंड कमीशन बिल्कुल निष्पक्ष हो और राज्य सरकार का उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि राज्य कर्मचारी बहुत बड़े आदमी इसमें हो सकते हैं उनका सहयोग लिया जा सकता है, उनको बुला कर देखते हैं। लेकिन उन्हीं को रख कर सारी कमेटीज़ बनाई जायंगी तो मैं समझता हूं कि अच्छा निष्पक्ष निर्णय इस तरह का नहीं दे सकेंगे। इसी कारण मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ सुझाव दिये गये हैं वे बहुत गहराई के सुझाव नहीं हैं बल्कि काश्तकारों की जो कठिनाइयां हैं उनके ऊपर उनके द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है। क्या लेजिस्लेशन, कानून लागू किये गये हैं उनका क्या अर्थ निकलता है या किस मन्शा से रखे हैं; उसी पर लीपापोती की गई है

(श्री दयाकृष्ण विजय)

और उसके बाहर जाने की कोशिश नहीं की गई है। इतना मैं जरूर मानता हूं कि राजस्थान के अन्दर भूमि के सम्बन्ध में जितने भी कानून बने हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, कानूनों में जो संशोधन हो रहे हैं उनकी संख्य भी बहुत ज्यादा है। उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कानून बनाने की हमको बहुत जल्दी है। हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के और प्रदेश जो हैं उनसे बहुत जल्दी आगे जाकर इस प्रकार का रेकॉर्ड कायम करें कि हमने कानून बनाने में इस प्रकार का पहला कदम लिया है। हमारा राजस्थान ही ऐसा है कि जिसने इस प्रकार के कदम उठाये हैं। हम इस जल्दी के दुष्परिणाम की ओर नहीं जाते हैं, उसकी गहराई में नहीं जाते हैं। यही कारण है कि हमें बार बार एमेंडमेंट्स लाने पड़ते हैं। मैं यह बताना चाहूंगा कि इसके अन्दर हालांकि यह पॉलिसी सेन्टर से गाइड होती है, प्लानिंग कमीशन को इस प्रकार की पॉलिसी है उसी प्रकार से हमारे यहां ढांचा काश्तकारी कानूनों के सम्बन्ध में बनता चला जा रहा है।

मुझे इस बात पर ऐसा लगता है कि प्लानिंग कमीशन पर्सनल कल्टीवेशन सुरक्षित रखना चाहता है। वहां हमारी राज्य सरकार और हमारी राजस्थान सरकार उस पर्सनल कल्टीवेशन के ऊपर निर्भर नहीं रह कर उस कल्टीवेशन को जो कि व्यक्तिगत है, हटाना चाहती है और जो काश्तकार हैं उनका जो मालिकाना हक है उसको इस कमीशन की रिपोर्ट में बताया गया है कि काश्तकार के ऑनरशिप को संरक्षण मिलना चाहिए, काश्तकार को जमीन के मालिकाना हक से नहीं हटाया जायगा, इस प्रकार की गारन्टी दी जानी चाहिए ताकि काश्तकार यह समझ सकें कि जमीन मेरी है और उसके ऊपर जितना भी डेवलपमेंट वह करेगा उसका लाभ उसको ही मिलेगा। यह प्रबन्ध जब आप करेंगे तब वह समझ सकता है कि जमीन के ऊपर उसका पूरा अधिकार है; उसकी संतति और परिवार इस बात का लाभ उठायेंगे। जब तक आप उसमें यह विश्वास पैदा नहीं करते हैं तब तक अधिक पैदावार और अधिक उत्पादन की कल्पना नहीं कर सकते हैं और यह तभी कर सकते हैं जब कि आप पर्सनल कल्टीवेशन के सिद्धान्त को स्वीकार करें। जिस पर्सनल कल्टीवेशन को प्लानिंग कमीशन को डिफाइन किया है बड़े सुन्दर ढंग से "The Planning Commission has proposed a more effective definition of 'personal cultivation' and has suggested that the expression should be defined so as to include the entire risk of cultivation being borne by the owner and personal supervision being accompanied by residence during the greater part of the agricultural season..."

तो मैं बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति उसका रिस्क लेता है, उसका सुपरवीज़न करता है, उसके ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे वह पर्सनल लेबर नहीं करता हो, उसको भी संरक्षण देने के लिए प्लानिंग कमीशन ने इसमें दिया है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जमीन के ऊपर से इन्टरमीजियेरी समाप्त होने चाहिए, जितने भी मध्यस्थ हैं, उनको हटाया जाना चाहिए लेकिन मध्यस्थ को हटाने के बाद भी काश्तकार को खातेदारी के अधिकार नहीं दें और

(श्री दयाकृष्ण विजय)

सहकारी खेती के नाम पर ऐसे कोऑपरेटिव बना दें ताकि वे लोग कभी भी अपनी जमीन पर मालिकाना हक प्राप्त नहीं कर सकें और उसको अपनी पूंजी नहीं समझ सकें।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह मैंने कहा था कि काश्तकार यह समझेंगे कि जमीन के हम मालिक हैं तो वे अधिक परिश्रम करेंगे। यदि हम उनको जमीन से अलग करेंगे और कोऑपरेटिव सोसाइटी से बांधेंगे तो वह समझेगा कि मेरा इस जमीन पर अधिकार नहीं है और मैं जो परिश्रम करूंगा उसका फल सब में बंटनेवाला है; तो वह उतना परिश्रम नहीं करेगा क्योंकि इतनी त्यागवृत्ति तो उसमें नहीं है। इसलिये वह परिश्रम करने से हटेगा और समझेगा कि मैं बेगार करता हूं। इसलिये मैं चाहता हूं कि कोई कदम इस प्रकार का उठावें उससे पहले उस पर विचार करें कि काश्तकार का मालिकाना हक नहीं हुआ तो वह परिश्रम कम करेगा और फलस्वरूप उत्पादन कम होगा, झगड़े बढ़ेंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि जब कभी भी भूमि का एलॉटमेंट करें तब उसमें व्यक्तिगत मालिकाना हक देना चाहिये और प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिए कि हम भूमि कोऑपरेटिव सोसाइटी को ही देंगे।

आज देखने में भी आता है और कई सज्जन बात भी करते हैं कि सहकारी खेती के आधार पर खेती की पैदावार बढ़ सकती है। मैं इसके डिटेल में आज जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं कि पैदावार नहीं बढ़ सकती, क्योंकि पैदावार बढ़ाने के लिये लार्ज स्केल फार्मिंग करना पड़ेगा और लार्ज स्केल फार्मिंग के लिये हमारे पास जमीन है नहीं। हमारी कितनी ही जमीन अरावली पर्वत माला से घिरी हुई है और कितनी ही जमीन जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर के रेगिस्तान से घिरी है। उन रेगिस्तानी इलाकों में राजस्थान नहर आयेगी तब तो लोग वहां जाने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन आज की परिस्थिति में कोई भी अपनी मौजूदा जमीन से हटना नहीं चाहेगा। इसलिये मैं कम से कम यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहले लैंड कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करते समय हमें यह देखना चाहिये कि जो काश्तकार हैं वे आगे बढ़े या नहीं और उसका जो मालिकाना अधिकार है उससे वंचित तो नहीं किया जा रहा है और जो अलॉटमेंट किया जाता है उसके लिये, सोसाइटी बनाने के लिये मजबूर तो नहीं किया जा रहा है, व्यक्तिगत अलॉटमेंट नहीं किया जाकर।

मेरे से पूर्व वक्ता बता रहे थे और मन्त्रीजी ने भी कहा और लैंड कमीशन ने भी सिफारिश की है पर्सनल कल्टीवेशन के आधार पर कि जो बंटवारा होता है उससे फ्रेगमेन्टेशन ऑफ होल्डिंग्ज़ होने की आशंका है। मंत्रीजी ने भी कहा कि धारा ४२ में प्रावधान है कि किसी भी काश्तकार के पास ३० एकड़ या ६० बीघा जमीन है तो वह और जमीन नहीं खरीद सकता। यदि कोई परिवार है और उसके पास लैंड है उससे वह कम रखना चाहता है तो उसको जमीन बेचनी पड़ेगी। लेकिन उसको जमीन बेचने से जो रकम मिलेगी वह जमीन का उचित मूल्य नहीं होगा। लेकिन उसको जमीन बेचनी है क्योंकि आपस में परिवार में झगड़ा है और आजीविका की चिन्ता है तो उसको जल्दी २ में जो कुछ भी मिलता है उस पर

(श्री दयाकृष्ण विजय)

ही वह सेटल होने की कोशिश करेगा। इसी प्रकार से हिन्दू कोड में लड़कियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिया है। मुझे अपने जिले की बात याद है। भाइयों और बहिनों में समस्या खड़ी हो जाती है। बहिनें समझती हैं कि हम दूर रहती हैं; किस प्रकार से जाकर पिता की खेती का फायदा उठा सकें और उनकी जमीन का उपयोग कर सकें? आखिर में वे यह सोचती हैं कि हम अपने हिस्से की जमीन बेच दें। मान लीजिये वे किसी ऐसे व्यक्ति को अपने हिस्से की जमीन बेच देती हैं जिससे उनके भाई का सम्बन्ध ठीक नहीं है तो बेकार में झगड़ा खड़ा हो जायगा। अगर कोई भाई यह सोचता है कि मेरे पास जमीन थोड़ी है, इतना बड़ा परिवार है जिसका पालन करना है और खेती से यह होना मुश्किल है तो वह जमीन बेचना चाहेगा और उसका जो दूसरे भाइयों से सम्बन्ध है उसको तोड़ने के लिये उसे मजबूर होना पड़ेगा। मैं इन सब बातों के विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन बताना चाहता हूं कि मैं इस बात पर मानता हूं कि लड़कियों को पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं मिले। यदि किसी पिता की संपत्ति का कोई मेल उत्तराधिकारी हो ही नहीं या उसके पुत्र नहीं हो और एक लड़की ही हो तो उसको अधिकार मिल सकता है। लेकिन जहां ५.७ लड़के और लड़कियां हों तो उनको अधिकार देने से निश्चित रूप से जमीन का विभाजन होगा। मैं यह भी मानता हूं कि जो लड़की ससुराल पक्ष में जाती है तो उसकी जीवन धारा ससुराल पक्ष की हो जाती है और उसका पिता पक्ष से सम्बन्ध कम हो जाता है। हरएक परिवार में ऐसा होता है। एक लड़की लाते हैं दूसरी देते हैं। यदि इस प्रकार से संपत्ति बंटने लगेगी तो आपस में झगड़ा बढ़ेगा और यही कारण है कि पंजाब में आज झगड़े हो रहे हैं। लोग उनको प्रतिक्रियावादी मानें, लेकिन मैं ऐसा मानने को तैयार नहीं हूँ। उनको इतना अधिकार देना न्यायसंगत नहीं है। उनको एक जगह से संपत्ति मिल जाती है तो फिर दूसरी जगह से क्यों दी जाय? यदि इस प्रकार का अमेंडमेंट जैसा कि लैंड कमीशन ने बताया है किया जाता है तो भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जायगी और पैदावार घटेगी। यदि इसको दूर करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कदम उठाना पड़ेगा।

मैं एक बात और निवेदन करूंगा कि आज काश्तकारों को देवी प्रकोप से किसी प्रकार का संकट पैदा होता है तो उनको राहत, छूट वगैरह के जरिये मिलने चाहिये, लेकिन समय पर नहीं मिलती है। वहां पर तहसीलदार जाते हैं, पटवारी और कानूनगो जाते हैं, फिर कलेक्टर जाते हैं और राहत मिलने का प्रोसेस इतना लम्बा हो जाता है कि काश्तकारों को समय पर जो राहत मिलनी चाहिये वह नहीं मिलती और आने वाली फसल में उसे जमीन पड़त रखनी पड़ती है; क्योंकि उसके पास बीज खरीदने के लिये पैसा नहीं होता और दूसरे साधन नहीं होते। यदि इस बात की सूचना मिलते ही कि अमुक जगह आग लगने से या ओले गिरने से काश्तकार को नुकसान हुआ है उसको सहायता मिलती है तो उसको फायदा हो सकता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की सहायता देने का अधिकार पंचायत समितियों को देना चाहिये। आजकल

(श्री दयाकृष्ण विजय)

विकास अधिकारियों को अधिकार दिया है कि वे २५) रु० तक की सहायता दे सकते हैं। लेकिन इतनी कम रकम से कैसे काम चल सकता है ? मुझे याद है मेरे इलाके में एक जगह काश्तकार के खलिहान में आग लग गई थी और उसमें उसकी सारी चीजें जल गई थीं। उसको २५) रुपये सहायतार्थ देने लगे तो वह कहने लगा कि मेरे पास खाने को अनाज नहीं बचा है और काश्त के लिये बीज नहीं है। अगर मुझे उचित सहायता नहीं मिली तो जमीन पड़त रखनी पड़ेगी। लेकिन पंचायत समिति के पास इससे ज्यादा सहायता देने के अधिकार नहीं थे इसलिये वह क्या कर सकती थी। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि पंचायत समितियों को दैविक आपत्तियों के लिये अधिक अधिकार देने चाहिये। काश्तकारों के लिये उनकी फसल ही जमीन है। एक फसल से एक काश्तकार दो वर्ष के लिये अपना जीवन चलाता है। उनकी फसल अच्छी नहीं होती है तो उसको खुशी नहीं होती, आगे उसका काम नहीं चल सकता। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह काश्तकारों का स्तर ऊंचा उठाने की योजना हाथ में ले और उसके लिये प्रोविज़न करे।

आज इस बात की रट लगाई जाती है कि काश्त की पैदावार के भाव ऊंचे हो गये हैं इसलिये भाव निर्धारित होने चाहिये ताकि सामान्य जनता का जीवनक्रम अस्तव्यस्त न हो। काश्तकारों के लिये नियंत्रण हो सकता है कि तुम अनाज यहां नहीं वहां बेच सकते हो और शहरवालों के लिये चीप ग्रेन शोप्स खोली जाती हैं। मुझे चीप ग्रेन शोप्स खोलने पर आपत्ति नहीं है लेकिन मैं यह अर्ज करूंगा कि जहां काश्तकारों के भाव निर्धारित करते हैं तो जितनी चीजें काश्तकारों के काम में आती हैं; चाहे लोहा हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे दूसरी चीजें हों ये चीजें उन्हें निर्धारित भाव पर ही मिलनी चाहिये। राज्य सरकार को उन्हें प्राथमिकता देना आवश्यक है जिससे कि उनका जीवन ऊपर उठ सके। मैं यह भी मानता हूँ कि यदि चीजों के भाव ज्यादा हैं तो सरकार को नुकसान उठा कर भी काश्तकारों को कम कीमत पर उनकी आवश्यकताओं की चीजें देनी चाहिये। आज मुझे याद है जब कभी गेहूं के भाव, दूसरी चीजों के भाव बढ़ जाते हैं तो हम महंगे भाव से बाहर से खरीद कर जनता को सस्ते भाव पर देते हैं और दूसरे लोगों को अनाज सस्ता दिलाने में सरकार नुकसान उठाती है। उसी प्रकार काश्तकार के काम में आने वाली चीजों के भावों को रोकना पड़ेगा। तो मैं आशा करूंगा कि काश्तकार के काम में आने वाली चीज़ों के भावों को बढ़ने से सरकार रोके और उनके लिए काश्तकारी के काम में आने वाली जो चीजें हैं उनको सस्ते भाव पर देने का सरकार प्रबन्ध करे।

आज कहा जाता है हमारे राजस्थान के अन्दर रेट्स हैं उनको हमने निश्चित कर दिया है, उससे ज्यादा नहीं हैं। मुझे याद है, राजस्थान के अन्दर एक जगह नहीं है, एक तहसील के अन्दर अलग अलग तरह की लगान की दरें हैं। जब तक इनको एक नहीं करते हैं, जब तक कोई नहीं कानून बनाते हैं तब तक कोई फायदा नहीं है। आज सबसे बड़ी समस्या यह आई है कि

(श्री दयाकृष्ण विजय)

पंचायतों ने टैक्स लगाया है। जो एक रुपया लगान देता है उस पर पांच नये पैसे टैक्स लगा दिया है अब पांच नये पैसे ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। आपकी पहले की लगान की दरें ज्यादा हैं। जिस तहसील में १०–१५ का लगान का भाव है वहां उसको डेढ़, दो रुपये ज्यादा देने पड़ेंगे। तो उसे एक जगह ही नुकसान नहीं हुआ है, दूसरी जगह पर जो लगान पर टैक्स लगाया है, मुनाफा टैक्स लगाया है, वह भी देना पड़ेगा। जब इस प्रकार के टैक्स पंचायत समितियां वहां लगाती हैं, उससे पहले यह आवश्यक हो जाता है है कि राजस्थान में जो लगान की दरें हैं उनको निश्चित करें। इसी प्रकार जो सिंचाई की दरें समान नहीं होती हैं, तब तक इस प्रकार के टैक्सेशन को रोका जाय।

आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजस्थान के अन्दर बहुत कानून बनाये हैं और कानूनों का तांता लगा कर राजस्थान को अग्रगणी बना दिया है कि राजस्थान सरकार ने इतने लेजिस्लेशन बनाये हैं लेकिन दुःख है हमारे लेजिस्लेशन अंग्रेजी में निकलते हैं। इससे ज्यादा दुःख और अफसोस की बात तो यह है कि अंग्रेजी की समस्या तो अभ्यास से दूर हो जायगी लेकिन जो हिन्दी में निकलते हैं उनकी हिन्दी भी कठोर है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो काश्तकार के लिए कानून बनते हैं, उनको समझाने के लिए, गांव गांव के अन्दर जो मोबाइल वान रखते हैं, लाइब्रेरी में पुस्तकें रखते हैं उसी तरह से काश्तकारी कानूनों की छोटी–छोटी पर्चो, जिसमें सरल भाषा में लिखी बातें हों जो विस्तार से समझाई गई हों उनको गांवों में बांटना चाहिए। इसी प्रकार से मोबाइल वान रखने चाहिए जिनमें सरकारी आदमी जाकर गांव-वालों को समझावें और नीति का प्रचार करें। मैंने देखा है कि इस तरह प्रचार होता है, वह होता है शहरों में, जहां काश्तकार नहीं हैं। आज बड़े बड़े पेम्फलेट्स सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय से निकलते हैं, वे बड़ी बड़ी जगहों पर लगाये जाते हैं। यह ठीक है कि गांव के लोग भी आते हैं और उन्हें ये पेम्फलेट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन वे वहां पर बैठ कर विचार नहीं कर सकते, उनको समझने के लिए समय नहीं दे सकते। वे समय दे सकते हैं गांवों के अन्दर। इसलिए ये सारे पेम्फलेट्स हैं वे गांवों में भेजे जायं। राजस्थान के अन्दर साढ़े तीन हजार गांव हैं उनके अन्दर पेम्फलेट्स पहुँचने चाहिए, इसमें थोड़ा खर्चा और लग जाय तो भी कोई बात नहीं है। अभी यह होता है कि एक पेम्फलेट कलेक्टर के पास भेजते हैं, वह एस. डी. ओ. को भेजता है, एस. डी. ओ. के पास से तहसीलदार के पास जायगा और फिर पंचायत में जायगा। उसके बाद में वह पंचायतों में जायगा यानि वह फटता फटता वहां जाकर लग सकेगा। इसलिए अगर हम ग्राम पंचायतों को डाइरेक्ट भेजें तो वे वहां लगा सकते हैं। इसमें थोड़ा डाक खर्चा तो लगता है लेकिन पेम्फलेट्स वहां तक पहुंच जायेंगे और हरएक आदमी आपके कानूनों से, उनके फायदों से परिचित हो सकता है।

आज हमने हर तरह के कानून बनाये हैं, लैंड रेवेन्यू एक्ट, टीनेन्सी एक्ट, और कानून भी हैं, मैं इनको गिना कर सदन का समय नहीं लेना चाहता लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि इन सारे कानूनों को मिला कर इन पर पुनः

(श्री दयाकृष्ण विजय)

विचार करना चाहिए और एक संहिता के रूप में काश्तकारों के लिए बनाना चाहिए। काश्तकारी कानूनों की संयुक्त संहिता बनानी चाहिए, जिसे कृषि सुधार संहिता कहा जा सकता है। इसे कृषि सुधार संहिता बना कर इसका प्रचार करें और जो कानून आज तक बने हैं वे नियमों के साथ इस संहिता में आ जायं, ताकि पंचायतें उनका उपयोग कर सकें। मुझे याद है कि पंचायतों को काफी अधिकार दिये गये हैं, लेकिन वे अपने अधिकारों को नहीं समझते, इसलिए अभी तक उनका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। आपने धारा १९ के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार देने की बात कही है। इसका उपयोग राजस्थान में नहीं किया गया है। आपने अमेंडमेंट कर दिया, उसको एक्ट बना दिया लेकिन उसको लागू नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि जो सब–टीनेन्ट हैं और दूसरे लोग हैं वे खातेदारी अधिकार प्राप्त करने से महरूम नहीं रहने चाहिए और वह अधिकार उनको मिलना चाहिए।

एक बात और है, जो बंटवारा होता है, नामकरण होता है तो इसकी फीस इतनी सरकार ने लगा रखी है राजस्थान सरकार ने कि कोई भी आदमी कभी बंटवारा करता है, क्योंकि आखिर बंटवारा तो होता है, जिन्दगी में सब एक साथ तो रह नहीं पाते हैं, तो अगर बंटवारा होता है तो इतनी फीस देनी पड़ती है, १०० रुपये पर एक पैसा, दो पैसा, चार आने के हिसाब से ले ली जायगी। बटवारा, नामकरण, मार्टगेज जो कुछ होता है उस पर उनको टैक्स देना पड़ता है और वह काफी लिया जाता है। मैं बताना चाहता हूं कि आज हमको काश्तकारों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। काश्तकारों की तरक्की हो, इसके लिए मैं स्वीकार करता हूं कि हमारे काश्तकारी कानूनों का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जिससे अधिक से अधिक काश्तकारों को जमीन पर लगा सकें और काश्तकार जमीन से न उठें। मैं देखता हूं कि बड़े बड़े फार्म बनाने की सरकार की नीति चल रही है, सूरतगढ़ फार्म आदि और यह कहा जाता है कि अधिक से अधिक उत्पादन करके हम देश की भुखमरी को दूर करना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि फार्मों पर इतना खर्च हो रहा है, उसके मुकाबले में उतना प्रोडेक्शन हो रहा है या नहीं? यह कहा जाता है कि इतना प्रोडेक्शन कर लिया है, लेकिन यह नहीं बताया जाता है कि कितना खर्चा किया है। अगर प्रत्येक फार्म के आंकड़े आप देखेंगे, तो जो किसान खेती करता है, जिसके पास सुधरे हुए औजार हों, अच्छा बीज हो, तो शायद वही कम पैसे में इस प्रकार अधिक उत्पादन कर सकता है। इस प्रकार अधिक लोगों को काम पर लगायें और व्यक्तिगत तरीके से उनको मालिक बनायें, न कि वे सब–टीनेन्ट, सिकमी काश्तकार रहें। इसके लिए आप काश्तकारों को पाबन्द न करें कि सहकारी कॉपरेटिंग को ही जमीन अलॉट होगी। उनको यह न कहें कि बड़े बड़े फार्म बनायें; बल्कि अगर छोटे छोटे खेतों पर सुधरे हुए औजारों से खेती करते हैं तो ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। इस आधार पर मैं यह कहूंगा कि लैंड पॉलिसी पर विचार करना चाहिए। अगर छोटे छोटे खेत बना कर अधिक से अधिक काश्तकारों को लायें और वे उन खेतों पर पैदावार करें, तो मैं समझता हूं कि हमारे

(श्री दयाकृष्ण विजय)

काश्तकारों को ज्यादा फायदा हो सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी । मैं आशा करूंगा कि माननीय सदस्य संक्षेप में बोलें ताकि अधिक से अधिक सदस्य बोल सकें ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I shall take only 15 minutes.

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने लैंड कमीशन की रिपोर्ट देखी । उसको पढ़ कर मुझे तो संतोष नहीं हुआ है ; मेरा ख्याल यह था कि लैंड कमीशन की रिपोर्ट कम से कम उन टर्म्स ऑफ रेफरेन्स जो उनके विषय में थे उनके सम्बन्ध में एग्ज़ॉस्टिव रिपोर्ट देगी क्योंकि जो रॉयल कमीशन ओन एग्रीकल्चर था उसमें एग्रीकल्चर की पिक्चर पूरी आई थी, किन्तु इस रिपोर्ट को पढ़ने से ऐसा महसूस नहीं होता है कि उन टर्म्स ऑफ रेफरेन्स के सम्बन्ध में कोई एग्ज़ॉस्टिव जानकारी मिली हो । मैं महसूस करता हूं कि राजस्व मंत्रीजी कोई एक डाटा बता सकते हों, ऐसी बात इसमें नहीं लिखी है, ऐसी यार्ड स्टिक इसमें कोई नहीं आई है, जिसको पढ़ कर कोई ज्यादा जानकारी मिल सके ।

दूसरी बात, मैंने देखी कि इसका अपोइन्टमेंट १६५६ में हुआ है । उसके बाद कमीशन की तीन मीटिंगें हुई हैं और लास्ट डे की मीटिंग में सारी रिपोर्ट पास कर दी । दो कमेटीज़ बनीं, एक लैंड रिफॉर्म्स इम्प्लीमेन्टेशन की और एक कमेटी लैंड मैनेजमेंट की । उन दोनों कमेटियों की रिपोर्ट पर एक दिन में विचार करके, कन्सीडरेशन करके, मनन करके, सब कुछ करके रिपोर्ट को पास कर दिया ।

अब एक बात और कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय । उनका जो लास्ट टर्म ऑफ रेफरेन्स था, वह था :

"Superintend and ensure the enforcement of such legislation".

यहां लैंड रिफॉर्म पर जितने लेजिस्लेशन हुए हैं उनको सुपिन्टेन्ड करना, ensure the enforcement of legislation करना; वह भी इसी कमीशन का फर्ज था । पैरा ६६ में कह दिया गवर्नमेंट ने आगे जाकर कि ऐसी कमेटी बना दी जावे जो एनफोर्समेंट ऑफ लेजिस्लेशन कर देगी । यह बात जो आज कही जाती है वह जनवरी, १६५७ में कह सकते थे । आज अगर वह यह बात चार साल बाद कहते हैं तो यह कोई उचित बात नहीं है । उन्होंने जिस प्रकार से लेजिस्लेशन को एग्ज़ामिन करने और लैंड रिफॉर्म एग्ज़ामिन करने के लिए कमेटी और सब-कमेटी बनाई उनकी यह मंशा थी कि लेजिस्लेशन देखे । इन्होंने कमेटी बनाई । अगर उनको नहीं बनानी थी तो फर्स्ट मीटिंग में यह बात जनवरी, १६५७ में ही कह सकते थे कि लैंड लेजिस्लेशन के लिये अलग कमेटी बनावें । तो यह जो रिपोर्ट लैंड कमीशन की है, इसमें कमी है ।

मैं यह समझता हूं कि कमीशन को रिपोर्ट देने में डिले होगी । यह बात जो आज कही जाती है वह आज से चार साल पहले कह देते तो ज्यादा अच्छा होता क्योंकि लोग यह समझते थे कि कमीशन इसको एग्ज़ामिन कर रहे हैं और कानून को इम्प्लीमेंट

(श्री पी० के० चौधरी)

कर रहे हैं और इसका एनफोर्समेंट हो रहा है, वे लोग सस्पेन्स में नहीं रहते और उन लोगों को गलतफहमी नहीं रहती।

इसके बाद, माननीय उपाध्यक्ष, मैं इस रिपोर्ट की तफसील में जाना नहीं चाहता। जहां तक लैंड लेजिस्लेशन का प्रश्न है इसमें भी जो गवर्नमेंट ने कानून बनाया है इसमें उनके पास कोई सुझाव नहीं है। अगर इसके लिये कोई सुझाव होते तो समझते आइडियल लेजिस्लेशन ठीक है। लेकिन कम से कम कमिश्नर की रिपोर्ट में इन पर पूरे डिटेल्स मिलते तो ज्यादा अच्छा रहता। मैं आपका ध्यान एक बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि कानून में हाउसिंग फ्री ऑफ चार्ज देने का साफ लिखा है। टीनेन्सी एक्ट में जो सेक्शन है जिसमें फ्री लैंड फोर हाउसिंग की बात है कि एग्रीकल्चरिस्टों को दिया जाना चाहिये मगर उसका इम्प्लीकेशन नहीं किया गया है। यह एक बहुत बुरी बात है। जब हमने कानून बना दिया तो हमें उस पर अमल करना चाहिये लेकिन राजस्थान में किसी जगह पर भी इस कानून के इस सेक्शन पर अमल नहीं हुआ है। इसको भी आबादी भूमि में कन्वर्ट करके दिया जा सकता था। इस सम्बन्ध में जो कमिश्नर ने ध्यान आकर्षित किया है उसके लिये उनको धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात, उन्होंने मैटीरियल के लिये कही है कि उनको कंकर आदि उनके यूज़ के लिये मिलने चाहिये। मगर हम देखते हैं कि सारी माइन्स हैं वह उनको, ठेकेदारों को दे दी गई हैं और ठेकेदार उनको कंकर आदि लेने नहीं देते हैं, मुमानियत करते हैं इसलिये उसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना है।

इसके बाद में सक्सेशन एक्ट के बारे में भी कमेटी ने कहा है। इसके सम्बन्ध में भी मैं आगे बढ़ कर कुछ कहना चाहता हूं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस सक्सेशन एक्ट से लड़कियों को बराबर के राइट्स मिल गये। लेकिन कमीशन ने जो बात कही है और हम भी जो बात कर रहे हैं, प्रोप्राइटरी राइट्स दिये गये हैं : लेकिन यह प्रिज्यूम किया है कि जो जमीन एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिये है उस जमीन के फ्रेग्मेंटेशन को रोकने के लिये या सीलिंग के सिलसिले में कोई कानून है, devolution of Tenancy Rights का सम्बन्ध है तो वह हिन्दू सक्सेशन एक्ट को वायोलेट नहीं करता। यह प्रोप्राइटरी राइट्स के लिये नहीं है, लेकिन कम से कम टीनेन्सी राइट्स हैं जो इस प्रकार से नहीं होने चाहिये। वह तो चाहे लड़के को मिल जावे। सक्सेशन एक्ट के रहते हुए टीनेन्सी राइट्स लड़कियों को नहीं मिलेंगे।

दूसरी बात, मैं यह कहूंगा कि एग्रीकल्चरल प्रोडेक्शन को बढ़ाने के लिये, फ्रेग्मेंटेशन को रोकने के लिये यह कहूंगा कि there should be an optimum size of holding· आगे आने वाले हिन्दुस्तान का नकशा हमारे पास नहीं है। मैं यह नकशा आपको देता हूं कि जो कल्टीवेबल होल्डिंग रहेगी वह काफी बड़ी होगी और आज कोई बिज़नेस में जाकर जितनी आमदनी अर्न करता है उतनी काश्तकार को अर्न करनी चाहिये। पर यह जरूरी नहीं कि हमारे सभी लोग एग्रीकल्चर पर ही रहें। हम हमेशा यही कोशिश करते आ रहे हैं कि रफ्ते

(श्री पी० के० चौधरी)

रफ्ते एग्रीकल्चर पर से बर्डन कम होता जाए और लोग दूसरे प्रोफेशन में लग जावें और पोस्टप्लान में हम चाहते हैं कि ७०प्रतिशत जो जमीन पर प्रेशर है यह घट कर ६० पर्सेन्ट से भी कम हो जाए । आहिस्ता आहिस्ता हम यह चाहते हैं कि जमीन पर प्रेशर को कम करना चाहिये और जब हम इसको कम करेंगे तो एग्रीकल्चर होल्डिंग हमको बढ़ानी पड़ेगी । तो इस दृष्टि से मैं यह कहूंगा कि हम धीरे धीरे, बाई ऑर्डर कुछ करना चाहते हैं ।

कमिश्नर ने जिक्र किया है कि जयपुर में गवर्नमेंट ऑर्डर से सक्सेशन राइट डिज़ोल्व करेंगे । मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इंग्लैन्ड जैसे देश में भी जमीन की कमी है । वहां भी यह प्रश्न बनता है । वहां Law of Primogeniture चलता है । मतलब यह कि Primogeniture के अनुसार एल्डेस्ट सन जो होता है वही 'एस्टेट' का मालिक बनता है । Only the eldest son becomes the owner of the Estate. 'एस्टेट' से मतलब यह होता है "एग्रीकल्चरल एस्टेट" । वह तो एल्डेस्ट सन को मिलती है । मैं समझता हूं कि कम से कम Law of Primogeniture है उनको लागू करें या उनको मिले जो लड़के बराबर काश्त का काम करते हैं, उनको यह हक मिले और दूसरों को टीनेन्सी राइट नहीं मिले । अगर किसी के पांच लड़के हैं और उनमें से दो लड़के काश्त का काम करते हैं और बाकी दूसरे लड़के दूसरा प्रोफेशन करते हैं उनको प्रोपराइटरी राइट नहीं मानते हैं । लेकिन जहां तक टीनेन्सी राइट का प्रश्न है, राजस्थान में जो लोग दूसरे धन्धों में लग गये हैं उनको छोड़ कर या जो लोग बिज़नेस में चले गये हैं या कहीं नौकरी पर चले गये हैं । हम जब तक ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा जो यह प्लान है, कभी भी पूरा नहीं होगा । यह आगे चल कर प्रेक्टिकल नहीं रहेगा, आपका प्रेशर चलता रहेगा । हर एक आदमी कहेगा कि इसमें मेरा हक है । तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात पर सरकार पोते-लड़के की बात को छोड़ सकती है क्योंकि लड़कों के लिये टीनेन्सी राइट उनको ही दिया जावे जो काश्त करते हैं । इसके अलावा ग्रेजिंग लैंड का प्रश्न है । इसके काफी झगड़े सीकर और जयपुर में चलते हैं । मैं समझता हूं कि एक सुझाव जो उन्होंने दिया है वह demarcation of grazing lands पर हो जावे; लेकिन कम से कम पिलर्स लगा दिये जावें । ग्रेजिंग लैंड के लिये पिलर्स लगा दिये जावें और इससे जगह जगह जो झगड़े होते हैं वे दूर हो जाएंगे और जो झगड़े चल रहे हैं उनको जल्दी जल्दी डिस्पोज़ ऑफ कर दिया जावे ।

हमारे यहां ५० झगड़े ग्रेजिंग लैंड के चलते हैं जो वर्षों से चलते आ रहे हैं । कई कलेक्टर्स, कई एस० डी० एम० की अदालत में चलते हैं कि उन पर किसी ने एन्क्रोचमेंट कर लिया है । कोई उसको हटा नहीं सकता । इस प्रकार अलॉटमेंट का जिक करना चाहता हूं । खुद काश्त का चल रहा है उसमें कई जगह पर हुआ है कि टीनेन्सी एक्ट के ६० के मातहत शिकमी काश्तकारों को खातेदारी पट्टे मिल गये हैं । कुछ लोगों को पहले भी मिले । जागीर रिज़म्प्शन के बाद और चन्द दिनों पहले लगभग साल भर हो गया, जो

(श्री पी० के० चौधरी)

जागीरदार थे उनको खुदकाश्त के हक दे दिये गये। ऐसी मिसालें मेरे पास मौजूद हैं। जिस जमीन में टीनेन्ट काश्त करता है उसके पास उसका पट्टा है, उस जमीन में जागीरदार को भी हक दे दिया गया है। मैं महीने भर पहले दौरे पर गया था। जागीरदार आकर पुलिस वालों को बुला लाता है। पुलिस वाला काश्तकार को धमकी देता है। वह कहता है कि जागीदार को ट्रेक्टर चलाने दो। इस तरह से पुलिस वाले बुला कर काश्तकारों को कहे; हां, पुलिस वालों को तो वह दखल करना चाहिए कि यदि कहीं मार-पीट हो गयी हो, पुलिस वालों को तो वहां इन्टरवीन करना चाहिये न कि जागीरदार की मदद करे ट्रेक्टर चलाने में। मैंने पुलिस वालों से पूछा कि ऐसा क्यों करते हो तो कहने लगे कि हम तो मारपीट रोकते हैं, मदद नहीं करते हैं। लेकिन दर असल में ट्रेक्टर चलाते हैं। इसका इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। जहां तक खुदकाश्त में अलॉटमेंट करने का ताल्लुक है, जहां पर एग्रीकल्चर नहीं होता है तो उसमें खातेदारी जागीरदार की आ सकती है लेकिन जहां काश्तकार काश्त करता हो उस खसरा नम्बर में दीगर जागीरदार को यदि खुदकाश्त का पर्चा अलॉट कर दिया जाय तो उससे काश्तकार बेदखल हो जाता है और इस तरह से काश्तकारों को बेदखल किया जा रहा है। तो मैं इस तरफ भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

जहां तक लैंड मैनेजमेंट का सवाल है कमीशन की रिपोर्ट इस पर ज़ीरो के बराबर है खास कुछ नहीं कहा। हालांकि कमीशन अपोइन्ट किया गया, लैंड मेनेजमेंट और युटिलाइजेशन के लिए एक्सपर्ट ओपीनियन देने के लिए। उन्होंने यह कह दिया कि प्लानिंग कमीशन ने सेकिण्ड फाइव इयर प्लान में किया है। सर्कुलर के माफिक दिया जावे। एपेन्डिक्स 'बी' में किया हुआ है। यह चार वर्ष का विचार-विमर्श है। एपेन्डिक्स 'बी' पर अनेक्सयोर है उसमें दिया हुआ है। कमीशन ने चार वर्ष में परिश्रम करके यह नतीजा निकाला। रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने पढ़ कर सुनाया। उतना ही लैंड कमीशन का कॉन्ट्रिब्युशन है, और है नहीं।

दूसरा सवाल यह आता है कि उन्होंने यह सिफारिश की कि लैंड मेनेजमेन्ट के लिए जो लेजिस्लेशन बनाये उसमें छोटे काश्तकारों को न रखा। यह कमीशन ने सिफारिश की पेज ७५ पर; इसमें कहा है :—

"In the opinion of the Land Commission, while there should be legislation about land management practices, it would be premature to apply any such legislation to the holdings of the ordinary cultivator as that would merely result in harassment of the cultivators." अब यदि ऑर्डिनेरी कल्टीवेटर के लिए कानून न बने तो बिग कल्टीवेटर के लिए कानून बनाने के लिए कमीशन नहीं बिठाया था। कमीशन कहता है कि ऑर्डिनेरी कल्टीवेटर पर लागू नहीं होता है। कल शिड्युल्ड कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पढ़ी। उसमें कहा है कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कास्ट और शिड्यूल्ड कोऑपरेटिव फार्म का कानून न लाया जाय, इन्डिविजुअल ही रहने दिया जाय। लैंड कमीशन कहता है कि ओर्डिनरी पर

(श्री पी० के० चौधरी)

मत बनायें। शिड्युल्ड कास्ट्स कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि शिड्युल्ड कास्ट्स व शिड्युल्ड ट्राइब्स, को छोड़ दें। ३० परसेन्ट राजस्थान की पोपुलेशन है शिड्युल्ड कास्ट्स व शिड्युल्ड ट्राइब्स की; उनके लिये कानून न बनाये, उनको छोड़ दें। यह सोचने का होता है कि गवर्नमेंट को आखिर क्या निर्णय लेना चाहिये। एक्सपर्ट कमेटी यह रिपोर्ट देती है। लैंड मेनेजमेन्ट जीरो लैंड लेजिस्लेशन कॉन्ट्रिब्युशन है। रेवेन्यू मिनिस्टर ने कानून बना कर कॉन्ट्रिब्यूट किया उससे बढ़ कर नहीं किया है। इतना ही कह कर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नागर।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं लैंड कमीशन के विवरण को देख गया हूं। मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि इस कमेटी के विवरण को लैंड कमीशन और उसका विवरण कहना एक दम भ्रामक है। सारी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद यह अनुभव होता है कि यह लैंड कमीशन की रिपोर्ट नहीं है, लैंड के लैंड रिफॉर्म्स कमेटी की यह रिपोर्ट है। दूसरा, मेरा सोचना यह है कि यह तथाकथित लैंड कमीशन की रिपोर्ट, जो हमारे सामने है, तो इस सदन में भूमि सुधार के कई ऐसे कानून बना दिये गये हैं जिसकी दृष्टि से यह सारा विवरण और चर्चा मुझे आउट ऑफ डेट मालूम होती है। मैं यह मानता हूं कि जो थोड़े बहुत सुझाव इस तथाकथित कमीशन ने दिये हैं वे स्वभावतः ऐसे हैं जो राजस्थान लैंड एडमिनिस्ट्रेशन की कुशलता से और लैंड रिफॉर्म्स के कानूनों के अमलीकरण से ज्यादा सम्बन्धित रहते हैं। उदाहरणत: मैं कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, चरागाह की समस्या और दूसरी छोटी-मोटी समस्याओं की ओर हमारा ध्यान इस ओर खींचा है। सही बात यह है कि जो भूमि सुधार के कानून बने हैं और लागू हुए हैं वे राजकीय लैंड रेवेन्यू समस्यायें हैं। मुझे संकोच होता है, उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन मुझे कहना ही पड़ेगा कि यदि रेवेन्यू मिनिस्टर साहब मेरे कथन से नाराज हों तो मुझे माफी देंगे कि लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है। जो एडमिनिस्ट्रेशन का खूंटा है पटवारी, वह रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे पहली समस्या है। पंचायत समितियां बन जाने और विकास के सहायता का कार्यक्रम हो जाने के बाद तहसील और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में तालमेल नहीं है। मैं उन समस्याओं में नहीं जाना चाहता, उपाध्यक्ष महोदय; लेकिन मेरी यह मान्यता है कि भूमि सुधार के कानूनों को तब तक कार्यान्वित नहीं कर सकते जब तक कि राज्य अच्छा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन न दे दे। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के सुधार में राज्य को अच्छा कदम उठाना चाहिये। बहुत अच्छा हो, बहुत सारी तहसीलें हैं जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का भार हैं और बहुत कोशिश करने पर भी सुधार नहीं होता, मैं समझता हूं ग्राम समितियों और ग्राम पंचायतों को दे देना चाहिये।

इसके बाद कहना चाहूंगा कि चार वर्ष पहले लैंड कमीशन नियुक्त हुआ उसकी मंशा क्या थी? इस मकसद को पूरा करने का परिणाम आज राजस्थान की भूमि समस्या में कहां तक है? राजस्थान में भूमि सुधार का दौर उसी दिन समाप्त हो गया जब हमने

(श्री जनार्दनराय नागर)

अधिकतम सीमा का निर्धारण कर दिया। अब हम इस कानून को जल्दी ही लागू करने जा रहे हैं। राजस्थान की भूमि सुधार की समस्या के लिये आज इस पर विचार करना इस परिस्थिति में समीचीन नहीं कहा जा सकता।

हमें भारतीय समाज को सहकारी समाज के दृष्टिकोण से देखना ज्यादा उपयोगी होगा। हम मानते हैं कि मध्यस्थता को आपने दूर कर दिया लेकिन मध्यस्थता दूर करने की प्रक्रिया भी पूर्णरूपेण दूर नहीं हुई है। भूमि सुधार के कानून को लेकर जहां किसान के स्वामित्व का उस पर होने का सवाल है। मैं समझता हूं अगर हम ऐसा कदम उठायेंगे जो अधिकार किसान को दिया है जिस प्रकार से भूमि के प्रबन्ध और उसके द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया हम चाहते हैं उस दृष्टि से हमें काफी करना पड़ेगा। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि हम अपने यहां समाजवादी सहकारी जनतंत्र की दृष्टि से भूमि सुधार करने की ओर कितने प्रयत्नशील हैं। यह ठीक है कि हमने मध्यस्थ लोगों को हटाया। इसको हम प्रगतिशील कदम नहीं कह सकते; निश्चय ही यह सुधारवादी कदम हो सकता है। जो राजस्थान में सामन्तवादी युग से भूमि पद्धति चली आ रही थी उसका निराकरण करके वह भी काफी कीमत देकर हमने भूमि की व्यवस्था की है। क्या हम इसको भूमि क्रांति कह सकते हैं? क्या इस तरह से हमने भूमि क्रांति की ओर कदम बढ़ाया है? जहां तक भूमि के विकास का सवाल है आज हम देखते हैं भूमि के सम्बन्ध में कि राजस्थान में शांत क्रांति होती चली आ रही है। यह राय हमारे देश के विचारकों की ही नहीं विदेश से आनेवाले कार्यकर्त्ताओं ने भी इसी प्रकार की राय जाहिर की है।

यह ठीक है कि राजस्थान के किसान को भूमि सुधार के कानून द्वारा कुछ संरक्षण प्राप्त जरूर हुआ है, वह उससे उत्साहित होकर भूमि के विकास की ओर प्रयत्नशील है। हम उस प्रयत्न को राजस्थान में शांत भूमि क्रांति की संज्ञा दे सकते हैं। हमारी जो भूमि की समस्या है वह हिंदुस्तान की भूमि समस्या से अलग नहीं है। पन्द्रह-बीस वर्ष पहले एशिया में भी यही समस्या थी। अपने यहां भी चालीस-पचास वर्ष से जो समस्या थी वह राजस्थान में भी कायम है। जब हम भूमि के सुधार की चर्चा करते हैं तो हम एक प्रकार से गलतफहमी में पड़ जाते हैं। किसान को भूमि का स्वामित्व देना मान लेते हैं कि यह हमने भूमि के सम्बन्ध में क्रांति कर दी। लेकिन आज जो सही मायने में समस्या है वह है भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों की। व्यक्तिगत खातेदारी अधिकार की वजह से यह समस्या राजस्थान में है, इसके बारे में आप क्या करने जा रहे हैं? जब लैंड कमीशन की रिपोर्ट मेरे सामने आई तो सबसे पहली प्रतिक्रिया जो मुझ पर हुई वह यह कि क्या हमने राजस्थान की भूमि के सारे स्वामित्व के प्रबन्ध और विकास में सहकारी समाजवादी समाज की दृष्टि से परिवर्तन करने की ओर कोई कदम उठाया है। इस ओर इस रिपोर्ट में न कोई इशारा है और न कोई विचार ही है। जो आकर्षक सुधार हो सकता है, जिसके लिए लैंड कमीशन की स्थापना हो सकती है और जो सुझाव उसके द्वारा इस बारे में मिले उसके अनुसार कानून बना सकते हैं; उसी से इस व्यवस्था में

Page No.86

(श्री जनार्दनराय नागर)

आमूलचूल परिवर्तन आ सकता है। इसके बिना यह कहना कि हमने भूमि सुधार में क्रांति ला दी है, यह कहना बहुत बड़ी बात कहना होगा।

आज हम जिस स्थिति में हैं उसके अन्तर्गत हमारे सामने दो मूलभूत सवाल हैं। एक तो यह कि जो भूमि के छोटे छोटे टुकड़े हैं उनका हम क्या करें? दूसरी उत्पादन की समस्या आती है। उसके साथ साथ समाज के पुनर्गठन की समस्या भी आती है। केवल कानून बना देने से ही मैं नहीं मानता कि हम समाजवादी सहकारी समाज की स्थापना कर पायेंगे। जब तक हम भूमि व्यवस्था में सहकारी समाजवादी व्यवस्था को कायम नहीं कर पाते, सहकारी आर्थिक रीति से समाज का संचालन नहीं कर पाते तब तक सही मायने में भूमि सुधार नहीं कहा जा सकता। अगर हम इस दृष्टि से परिवर्तन कर पाते हैं तो मेरी मान्यता है कि भूमि की समस्या केवल राजस्थान की ही नहीं है, सारे हिन्दुस्तान की इस समस्या को हम हल कर सकेंगे।

इसी प्रकार की समस्या एशिया के बड़े बड़े देशों के सामने भी आई है। आप चाइना को ले लीजिये। चीन के सामने यह समस्या सबसे बड़ी समस्या थी कि भूमि के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसका क्या करें और बड़े बड़े जमींदारी का क्या करें? हमने बड़ी बड़ी जमींदारों और उनके छुट-भाइयों को जो मध्यस्थता के रूप में थे उनको दूर किया लेकिन जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों की समस्या आज भी उसी प्रकार से बनी हुई है। आज हमारे जो आर्थिक विचारक हैं, जो समाज को वास्तविक रूप में बदलना चाहते हैं उनके सामने यह बड़ी समस्या है। छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में भूमि पर स्वामित्व रहने दिया जाय, ऐसा हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा। उनको पता नहीं कि इस तरह से हम छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों पर स्वामित्व रख कर हम पुराने समाज को सुधरे हुए रूप में कायम रख रहे हैं। हमारा मकसद तो यह है कि हम इस तरह के पुराने समाज को रखना नहीं चाहते हमारा नया समाज बनाने का लक्ष्य है। उस समाज की व्यवस्था का हमें शिलान्यास करना है। इस तरह की लैंड कमीशन में कोई बात नजर नहीं आती जो हमें सहकारी समाज की क्रांति की ओर इंगित करती हो। मैं चाहता हूं कि भूमि सुधार के परिणाम हम राजस्थान में देख रहे हैं। जिस स्थिति तक आज भूमि सुधार हो चुके हैं उसके बाद अगला कदम क्या होगा, उसकी दिशा हमारे सामने स्पष्ट नहीं है। आज हमें सहकारी भूमि स्वामित्व की दृष्टि से आगे बढ़ना है। ऐसा कानून हम लायें जिससे व्यक्तिगत स्वामित्व की जगह सहकारी स्वामित्व हो। एक गांव में जितने लोग बसते हैं या जन्म लेते हैं उन सब का उस गांव की भूमि पर अधिकार हो; यह भूमि-क्रांति के लिए पहला कदम होगा और मैं यह मानता हूं कि हमें यह करना पड़ेगा। आज आपके सामने भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों की समस्या है, उसके उत्तराधिकार की समस्या का सवाल है। उसके हल करने की दृष्टि से आपके पास कोई चारा नहीं रह गया है। हम सारे गांव के स्वामित्व की दृष्टि से विचार करें, भूमि व्यवस्था को सहकारी व्यवस्था के रूप में परिवर्तित करें।

Page No.87

(श्री जनार्दनराय नागर)

हम सहकारी खेती की चर्चा उत्पादन की दृष्टि से करते हैं, यह मकसद काफी नहीं है। सच बात तो यह है कि हमारे सामने सारी सामाजिक व्यवस्था को बदलने का लक्ष्य है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम भूमि की सहकारी व्यवस्था करना चाहते हैं, यह आज की स्थिति में ठीक हो सकता है लेकिन जहां हम किसान और राज्य के परस्पर सम्बन्धों को दृढ़ बनाना चाहते हैं वहां निश्चित रूप से हमें आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाना होगा, हमें खेती के सहकारी स्वामित्व की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा।

इस लैंड कमीशन की रिपोर्ट में काश्तकारों पर जो कर्जा है उसके लिए कोई सुझाव उपस्थित नहीं किये गये हैं।

चरागाह के बारे में और छोटे छोटे सवालों का तो ध्यान रखा गया है किन्तु जो कर्जा सदियों से चला आ रहा है जिसका बड़ा भद्दा और वीभत्स रूप रहा है उस ओर मैं समझता हूं, उसके सम्बन्ध में कमेटी ने या कमीशन ने कोई सुझाव राज्य सरकार को नहीं दिये हैं।

मैं राजस्थान सरकार से कहना चाहूँगा कि समय आ गया है कि किसान पर जो पुराना कर्जा है उसको अविलम्ब समाप्त करने के लिये कोई कानून इस सदन में लाकर रखें। आज आप उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, भूमि में सुधार करना चाहते हैं, किसान से कहना चाहते हैं कि वह उत्साह से भूमि में उत्पादन करे तो हमारा यह निश्चित मत है कि इसके लिये पुराने कर्जे को बराबर आपको दूर करना चाहिये। ये आर्थिक नियम और मर्यादाएं जो पुरातन से चली आ रही हैं वे आज बाधक हैं भूमि-क्रान्ति की दृष्टि से। तो भू क्रान्ति की दृष्टि से ही सही, इस ओर आपको कदम उठाने चाहिये। जैसे आपने पहले रिपोर्ट में जिस पर यहां बहस हो रही थी तो उसमें कहा गया था कि अगर उसकी बीस वर्ष की अवधि हो गई है तो उसे समाप्त मान लिया जावे तो इसी तरह निश्चित रूप से जो कर्जा किसान पर वंश परम्परा से, पीढ़ियों से और कई वर्षों से चला आ रहा है, निश्चित रूप से उसे आपको कानून द्वारा समाप्त कर देना चाहिये और इसके लिये किसी तरह का मुआवजा देने जैसी बातें राज्य सरकार के दिमाग में नहीं होनी चाहिये।

मुझे अन्त में यह कहना है कि हम लैंड कमीशन जैसी बात करके राजस्थान के किसान को और सदन के सदस्यों को भ्रम में रखने की कोशिश न करें, तो अच्छा है। सच्चे माने में लैंड कमीशन होना चाहिये। "कमीशन" जैसे शब्द के साथ आप न्याय नहीं कर रहे हैं, इस तरह से कमीशन की बात कह कर। आप आज भूक्रान्ति के चौराहे पर खड़े हैं और आपने इसके लिये कानून बनाये हैं। सहकारी समाज के आर्थिक विधि का आपको निर्माण करना है, इस दृष्टि से हमें कमीशन की आवश्यकता है। पर ऐसा ही लैंड कमीशन अगर वापिस कायम करना चाहते हैं तो यह ठीक नहीं होगा। आप अगर सहकारी समाज के निर्माण की दृष्टि से कमीशन कायम करते हैं तो यह सदन उत्साहित हो सकता है। राजस्थान के छोटे छोटे भूमि के टकड़ों के स्वामित्व की समस्या है; इसको इस सहकारी निर्माण की दृष्टि से हल करने के लिये क्या

(श्री जनार्दनराय नागर)

सुझाव दें और इस दिशा में किस तरह अग्रसर हो सकें, इसके लिये कमीशन की आवश्यकता जरूर है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, लगान के बारे में हमें विचार करना पड़ेगा । मेरे एक माननीय मित्र ने कहा कि लगान की एक मिकदार नहीं है । यह सारी व्यवस्था आज आउट ऑफ डेट है । भूमि के विकास की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से आप कोई चार्ज लेना चाहें तो लें । पर यह पुराना ढर्रा है, इसे निश्चित रूप से बदलना होगा । हमें उच्च स्तर पर इस पर विचार करना होगा ।

आज गांवों में कृषि के विकास की दृष्टि से, सिंचाई की दृष्टि से जितना रुपया लगा कर सुविधा दे रहे हैं उस दृष्टि से लगान कम है, इसे बढ़ाना पड़ेगा, यह मेरी निश्चित मान्यता है । तो इस प्रश्न पर इस दृष्टि से विचार करना चाहिये । आज की लगान की पद्धति तो सामन्तवादी भूमि व्यवस्था का अन्तिम रैलिक्स है; इसे इस दृष्टि से लेने की पद्धति तो हमें त्यागनी होगी ।

अन्त में मैं, कहना चाहता हूँ ...

श्री उपाध्यक्ष : दो दफा 'अन्त में' कह दिया, आखिर अन्त कब आवेगा ? अन्त आना तो चाहिये ।

श्री जनार्दनराय नागर : (जारी) भूमि पर स्वामित्व के अधिकार की बात, इसके लिये अलग कोड होना चाहिये । मैं इस सिफारिश से सहमत हूं । पर्सनल लॉ की दृष्टि से भूमि का उत्तराधिकार बन्द होना चाहिये । मैं मानता हूँ कि सम्पत्ति का उत्तराधिकार के नियमों से भूमि के उत्तराधिकार का प्रश्न अलग है और यह सारा उत्तराधिकार का प्रश्न भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों से सम्बन्धित है । इस दृष्टि से आज छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों का युग रह नहीं सकता । बड़े बड़े चक बनाकर अन्ततोगत्वा सहकारी पद्धति से आर्थिक और सामाजिक जीवन को ढालने की दृष्टि से भूमि के अन्दर भी हम व्यवस्था करना चाहते हैं तो भूमि के उत्तराधिकार के प्रश्न को भी इसी दृष्टि से हमें देखना होगा और इसी के अनुरूप हमें इसके नियम बनाने पड़ेंगे । यह व्यक्तिगत कानून के साथ अधिक देर नहीं चल सकता । सम्पत्ति के उत्तराधिकार से कहीं बहुत ज्यादा तीव्र परिणाम इसके उत्तराधिकार से पैदा होंगे । इसलिये मैं समझता हूँ कि हमें इसको भी इस दृष्टि से देखना होगा ।

अन्त में कहना चाहूँगा कि आपने जो सुधार किये हैं उनके ऊपर छाप लगाने के लिये और सदन से वाहवाही प्राप्त करने के लिये आपने यह रिपोर्ट पेश की है । आपने कमीशन बनाया । चार वर्ष की इसकी मेहनत का यह परिणाम है, पर यह परिणाम उत्साहवर्द्धक नहीं है । इससे ऐसी कोई प्रेरणा नहीं मिली कि आपने जो भूमि सुधार के कानून बनाये हैं उससे भी आगे हम बढ़े हैं और राजस्थान की भूमि व्यवस्था निश्चित रूप से प्रगतिशील हुई हो । मैं इसको प्रगतिशील नहीं मानता । मैं इसे केवल सदन को अवगत कराने वाला विवरण मात्र मानता हूं । जो काम आपने किया है उसकी वापिस

(श्री जनार्दनराय नागर)

स्मृति दिलाने के लिये केवल इसे रखा है, मैं यह मानता हूं ! अगर आप ईमानदारी से कुछ प्रगति करना चाहते हैं तो क्रान्तिकारी सहकारी भूमि व्यवस्था करने की दृष्टि से लैंड कमीशन कायम करें तभी यह सुधार आगे अधिक मदद कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीराभाई।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितने हमारे कानून हम बनाते हैं, वे बना दिये जाते हैं और उनका नतीजा वहीं कागजों भर में रहता है, जैसे हम एक बार दस साल में सिनेमा देखने जाते हैं और फिर देखकर भूल जाते हैं; फिर बाद में जब जाते हैं, पांच—दस वर्ष बाद मौका मिलता है बाजार में जाने का, उस समय सिनेमा की याद आती है और हम उस वक्त फिर जिस प्रकार याद कर लेते हैं उसी तरह से हम इन कमीशनों की बातें सुनकर अपने उन पुराने कानूनों को फिर से याद कर लेते हैं। भूमि सुधार के बारे में सरकार जितने सार्वजनिक कानून बना देती है और कानून फिर से उन्हीं कागजों में पड़े रहते हैं। उसके विषय में मैं समझता हूं कि हमारी राजस्थान सरकार यह सारा समय भी बर्बाद करती है और जितना खर्चा होता है सारी जनता का जबर्दस्ती बर्बाद करना पड़ता है।

इसका जब हमने सीलिंग का कानून पास कर दिया उस आधार से आज भी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है और अगर लोग कहें तो मन्त्रीजी वही बात कहकर अपनी सफाई कर देंगे। यह बहुत बड़ी खामी है। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं समझता कि यह हमारी सरकार के द्वारा दिलाई ऐसी और रवैया क्यों अख्तियार किया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : यह आप कमीशन की रिपोर्ट पर बोल रहे हैं न ?

श्री हीराभाई : उसी पर बोल रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा ख्याल है, कहीं इधर-उधर तो नहीं है।

श्री हीराभाई : माननीय उपाध्यक्ष, भूमि सुधार के काम यह कैसे करते हैं। भूमि सुधार के बजाय कई लोगों के दिल इतने उदास हो जाते हैं कि अपनी जमीन भी खराब हो जाती है। आज २५ साल से जो लोग शिकमी काश्तकार बनकर काम करते हैं उसके लिए मन्त्री महोदय ने कहा कि कानून वगैरह सब बना दिये हैं, पर तीन के बजाय पांच साल कर दिये। उन शिकमी काश्तकारों को आज जमीन पर रहने नहीं दे रहे हैं। मन्त्री महोदय को कहा तो आपने यह फरमा दिया कि आपके लिए कलेक्टर के यहां और तहसील में कार्यवाही हो रही है। आप देहात में जायं तो आपको मालूम हो सकता है कैसी कार्यवाही हो रही है। पर आपको फुर्सत नहीं है। कलेक्टर और तहसीलदार को भी फुर्सत नहीं है। आज कई लोग शिकमी काश्तकार का यह हक छीन रहे हैं जो लोग लगान के साथ उनका शोषण कर रहे हैं वे ही आदमी जाकर अपने फार्म भरकर शिकमी काश्तकार मालिक बनने की कार्यवाही कर देते हैं और अपने नाम से फार्म भर देते हैं। जो असली शिकमी काश्तकार हैं वे रोते रह गये। इसके विषय में न तो कलक्टर ने और न तहसीलदार ने

Page No.90

(श्री हीराभाई)

एन्क्वायरी की। जब भी कभी दौरे में आते भी हैं तो टी पार्टियों में ये सारी कार्यवाहियां ढीली हो जाती हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राहत की बात मैं कहना चाहता हूं। गत साल की मिसाल मैं रखना चाहता हूं। तीन साल से लगातार बरसात होती रही, गत साल काफी ज्यादा हुई। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में इससे रबी की फसल नष्ट हो चुकी व खरीफ की भी। तो इसमें माननीय मन्त्रीजी ने भी यहां जवाब सफाई से दे दिया था। पर कलेक्टर साहब ने उसके आधार पर कमिश्नर को प्रस्ताव किया था कि यहां लगान इस बार माफ किया जावे। पर बाद में फिर वह प्रार्थना रोक देते हैं और यह आज्ञा लागू करते हैं कि उनका सख्ती से लगान वसूल किया जावे, इस तरह के आदेश मिलने चाहिए।

तो, उस तरह से जहां तहसील है, कलेक्टरी है वहां के लोगों की स्थिति ऐसी है, उसी के आधार पर कमिश्नर, सेक्रेटरी और मिनिस्टर महोदय हैं। तो हम किसी बात को और कठिनाई को सपने में याद करके दूर करना चाहें, वह दूर होने वाली नहीं है और न यह भूमि सुधार का कानून आपके देश में लागू होने वाला है। यह तो लोगों को बता कर शान्ति देने का मतलब है। बाकी यह कानून हम जल्दी लागू करने वाले नहीं हैं। हां, छोटी छोटी पहाड़ियों को और खेतों को किस तरह से खेती के लायक बना सकते हैं और पहाड़ियों को किस तरह से तोड़कर समान बनायें, अगर उसकी योजना भूमि आयोग की रिपोर्ट में होती और राज्य सरकार उसकी भी सिफारिश कर सकती थी तो मैं भी कह सकता था कि यह किसानों को सुविधा देने वाला कानून बनाने वाले हैं लेकिन यह तो ऊपर ऊपर बात कर दी और लोगों के आंसू पोंछ देने वाली बात है। इस तरह से ये भूमि सुधार की बातें हाउस में रखते हैं तो हमारे समय का भी दुरुपयोग होता है और लोगों के लिए विश्वासघात होता है। लोग अपनी जमीन की काश्त करने के लिए तैयारी कर लें तो सेक्रेटरी आदेश देता है कि उनको बेदखल अब नहीं किया जायेगा और पूरे अधिकार दिये जायेंगे तो कुछ दिनों पहले तो वही आदेश होते हैं और कुछ दिनों बाद उनके साथ सख्ती बरती जाती है। मैं आपको मिसाल दूं कि हमारे पूरे बांसवाड़े में काश्त करने के लिए लोगों को रोक दिया गया। एक अंगुल जमीन के टुकड़े की भी मन्जूरी नहीं दी जायेगी, ऐसा आदेश दिया गया। कई बड़े बड़े लोगों ने और नेताओं ने यह कहा था कि आपको पूरे अधिकार दे दिये जायेंगे जमीन के बारे में, तो लोगों ने इसके लिए तहसील में फॉर्म पेश किये और यह समझ कर कि उनका पूरा अधिकार जमीन के ऊपर है उस जमीन की सफाई की और जो खराबियां थीं उनको दूर किया। तो बाद में ऑर्डर आया कि किसी को भी जमीन नहीं दी जायेगी। तो मैं कहता हूं कि यह जनता के साथ विश्वासघात है। फिर भी मैं कहता हूं कि पटवारी छुपाये रखे, लेकिन बिना मन्जूरी के लोगों ने काश्त कर ली। किसी ने एक बीघा, किसी ने १॥ बीघा और किसी ने २ बीघा; उसके ऊपर आज जाकर पटवारी कार्यवाही कर रहा है। उनको इसके लिए

(श्री हीराभाई)

सजा होगी, खैर मजा तो नहीं होगी पर जुर्माना जरूर होगा और कोई पेड़ होगा उसके लिए भी सजा होगी तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो हमारा शहद निकालने की बात हैं । शहद निकलवाते समय छोटे छोटे बच्चे मर जायेंगे अगर शहद सावधानी से नहीं निकाला गया तो । हमारे मिनिस्टर साहब ब्राह्मण हैं और इसका उनको भी पाप लगेगा....

श्री उपाध्यक्ष : आप शहद निकालते हैं तो छोटे छोटे बच्चों को निकाल देते हैं या अन्दर ही रख देते हैं ?

श्री हीराभाई : वह तो निकालने ही पड़ते हैं ।

जब शहद निकालते हैं तो जो बड़ी २ मक्खियां हैं वे तो अपने आप निकल जाती हैं और छोटी छोटी मक्खियां मर जाती हैं....

श्री उपाध्यक्ष : अब मक्खियों से अलग विषय पर आ जाइये ।

श्री हीराभाई : मेरा मतलब है कि छोटे बच्चों को भी मारना नहीं चाहिये और बड़ों को भी नहीं । आपने जो सीलिंग किया है उसमें कितनी जमीन भूमिहीनों को मिलने वाली है, उसका कोई ठिकाना नहीं है । तो मक्खियों का मतलब यही होता है कि छोटे छोटे आदमियों का तो आपने ख्याल नहीं रखा और बड़े बड़े आदमी पहले ही निकल गए । मैं यह एक मिनिस्टर के लिए नहीं कह रहा हूं, सब के लिए कह रहा हूं । राज्य सरकार को कह रहा हूं कि वह जमीन छीन लेती है और कानून को टालबाजी करके लोगों को भूमिहीन बना देते हैं ।

दूसरी बात माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारी समिति की है और प्लान बनाने का सवाल है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब प्लान बनता है तो वह प्लान कैसे बनेगा, क्या करना चाहिये वह तो नहीं है । अगर आपको यह करना है तो जो आसपास की सरकारी जमीन पड़ी है उसको शामिल करके, सीमा बनाकर अगर प्लान बना दिया जाये तो अच्छा रहेगा । इससे न तो लोग कानून का विरोध करेंगे और न अपना कारोबार भी पूरी तरह से कर सकते हैं । वह जमीन जो एक बीघा, आधा बीघा नालों में पड़ी है उसका प्लान बनाकर काम करें तो काम चल सकता है ; नहीं तो आपका प्लान बनने वाला नहीं है और न आपका कानून दुनिया में लागू होने वाला है । ऐसी स्थिति में लगान का सवाल है । अब लगान जो है उसको दो तरह से वसूल किया जा रहा है । जिस जमीन का ठिकाना नहीं है, पुराने पटवारी वहां के आंकड़े और उसी के आधार पर जो लगान लागू कर रखा है, उसमें हेर-फेर करने की बात सरकार करती है तो हम कहते है कि जो पहाड़ी की जमीन लोगों को दी जाये वह बिना लगान के दी जाये और अधिक से अधिक अन्न पैदा करने पर इनाम दिया जाये तब तो लोग जमीन का अच्छी तरह से सुधार भी कर सकते हैं और वह जमीन जनता के लिए अच्छी उपयोगी भी बन जायेगी और देश में अनाज का उत्पादन भी अच्छा होगा । लेकिन ऐसा नहीं होता है और ऐसे सुझावों पर हमारी सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया

(श्री हीराभाई)

जाता हैं। मैं कहता हूं कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट में ही समाप्त कर दें।

श्री हीराभाई (जारी) : उसके लिए रखा जा रहा है तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह जो नक्शा हो हमारी सरकार ढूंढ कर उस नक्शे के आधार पर करे लेकिन जो नक्शा नो तोड़ जमीन और दूसरी जमीनें देने वाली हैं उन जमीनों को देने में रोक न करे, तभी हमारा कानून सफल हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भूमि आयोग का प्रतिवेदन सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। इस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में माननीय राजस्व मंत्री महोदय ने उसके लेखे-जोखे को, उसमें की गई सिफारिशों आदि पर काफी विस्तार से प्रकाश डाला है। इसके उपरान्त सदन के माननीय सदस्यों ने भी उसमें क्या है, क्या नहीं है और क्या होना चाहिए, उस पर भी काफी विचार किया है। ये भूमि सुधार वास्तव में क्यों किए गए और क्या उद्देश्य था और उन उद्देश्यों की पूर्ति हुई या नहीं हुई, मेरा विश्वास है कि यही सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए थी इस रिपोर्ट के अन्दर। जहां तक भूमि सुधार का सम्बन्ध है यह एक बहुत पुरानी रीति-नीति पर आधारित है। जहां तक कांग्रेस का सम्बन्ध है, कांग्रेस ने जब देश की सत्ता भी उसके हाथ में नहीं थी, उसके पहले से उसने अपनी रीति-नीति स्थिर की थी कि देश में स्वराज्य होने के बाद में भूमि के सम्बन्ध में कुछ मौलिक सुधार किये जायेंगे और उसी के आधार पर जब हमारे देश का संविधान बना तो उसमें इस ओर इंगित किया गया। क्या राजस्थान में और क्या दूसरे राज्यों में जो भी सुधार भूमि के सम्बन्ध में हुए वे सब उस पुरानी रीति-नीति और हमारे संविधान के अन्दर जो प्रावधान इस सम्बन्ध के लिए उन पर आधारित हैं। यह खुशी की बात है कि राजस्थान ने भूमि सुधारों सम्बन्धी कानून बनाने का जहां तक प्रश्न है शायद देश में सबसे अगुवा रही हमारी सरकार। कितने ही कानून बनाए और समय समय पर कानूनों में बहुत से संशोधन भी लाए गए। अब वह कानून बने या उनमें संशोधन लाए गए उनका असर, उनका प्रभाव उस समुदाय के ऊपर, उस जनता के ऊपर, जिसके लिए कानून बनाए गए, क्या हुआ या क्या होना चाहिए। यह यदि इसमें स्पष्ट होता तो मैं इस कमीशन की, इस आयोग का बनना और उसका इतना परिश्रम करना सफल समझता। लेकिन मालूम ऐसा होता है कि जिस प्रकार हमारे भूमि सुधार सम्बन्धी कानून बने और उन कानूनों के काफी प्रगतिशील होते हुए भी कुछ कमियां ऐसी जरूर रहीं कि जो जिस वर्ग या जिस समुदाय के लिए ये कानून बने उनसे पूरा २ लाभ वे नहीं उठा सके। इस प्रकार इस रिपोर्ट में भी कम से कम उसका कुछ उल्लेख होता स्पष्ट रूप से कि कहां २ उन सुधार कानूनों का फायदा उस किसान वर्ग के ऊपर या भूमि के उन सपूतों के ऊपर कैसा पड़ा, तो अधिक उपयुक्त होता। यह एक निश्चित

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

बात है कि जो भी भूमि सुधार किए गए वे इस उद्देश्य को लेकर किए गए, उनमें सबसे बड़ा उद्देश्य तो यह था कि एक सामाजिक न्याय हो, एक इक्वीटेबल डिस्ट्रिब्यूशन हो, उस साधन का जो कि इस देश का सबसे बड़ा साधन है लोगों की रोजी–रोटी का। दूसरा यह भी उद्देश्य इसमें निहित रहा कि देश के खाद्यान्न का उत्पादन बढ़े और तीसरा जो लिखा है वह करोड़ों की संख्या में हमारे वे लोग हैं जो शारीरिक दृष्टि से पूर्ण हैं, जिनको हृष्ट पुष्ट कहना चाहिए, समर्थ और सक्षम कहना चाहिए साधन भी जिनके पास होते हुए भूमिहीन होने से जो अपने सारे साधनों का अपने उस सामर्थ्य और सक्षमता का उपयोग नहीं कर सकते। ये तीन मोटी मोटी चीजें थी, जिनके लिये ये भूमि सुधार शुरू किए गए और जिनको किए जाने की आवश्यकता थी। लेकिन पिछले आठ–नौ वर्ष के इतिहास को देखते हैं और भूमि सुधार पर उसका क्या प्रभाव पड़ा; इस दृष्टि से देखते हैं तो कोई विशेष अन्तर ऐसा मालूम नहीं होता कि हम यह कह सकें कि हम अपने सुधार के उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें हों। सबसे बड़ा जो प्रश्न इसमें आता है वह आता है उन लोगों का जिनको कि उस व्यवस्था के अन्दर, उस आॅर्डर के अन्दर जबकि हमारे उन कानूनों के पहले जो इस प्रदेश में और इस देश में थी, उस समय उन लोगों की क्या स्थिति थी और उसके उपरान्त अब क्या स्थिति है, यह देखना बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक हो जाता है। पहले व्यवस्था थी कि एक ओर कुछ मोटे मोटे लोगों के पास लाखों बीघा जमीन होती थी जो ज्यादातर दूसरे लोगों के शोषण से ही उसका लाभ उठाते थे, जैसा कि मैंने अभी कहा; लाखों–करोड़ों वे लोग थे। दूसरी ओर जो स्वयं खेती करने में समर्थ थे जो समर्थ थे वे ऐसा नहीं कर सकते थे, एक व्यवस्था यह थी। उस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए ये सब कानून बनाए गए लेकिन आज भी हम देखते हैं कि वे लोग जिनको भूमिहीन लोगों के नाम से पुकारते हैं, उन भूमिहीनों की भूमि प्राप्त करने की समस्या, जिस क्षेत्र से मेरा सम्बन्ध है, कम से कम मैं यह समझता हूं कि कोई प्रतिशत भी कम नहीं हुई है। जागीरदार उन्मूलन का कानून बना, जमींदारी और बिस्वेदारी उन्मूलन का कानून बना और जागीरें भी ली गई और बिस्वेदारी और जमींदारी भी ली गई लेकिन उसके बाद भी उसका वितरण या जिन लोगों को उनका लाभ पहुंचना चाहिए था, उस उद्देश्य की पूर्ति मैं समझता हूं कि ठीक तौर से नहीं हुई है। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हमारे देश में भूमि सम्बन्धी सुधार हुए और कुछ उन देशों में भी जो कि हमारे प्रजातांत्रिक तरीकों को नहीं मानते, उनमें भी भूमि सम्बन्धी सुधार हुए। उन लोगों ने भूमि के मालिकों से भूमि को ले ली बगैर कोई मुआवजा दिए और उसको उन्होंने सहकारी आधार पर, सामुहिक आधार पर या भूमि सुधार को रखते हुए जो लोग उस पर खेती करें उसको मिल जुल कर काश्त करें, किसी भी तरह इस भूमि को दे दिया। यहां न्याय की दृष्टि से हम यहां बैठ कर उस व्यवस्था को ठीक नही समझें, लेकिन कम से कम एक बात की ओर हमारा ध्यान अवश्य जाता है कि उन्होंने अपने यहां की खाद्यान्न की समस्या को अवश्य हल कर लिया है। दूर

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

नहीं जायं, अपने पड़ोसी देश चीन की तरफ,. जाते हैं तो वहां उन्होंने, मैं समझता हूं कि हमारे देश में जो भी कुछ भूमि के सुधार लागू हुए, लगभग उसी समय उन्होंने अपने यहां कानून बनाए और क्या २ उन लोगों के ऊपर उन्होंने अन्याय और अत्याचार किए, इसको अलग छोड़ कर यह मानना पड़ेगा कि उन्होंने उस भूमि के द्वारा इतने खाद्यान्न का उत्पादन किया कि आज वह हमारे देश की तरह दूसरों से अन्न मंगाने की स्थिति में नहीं है। वे काफी पैदा करते हैं अन्न, चावल, इत्यादि और इस मामले में वे आत्मनिर्भर ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों को देने के योग्य हो गये। हमाने एक कदम जो हमारी दृष्टि से न्यायसंगत उठाया है कि जो भी भूमि ली है उसके मुआवजे के लिए हमारे संविधान में प्रावधान रखा और उसी प्रकार हमने किया। एक प्रकार से हम पूर्ण उसको रिवोल्युशनरी न कहकर, एक इवोल्यूशनरी, एक विकासवादी तरीके से हमने अपनी भूमि समस्या को हल किया, लेकिन उसका परिणाम जहां तक खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होने का है, उसकी दृष्टि से इसमें हम उतना परिणाम नहीं देख पा रहे हैं जितना कि हमें सोचना चाहिए था और उसका कारण यही है कि भूमि का वितरण ठीक तौर से नहीं हुआ है। अभी भूमि उन लोगों के हाथ में ठीक तौर से नहीं पहुँची जो कि बहुत दिनों से आशा लगाये हुए थे और जो आज भी एक एक बीघा जमीन की तरफ बड़ी सतृष्णा की दृष्टि से देख रहे हैं लेकिन आज भी हजारों भूमिहीन, मैं अपने जिले के लिए कह रहा हूं, लोगों को राज्य सरकार भूमि देने में सर्वथा असमर्थ रही है, तमाम सुधारों के होते हुए भी।

इसके साथ साथ जैसा कि मैंने बतलाया हम न्याय भी करना चाहते हैं, हमारे कानून भी हमारे संविधान के अन्तर्गत उसी तरह से चलते हैं जिस प्रकार कि मुआवजे का और जिन लोगों से भूमि ली गई उनको विस्थापित करने का, एक प्रकार की राहत उन लोगों को देने का हमने प्रावधान किया। लेकिन मैं समझता हूं फिर भी उस दृष्टि से भी हमारे काम के अन्दर कुछ इस प्रकार की त्रुटियां रही हैं जिनसे कि लोगों के साथ में उचित न्याय नहीं हो पाया। मैं दूसरे स्थानों की बात नहीं कहता। खास तौर से मैं अपने जिले और अपने जिले के जिस क्षेत्र से मैं आया हूं, उसके सम्बन्ध में जो इन कानूनों का असर पड़ा है, उसके सम्बन्ध में कुछ उदाहरण दूँगा।

भरतपुर, अलवर के अन्दर जागीरदारी नहीं थी, नहीं के बराबर थी और नहीं थी। वहां पर जमींदारी और बिस्वेदारी थी और खास तौर से भरतपुर में जमींदारी ही रही। लेकिन वह जमींदारी भी जैसा कि मैं पहले भी समय समय पर बतला चुका हूँ कोई बड़ी बड़ी जमींदारियां नहीं थीं, कोई यू० पी० और बिहार की तरह से बड़ी बड़ी जमींदारियां नहीं थीं, जयपुर और जोधपुर की तरह से जागीरदारियां नहीं थी। १० बीघा का भी जमींदार था, ५० बीघा का भी जमींदार था और १००, ५०० बीघा का भी जमीदार था। लेकिन जमींदारी उन्मूलन का असर तो सब के ऊपर ही पड़ने को था, लेकिन जहां तक उनकी मिल्कियत खत्म होने का सम्बन्ध है, लगान सरकार को सीधा देने का सम्बन्ध है, उस चीज़ को उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया,

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

लेकिन उनकी जमीन पर जिस प्रकार से राज्य सरकार ने अपना कब्जा किया है, अपना आधिपत्य जमाया है, उससे उनको कुछ शिकायत है, और इसके सम्बन्ध में एक–दो बार माननीय राजस्व मन्त्री जी का ध्यान भी उस ओर आकर्षित करता रहा हूं। वहां पर नगर और डीग तहसीलों के अन्दर खास तौर से, जमीन बहुत कम है, और उस जमीन में भी जितनी जमीन है वह सब की सब खेती के ही काम में आती है, उसमें ज्यादातर खेती होती है। इतनी कोई बड़े २ बंजर जैसी जमीन नहीं है कि उसमें बड़े बड़े चारागाह हो सकें लेकिन फिर भी लोग आखिर पशु रखते हैं, कम से कम दो बैल, एक गाय, एक भैंस, एक घोड़ा या एक ऊंट, मामूली जो किसान है वह भी रखना पसन्द करता है और इसके लिए उनके यहां आज से नहीं ५०-१०० वर्षों से इस प्रकार का तरीका चला आ रहा था कि २० बीघा जमीन है तो उस २० बीघा में से १५ बीघा पर काश्त करते और ५ बीघा भूमि पशुओं के चरने के लिए छोड़ देते, जिसमें घास उगा लेते या चरने की दूसरी चीज वगैरह कर लेते। जिस वक्त यह कानून वहां पर आया तो सरकार के इस प्रकार के आदेश हुए कि सारी बंजर जमीन पर कब्जा कर लिया जाय, उनको कम से कम रोक दिया जाय कि बंजर जमीन पर खेती नहीं करें। इस तरह का हुआ। उसका नतीजा यह हुआ कि किसी के ऊपर २ बीघा जमीन, ३ बीघा बंजर जमीन, एक बीघा बंजर जमीन, ऐसी बंजर जमीन जिसके चारों तरफ उसकी जमीन है, चलने वाली जमीन जिसको कहते हैं वे लोग, उसमें खेती करने है। एक–दो बीघा बीच में आ जाती है; बैलों को चराने के लिए या फसल काटते हैं तो उस पर लाग लगाने के लिए वे लोग रख लेते हैं....

श्री दलीपसिंह (बारां) : खातेदारी हुई है, कैसे लेते हैं ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : खातेदारी भी उनकी है और खुदकाश्त में भी है, लेकिन हमारे राजस्व मन्त्रीजी ने खुदकाश्त की परिभाषा जो मुझे बतलाई है, मैं समझता हूं कि उसी का असर उन लोगों पर पहुंचा। माननीय मन्त्रीजी ने मुझे खुदकाश्त की परिभाषा यह बतलाई कि खुदकाश्त का मतलब यह है कि वह जमीन जिस पर कि काश्त हो यानी बंजर जमीन उसमें आती नहीं है, उनकी परिभाषा के अनुसार। वहां का किसान खुदकाश्त में पड़त जमीन को भी मानता है, जिसको कि वह अपने मवेशी चरने के लिए रख लेता था। लेकिन माननीय राजस्व मन्त्री जी ने बतलाया कि जिस जमीन पर काश्त नहीं हो; काश्त का मतलब खेती हो, हल चलें जिससे, कुछ बीज डाला जाय इसलिये बंजर उसमें नहीं आती है। मैंने इस सम्बन्ध में वहां के लोगों से जाकर कहा तो उन्होंने बतलाया कि खुदकाश्त की परिभाषा तो वहां पर पहले से ही है और जिसमें इस तरह की बंजर पड़त जमीन ही नहीं, कदीमी बंजर भी आ जाती है। इसके सम्बन्ध में वहां के लोगों ने तहसील की मिसल बन्दोबस्त वाजिबुल अर्ज बतलाई, उसमें कदीमी बंजर का भी उल्लेख है वजिबुल के अन्दर एक रिवाज है उसके अन्दर बंजर उसमें शामिल है। उन लोगों का पक्ष पूर्ण सबल मुझे मालूम हुआ। मैंने

(श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी)

इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकृष्ट किया और आज भी जब कि इन संशोधनों पर विचार कर रहे हैं और एक रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं उस ओर फिर आकृष्ट करना चाहूँगा कि जमींदारी कानून जो है उसका उन्होंने स्वागत किया है। उस पर पूरी तरह से अमल कर रहे हैं, लेकिन उनको इस तरह की शिकायत है कि उनको जिसको खुदकाश्त आप कहते हैं उस खुदकाश्त में ऐसी बंजर जमीन यह पड़त जमीन जो उनकी है, उसको कम से कम उससे न रोका जाय।

उन्हें एक और शिकायत का मौका मिल गया एक हमारे कलेक्टर साहब के एक आदेश से जो कि कोई भी कानून पर आधारित नहीं था, यहां की असेम्बली ने कोई कानून नहीं बनाया था, यहां की सरकार ने कोई आदेश नहीं दिया; लेकिन हर कलेक्टर को कुछ अधिकार दिये होते हैं जिलों में, उस अधिकार का ही उन्होंने उपयोग करते हुए आज से ३–४ वर्ष पहले सन् ५७ में एक आदेश जारी कर दिया तमाम तहसीलों के लिए कि कोई भी बंजर जमीन वगैर मन्जूरी मिले नहीं तोड़ी जाय। तो, मैं समझता हूँ कि ठीक भी हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर बंजर तोड़ने से पशुओं को खड़े होने तक को भी वहां जमीन नहीं रहती है, लेकिन उसके बाद उसका अमल जमीदार बिस्वेदारी के पहले उसको कानून बना दिया; वहां पर अमल ऐसा हुआ जैसे कोई कानून था। कलेक्टर का आदेश न होकर विधान सभा जैसे हम विधेयक पास करते हैं, कानून पास करते हैं, वहां का कोई कानून हो। इस सम्बन्ध में रेवेन्यू बोर्ड और अदालतों में गये हुए हैं लोग। उनके कुछ फैसले भी हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इस संबंध में हमारे राजस्व विभाग को थोड़ा समझ लेना चाहिए कि हर जगह की स्थिति अलग थी। हमारी १८–२० रियासतों का एक संगठन है राजस्थान, वहां पर अलग अलग तरीके थे। अलवर, भरतपुर, दूसरे राज्यों के बारे में, पुरानी रियासतों के बारे में मैं नहीं कहता, लेकिन जहां तक जमीन के कानूनों का सम्बन्ध है, बहुत अच्छे कानून बने हुए थे। पंजाब के आधार पर सेटलमेंट हुआ और उसके आधार पर सारे नियम और कानून बनाये गये और उन्होंने जिस खुदकाश्त की परिभाषा उस वक्त की है, मैं समझता हूं उसको आज बदल कर जो नई परिभाषा में डालकर उन लोगों से जमीन ली जा रही है, यह कुछ उचित नहीं मालूम होता है। मैं खास तौर से इस ओर ध्यान दिलाता हूं।

इसमें जैसा कि मैंने आरम्भ में बतलाया कि इन सब का स्वागत उसी दृष्टि से कर सकते हैं, यदि हम यह अनुभव करने लगें कि भूमि में सुधार लाकर हमने उन लोगों को लाभ पहुंचाया है जिनके लिए ये कानून बनाये गये हैं, मेरा अभिप्राय प्रगतिशील कानूनों से है। कम से कम भरतपुर का जहां तक सम्बन्ध है उन लोगों को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है। कभी बीड़, रूंध की भूमि के लिए कहते हैं तो कहते हैं कि फोरेस्ट देखेगा। सीलिंग जिस प्रगति से चल रहा है वह ५-१० साल तक नहीं हो सकेगा। सीलिंग से हमारे यहां कुछ मिलने वाला नहीं है। वे लोग वहां के चाहते हैं कि उनको कहीं बसाया जाय। पहले राजस्व मन्त्रीजी ने कहा था कि वे उनको जगह बीकानेर

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

और राजस्थान केनाल एरिया में देने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने (लोगों ने) कहा कि वे बेचारे वहां होकर आये हैं । जाटव लोगों के लिए नहीं कहता हूँ, लेकिन बावरिया लोगों ने कहा कि वे सब वहां तर घूम आये हैं। वहां पर उन लोगों से कहा गया कि यह सारी जमीन नीलाम होगी ! अगर दो हजार लगते हैं तो आप तीन हजार लगायेंगे तो आपको मिलेगी । वे यहां से उखड़े हुए लोग हैं जिनके पास में साधन नहीं है। मैं समझता हूं कि भूमिहीन समस्या का सुलझाना नीलाम से कभी नहीं होगा । आप उनसे शरीर से श्रम कराइयेगा । आप भूमि दें और वे भूमि पर पैदा करेंगे, इस दृष्टि से उनके साथ में न्याय करना होगा ।

(४ म. प.)

तो मैं इस समय इतने ही विचार रखता हूं और राजस्व मन्त्रीजी से अपेक्षा रखता हूँ कि वे दो बातों की ओर जरूर ध्यान देंगे; एक तो भूमिहीनों के लिए भूमि की व्यवस्था की जाये और दूसरा बंजर भूमि पर जो असर पड़ा है उसका अवश्य समाधान किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्व मन्त्रीजी ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय, लैण्ड कमीशन की रिपोर्ट पर आज दिन भर से बहस हो रही है । माननीय सदस्यों ने काफी अपने विचार इस पर सदन में पेश किये हैं । मैं समझता हूँ, एक मूल गलतफहमी जो हो रही है वह यह है कि शायद यह लैंड कमीशन की फाइनल रिपोर्ट है और आगे कोई रिपोर्ट आनेवाली नहीं है । इस बात को लेकर माननीय सदस्यों ने इस बात पर चर्चा की । यह आखिरी रिपोर्ट है, ऐसी बात नहीं है । जो कुछ लैंड रिफोर्म्स राज्य सरकार ने किये हैं उनके इवेल्युएशन के लिये यह रिपोर्ट है और जो टर्म्स ऑफ रेफरेन्स इस कमीशन के हैं उनको देखने से मालूम होगा कि यह कमीशन टेम्पोरेरी बोडी नहीं है । यह इन्टेरिम रिपोर्ट है । जिस समय यह कमीशन अपोइन्ट हुआ और जिस समय इसने रिपोर्ट तैयार की उसके दर्मियान में लैंड रिफोर्म्स राज्य में बहुत से हुए । यह जाहिर है कि कितने ही रिफोर्म्स हो गये और कितने ही बाकी हैं। इम्प्लीमेंटेशन के लिये मशीनरी सेट अप करने की सलाह लैंड कमीशन की रिपोर्ट में दी गई है । लेकिन इस रिपोर्ट को फाइनल रिपोर्ट समझना गलत बात है ! यह तो इसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है और ऐसी रिपोर्ट इसकी दो, तीन, चार, पांच आती रहेंगी आपके सामने । इसलिये इसको फाइनल रिपोर्ट समझ कर कहना कि इसने कुछ काम नहीं किया इसलिये इसको जितना डिस्क्रेडिट दिया जाये उतना ठीक है, यह बात ठीक नहीं है ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : चार साल में तो इन्टेरिम रिपोर्ट आई है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : चार साल में तो नहीं, ढाई-तीन साल में रिपोर्ट दी है । लेकिन जिस वक्त कमीशन अपोइन्ट हुआ उसके बाद कितने ही लैंड रिफॉर्म्स इस विधान सभा ने किये । जितने रिफोर्म्स सेकन्ड फाइव इयर प्लान में एनविसेज किये गये थे वे सब पूरे किये गये । इसने रिपोर्ट

(श्री दामोदरलाल व्यास)

देर से दी यह मैं खुद महसूस करता हूं लेकिन यह फाइनल रिपोर्ट नहीं है इस प्रकार की कमेटियों का जो सेट अप होगा, they will be permanent bodies उसका काश्तकारों पर क्या असर पड़ा इसको इवेल्यूएट करके वह रिपोर्ट देती रहेगी।

अब मैं कुछ और बातें निवेदन करना चाहता हूं। सबसे पहले बयाना से आनेवाले माननीय सदस्य ने लैंड रिफोर्म्स जो राजस्थान में हुए हैं उन पर काफी बातें कहीं और यह बताने की कोशिश की कि लैंड रिफोर्म्स से राजस्थान के किसानों की हालत में सुधार नहीं हुआ। जहां तक मैं समझ पाया हूं वेरियस आस्पेक्ट्स; चाहे लैंड एलटॉमेंट का हो, चाहे फिकेसेसिटी ऑफ रेन्ट का हो या फिक्सेशन ऑफ टेन्योर का हो, हर बात को लेकर उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि इनसे किसानों को फायदा नहीं हुआ। और भी माननीय सदस्यों ने अपने कुछ विचार यहां पर प्रकट किये। मैं कुछ मूल बातों को लेकर आपके सामने विचार प्रस्तुत करूंगा और यह बताने की कोशिश करूंगा कि दरअसल में जो आप समझ रहे हैं कि लैंड रिफोर्म्स का इम्प्लीमेंटशन ठीक ढंग से नहीं हुआ, वह ठीक नहीं है। एक एक अमेंडमेंट को देखेंगे तो डिफरेन्ट समय में और डिफरेन्ट सर्कम्सटान्सेज़ में अमेंडमेंट करने लाजमी हो जाते हैं। सेक्शन १६ जो हमने पहले रखा था खातेदारी राइट देने के बारे में और उसमें जो कम्पेनसेशन का प्रोविजन था वह बहुत काम्पलीकेटेड था और उसको जब कलेक्टर्स ने वर्क आउट करके देखा तो उनको यह मुश्किल मालूम हुआ। तो इस कॉम्पलीकेशन को सिम्पलीफाइ करने के लिये इस सेक्शन को और सेक्शन २० व २१ को अमेन्ड करना पड़ा।

इसी तरह से जिस समय टिनेन्सी एक्ट बना उस समय राजस्थान केनाल बनाने का कोई प्रोविज़न नहीं था और जब राजस्थान केनाल बनाने की योजना सामने आई तो सेक्शन ५० और इसमें लगानी पड़ी। राजस्थान केनाल बनने पर लाखों एकड़ जमीन अंडर कल्टीवेशन आयेगी तो कोलोनाइजेशन का प्लान पहले से ही बनाना पड़ेगा इसलिये यह क्लॉज़ लगाना पड़ा। अमेंडमेंट्स डिफरेन्ट सरकमसटान्सेज में करने पड़ेंगे। आप किसी भी कानून को देखिये, वक्त और जरूरत के समय अमेंडमेंट्स करने होंगे; लेकिन यह बात नहीं है कि अमेन्डमेन्ट्स ज्यादा हुए इसलिये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। अमेंडमेंट्स किये इसलिये जाते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन आसान हो जाये।

आप इस बात को देखिये कि हमने जो लैंड रिफोर्म्स विधान सभा में किये हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ या नहीं। एक एक स्टेज पर आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। बयाना से आनेवाले माननीय सदस्य ने बेसिक प्रिन्सिपल्स के जरिये बताने की कोशिश की कि किसानों को इससे राहत पहुंची या नहीं। उन्हीं प्रिन्सिपल्स को लेकर एलुम्बर से आनेवाले माननीय सदस्य ने बताने की कोशिश की, कि बराबर उनसे किसानों को राहत पहुँची है और उनको इनसे काफी फायदा हुआ है। यदि आप कहते हैं कि उनको राहत नहीं पहुँची तो एक एक पोइन्ट को लेकर देख लीजिये; आपको मालूम हो जायगा कि राहत पहुँची या नहीं।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

किसानों के लिये सिक्योरिटी आॅफ टेन्योर चाहिये, उसकी जमीन का वह खुद मालिक हो, उसकी जमीन की बदली नहीं की जा सके। यह पहली बेसिक बात है। जब तक यह नहीं होगा कि वह खुद जमीन का मालिक हो तब तक वह इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा और प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। तो हर तरह से उसको सिक्योरिटी दी है। दफा १५ को देखिये। उसके अन्तर्गत जो एक साल से काश्तकार था या जो एक फसल का काश्तकार था उसको भी बराबर खातेदारी राइट मिले। इसी तरह से सेक्शन १६ में सब-टिनेन्ट को खातेदारी राइट मिले। उसको इजेक्ट कोई नहीं कर सकता जब तक कि वह काश्त करता है और सरकार को लगान अदा करता है। इजेक्टमेंट की डिक्री होने पर भी यह सेफगार्ड उसके लिये किया है कि यदि वह पेमेन्ट करता है तो उसका इजेक्टमेंट रुक सकता है। तो सेक्शन्स १५ और सेक्शन १६ में जो अधिकार उनको दिये हैं वे रेकॉर्ड ऑफ राइट में दर्ज हुए या नहीं? मैंने शुरू में बताया था कि सेक्शन्स १५ और १६ में जो अमेंडमेंट किये हैं उनके अनुसार टोप प्रायोरिटी दी जा रही है कि उनकी एन्ट्रीज़ हर तहसील में की जाय। सन् ५२ में सेन्सस किया था उसके बाद एड किया होगा। इतना बड़ा काम हर तहसील में किया जा रहा है। उसके बाद भी एन्ट्रीज़ नहीं हुई तो भी इजेक्टमेंट नहीं हो सकता। इजेक्टमेंट अदालत से कराया जाता है। काश्तकार प्ली ले सकता है कि सेक्शन १५ और सेक्शन १६ से वह प्रोटेक्टेड है। इसलिये जहां तक सिक्योरिटी का सवाल है वह बिल्कुल गारन्टीड है। इससे और बहतरीन प्रोविज़न दूसरा नहीं हो सकता जिससे उसको प्रोटेक्ट किया जाये और ओनरशिप राइट उसको मिल जाये, चाहे आप इसे खातेदारी राइट कहिये या वाट एवर यू कॉल इट। यह एक चीज़ है जिसमें काफी लोगों को प्रोटेक्ट किया है।

इसके अलावा जहां तक लगान की बात है, यह बिल्कुल ठीक बात है कि लगान फिक्स होना चाहिये।

यह दूसरी बात है कि सेटलमेंट सारे राजस्थान में करीब करीब हो गया, जब सेटलमेंट की रेट फिक्स हो गई और लगान की उसमें कोई वह नहीं आती। इसके अलावा काश्तकारों को जितनी सहूलियतें, काश्तकारी के लिए और जिन बातों के लिए देनी चाहिए, मकान के लिए, जमीन के लिए पेड़ के ऊपर, इम्प्रूवमेंट के लिए, वे सारे प्रोवीज़न्स मौजूद हैं। उनके इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है, वह पैदा नहीं होता। इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इस बात के लिए कह सकते हैं कि सेक्शन्स १५ और १६ के अन्डर में रेकॉर्ड ऑफ राइट तैयार हो गया है या नहीं। मैंने इसके लिए कहा कि स्पीड से, टोप स्पीड से यह रिकॉर्ड तैयार हो रहा है और उसके साथ ही मैंने बताया कि उसमें देर लगेगी भी, तो भी राइट ऑफ इजेक्टमेंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह एक चीज़ है जिसके लिए कहा जा सकता है।

दूसरी बात है इस लेजिस्लेशन के ताल्लुक में। मैंने शुरू में अर्ज किया कि जो टर्म्स ऑफ रेफरेन्स इस लैंड कमीशन के बने, उनके लिए कहा जाये कि उन टर्म्स ऑफ रेफरेन्स के खिलाफ रिपोर्ट गई है, तो

(श्री दामोदरलाल व्यास)

मैं कहना चाहूंगा कि वह खिलाफ नहीं गई है, it is only a part of report.

जितनी स्टडी कर सके, जितनी मालूमात कर सके, उन्होंने खास तौर से देखा है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो मालूम होगा, कि जितने लैंड रिफॉर्म्स राजस्थान में कर लिए हैं, उनके बाद भी अब क्या बाकी हैं और उनके लिए उसने सजेशन दिये हैं। उसने सजेशन दिया है, जिसके लिए अब काश्तकारों को आम तौर पर शिकायत है। जो शिकायतें हैं, उन बातों के लिए रिकमेंडेशन दी है स्टेट गवर्नमेंट को। जैसे फलां जगह मकान बनाने के लिए जमीन की बात है। मैंने बताया था कि जो मकान बनाने के लिए रिकमन्डेशन दी है उसके इम्प्लीमेंटेशन में एल० एस० जी० से आॅर्डर इश्यू कर दिया है कि सेक्शन ३१ के अन्डर में जमीन दिला दी जाये। मिनरल डिपार्टमेंट के लिए कहा कि बिल्डिंग मैटीरियल फ्री आॅफ रायल्टी मिल जाय। मैंने अर्ज किया कि इसके लिए रूल अमेंड कर दिया है, उसके वे एन्टाइटल्ड हैं। अब रहा सवाल कि ठेकेदार जबरदस्ती काश्तकारों को परेशान करता है, उसके लिए रिकोर्स टू लीगल प्रोसीजर करना पड़ेगा। इसका इम्प्लीमेंटेशन हर एक काश्तकार के मकान पर जाकर नहीं होने वाला है। उसके लिए लॉ बना दिया है, माइनर मिनरल कन्सेशन रूल्स थे, उसको अमेंड कर दिया है। उसके बाद भी ठेकेदार किसी को तंग करता है तो उसके लिए प्रोपर एप्रोच करना पड़ेगा; आॅथोरिटी को रोकने के लिए, राइट असर्ट करने के लिए। यह गवर्नमेंट के करने की चीज़ नहीं है, यह काश्तकारों के करने की चीज़ है। कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात की शिकायत की कि उनको बराबर तंग किया जाता है, मिट्टी पत्थर की रायल्टी लेने के लिए ठेकेदार मजबूर करते हैं। जहां तक रूल का सवाल है, वह क्लिअर है, उसके एन्फोर्समेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट आॅफिसर को हिदायत कर दी है। अब जो करना है, वह करे, किसी आॅथोरिटी को एप्रोच करके अपने ग्रीवान्स रिड्रेस कराने पड़ेंगे ...

श्री रामचन्द्र (डग सु०) : लैंडलैस फॉर्मर को यह कन्सेशन दिया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अभी निवेदन करता हूं। लैंडलेस लेबर....

श्री रामचन्द्र : लैंडलैस फॉर्मर।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अभी अर्ज करता हूं। अब दूसरी बात है इसमें बयाना से आये हुए माननीय सदस्य ने कहा कि लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं इतने, उनकी जानकारी देने के लिए क्या मशीनरी सेट अप की है। यह एक बात थी, उनकी किसानों को जानकारी नहीं है, मैं समझता हूं इतनी बात सही नहीं है, जैसा माननीय सदस्य समझते हैं कि उनको जानकारी नहीं है। आज का किसान सब जानता है कि क्या लैंड रिफॉर्म्स हैं, क्या उनको अधिकार मिले हैं। अगर कमी है तो ग्राम पंचायत है, पंचायतें हैं, जिला परिषद् हैं, हम और आप एम. एल. ए. हैं, हमारा कर्त्तव्य है कि हम किसानों को समझायें। हर एक किसान के पास, सरकार के पास कौन सी मशीनरी है

(श्री दामोदरलाल व्यास)

जिसको भेज दे । पटवारी के लिए हमने हिदायतें जारी कीं, एक एक इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट पर मैंने अपने डिपार्टमेंट से हिन्दी और अंग्रेजी में सर्क्युलर भिजवाये हैं कि इन पर इस प्रकार से अमल करें और गांव वालों को समझायें । जहां तक डिपार्टमेंट का सम्बन्ध है, हमने ऑफिसरों को हिदायत दे दी है । अब अगर थोड़ी बहुत गलतफहमी होती है तो पंच हैं, सरपंच हैं, एम. एल. एज. हैं, उनका भी कर्त्तव्य है कि लैंड रिफॉर्म्स की रूरल इकोनामी में प्रायोरिटी है, उससे उनको अवगत कराना और जो फायदा उनको पहुँचाना चाहिए, वह उन तक पहुँचाना, यह हमारी सबकी जिम्मेदारी है । इसके अलावा कौनसी मशीनरी सेट अप की जा सकती है ? सरकार अपनी तरफ से प्रयत्न करती है, इसके साथ ही जो नॉन ऑफिशियल्स हैं, जितने कार्यकर्त्ता हैं, उनका कर्त्तव्य यह है, जो सभा-सम्मेलन में आप जैसा करते हैं । इससे बेहतर मशीनरी सेट अप नहीं हो सकती । मान लीजिये कि दस–पांच आदमियों को मुकर्रर कर भी दिया जाये, वैतनिक, तो मैं समझता हूँ कि दस–पांच आदमियों को हर एक किसान के पास एप्रोच नहीं हो सकता । अगर हो सकता है तो आपके, हमारे और पंच–सरपंचों के जरिये हो सकता है, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के जरिये हो सकता है, उनको समझना चाहिये, उनको पढ़ना चाहिए और फिर समझाना चाहिये । इससे बेहतर मशीनरी सेट अप होना मुमकिन नहीं हो सकता ।

दूसरी बात के लिए मैं अर्ज करूं कि लैंड मैनेजमेंट का जहां तक सम्बन्ध है, उसके लिए कानून बनाना उचित नहीं समझता । उसके कारणों पर मैंने प्रकाश डाला था और कहा था कि लैंड मैनेजमेंट का लेजिस्लेशन हो, तो हर एक काश्तकार पर इस प्रकार का लेजिस्लेशन बना कर सख्ती करायेंगे । आप जानते हैं, सेकिंड फाइव इअर प्लान की प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में देखेंगे कि लैंड मैनेजमेंट लेजिस्लेशन में काफी सख्ती है, टेरेसिंग, बंडिंग, इर्रिगेशन, सीड, मेन्योर, प्लोइंग, and there are so many other things in this; जिसकी पाबन्दी हर काश्तकार से हम कानून के द्वारा करवायें । मैं समझता हूं, वह स्टेज नहीं आई है । अलबत्ता बड़े फार्म, रिपब्लिक फार्म पर पाबन्दी रखनी चाहिए, जिसके लिए बार बार विधान सभा में, सीलिंग बिल जब अन्डर डिस्कशन था, तब कहा था, बड़े फार्म को सीलिंग के लॉ से एग्जेम्प्ट करना है तो उन पर पाबन्दी लगानी पड़ेगी और सीलिंग के मैनेजमेंट से पाबन्द किया जायगा कि वे सब बातें ऑब्जर्व करें । माननीय सदस्यों का कहना है, बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि बिग फॉर्म्स की गिनती राज्य सरकार के पास है, तो कानून क्यों न बना दिया जाय । मैं कहता हूं कि अलग बनाने की आवश्यकता नहीं है । जब सीलिंग का कानून बनाया है, उसमें यह प्रोवीजन रखा है कि वैल मैनेज्ड फार्म के लिए कुछ कन्डीशन्स प्रेस्क्राइब करेगी गवर्नमेंट । क्या कन्डीशन्स प्रेस्क्राइब करेगी, वह एक दफा नहीं, एक से ज्यादा दफा मैंने पेश की है कि ये कन्डीशन्स प्रेस्क्राइब करेंगी । वे वही हैं जो सेकिंड फाइव इअर प्लान में प्लानिंग कमीशन ने प्रेस्क्राइब की हैं, फोर गवर्नमेंट फार्म्स एण्ड

(श्री दामोदरलाल व्यास)

लैंड मैनेजमेंट के लिए कन्डीशन्स प्रेस्काइब की हैं, वही हैं । उसके लिए अलग से लेजिस्लेशन बनाने की आवश्यकता नहीं है, वह ,ऑलरेडी पास कर चुके हैं, बिग फार्म में वही एप्लाई हो जायेगी, वे कन्डीशन्स प्रेस्काइब कर दी जायेंगी । मैंने आपको कहा कि सीलिंग लॉ के अन्दर रूल बना रहे हैं, जो सबसे पहले प्रायोरिटी पर होगा, वह होगा कि वैल मैनेज्ड फार्म को किस तरह एग्जेम्प्ट करना है और क्या कन्डीशन्स पूरी करनी होंगी । इसलिये अब उसके लिए लेजिस्लेशन बनाने का सवाल पैदा नहीं होता क्योंकि बिग फार्म के लिए लॉ बन चुका है और उसके एन्फोर्समेंट का जो सवाल है, वह जब सीलिंग लॉ को एन्फोर्स करेंगे तब कर देंगे ।

यह ठीक है, जैसा कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि फैक्ट्स एण्ड फिगर्स सेक्शन्स १५ व १६ के अन्दर, में, कि कुल कितने टीनेन्ट हैं, सब टीनेन्ट, टीनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को राइट दिये हैं । मैंने अर्ज कर दिया कि ये फैक्ट्स एण्ड फिगर्स मैं पेश कर दूंगा, ये कम्प्लीशन स्टेज पर हैं, लैंड रिकॉर्ड स्पीड पर है । वे जैसे ही कम्प्लीट हो जायेंगे । मैं आपके सामने पेश कर दूंगा ।

अब रहा सवाल कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड नहीं है, इसलिए जो लैंड अलॉटमेंट होता है, वह लैंडलेस को अलॉट न होकर उनको होता है जिनके पास जमीन मौजूद है । मैं नम्रतापूर्वक अर्ज करूंगा कि इसकी जिम्मेदारी सरकार पर या और किसी पर नहीं लगा सकते क्योंकि लैंड अलॉटमेंट रूल्स और उसको ऐसा रखा है, जिसमें करप्शन, फेवरिटिज्म, नेपोटिज्म की कम से कम पोसीबिलिटीज़ हैं । जो माननीय सदस्य लैंड अलॉटमेंट कमेटियों में हैं, वे सही तरीके से अलॉटमेंट करवायें और सही तरीके से करवायेंगे तो ये सब बातें नहीं आ सकती हैं और क्योंकि गवर्नमेंट सरकारी जमीन, अनऑक्युपाइड जमीन लैंड–लेस को फ्री अलॉट करती है, इसलिए यह तहसीलदार पर नहीं रखा है, पटवारी पर नहीं रखा है । For good farming and land management Tehsildar is one of the members. The other members are the M. L. As of that constituency, the Pradhan of that Panchayat Samiti and the Panch of that Panchayat. जिस गांव में वह जमीन है वहां का सरपंच और पंच भी होगा । इसके साथ साथ हमने यह भी रखा है कि तहसील में बैठ कर जमीन का अलॉटमेंट नहीं किया जावे । यह जमीन का अलॉटमेंट आम जलसे में होगा और सारे लोगों को इकट्ठा करके अलॉटमेंट किया जावेगा । उसमें एम० एल० ए० और पचायत समितियों के प्रधान भी होंगे, सरपंच भी होंगे, सभी लोग होंगे । अगर इतने आदमियों के होते हुए भी कोई आदमी जिसके पास जमीन है और अलॉटमेंट करा लेता है तो यह किसका दोष है ? मजमे–आम में अलॉटमेंट कराने का मतलब यही है कि अगर किसी को किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन हो तो वह उसी समय पर पेश कर सकता है और कोई भी कह सकता है कि यह आदमी जो जमीन ले रहा है यह लैंड–लेस नहीं है । इसके अलावा आप और कोई फुल प्रूफ का तरीका बतावें । केवल यह कहना कि लैंड–लेस को नहीं अलॉट

(श्री दामोदरलाल व्यास)

होकर दूसरों को मिली हैं तो यह कहना सही नहीं होगा। हमने एक लाख लैंडलेस पर्सन्स को जमीन अलॉट की है। अगर आप इनके फिगर्स जानना चाहें तो मैं उनके डिस्ट्रिक्ट-वाइज़ फिगर्स बता सकता हूं, नॉन प्रोजेक्ट एरिया के और दूसरे स्थानों के। इसके अतिरिक्त, अगर कोई यह कहता है कि लैंडलेस पर्सन्स को जमीन नहीं दी गई और विधान सभा में भी इस प्रकार का प्रश्न माननीय सदस्यों के जरिये आता है या सरकार को किसी दूसरों के जरिये ध्यान में आता है तो बराबर सरकार उसके लिये एक्शन लेती है और लिया है। इसके अलावा गांवों में सबको राइट्स दिये गये हैं कि वे किसी के साथ अगर अन्याय हो तो वे कलेक्टर के पास जा सकते हैं और अगर उनके साथ बहुत ज्यादा इनजस्टिन्स हुआ हो तो वे नॉन-जुडीशियल मेटर के लिहाज से सरकार के पास रिविज़न कर सकते हैं और रिविज़न के पॉवर्स सरकार के पास रखे हैं और वे इसीलिये रखे गये हैं। इसके अलावा लैंड अलॉटमेंट कमेटी में जनता के प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं, फिर भी यह कह देना कि जमीन लैंडलेस लोगों को अलॉट नहीं होती या ठीक तरह से लोगों को नहीं मिलती है तो मैं यह कह सकता हूं कि गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले सकती, जब तक आप गवर्नमेंट के सामने कोई स्पेसिफिक इन्सटान्स नहीं रखें।

अब रहा सवाल जागीरदारों को सरकार अधिकार देती है उनका। हमने जागीरदारी एबोलिश की। जागीरदारी एबोलिश करने का मतलब यह नहीं कि आप उनको रिहेबिलिटेट नहीं करें। उनको खुद काश्त में जमीन रखने का अधिकार है। आप उनके पास बहरहाल जमीन को सीलिंग लगा कर ले सकते हैं लेकिन जो जमीन उनके पजेशन में है उनको बगैर मुआवजा दिये किसी भी हालत में नहीं ले सकते। इसलिये इसके लिये जो क्रिटिसाइज़ किया गया वह बिल्कुल गैर-वाजिब है। जिस किसी के पास ज्यादा जमीन है तो वह जमीन सीलिंग के जरिये ली जा सकती है और उसके लिये आपको मुआवजा देना होगा। कानून की मंशा भी यही है। कानून विधान सभा ने बनाये हैं और उनकी पाबन्दी का सबको ध्यान रखना चाहिये।

अब काश्तकारों के कर्जे का सवाल है। यह कहा जाता है कि काश्तकारों पर पुराना कर्जा है, उसके लिये उनको रिलीफ का कोई प्रोविजन नहीं है। एक तरफ तो यह कहा जाता है और दूसरी तरफ यह कहा गया है कि मनी लेन्डर्स बिल है उसको टोप प्रायोरिटी देनी चाहिये; इसके पहले मनीलेन्डर्स बिल पेश नहीं किया गया जो बहुत जरूरी था। मैं यह कहूंगा कि यह बिल्कुल गलत है। अगर हमने मनी लेन्डर्स बिल लाकर मनी-लेन्डरों पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया तो मनीलेन्डर्स काश्तकारों को, गांव के रहने वालों को ऋण नहीं देंगे क्योंकि वह उनको प्रोफिटेबल नहीं है और वे अपना बिज़नेस छोड़ते जावेंगे और दूसरी तरफ हमने अगर रूरल एरियाज़ में रहने वालों के लिये ऐसी मशीनरी सेट अप नहीं की जिसकी कि उनको जरूरत है तो मैं यह कहूंगा कि रूरल इकोनोमी खत्म हो जावेगी। एक तरफ तो मनी-लेन्डर्स नहीं रहेंगे और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से काश्तकारों को कोई ऋण देने

(श्री दामोदरलाल व्यास)

की मशीनरी नहीं रहेगी। इसलिये इसके लिये मनीलेन्डर्स बिल को टोप प्रायोरिटी देने की जरूरत नहीं थी। आप देखेंगे कि हमने पहले ही एक्ट के जरिये इस बात का रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि वह ज्यादा रेट चार्ज नहीं कर सकता और हमने उसके लिये रेट मुकर्रर कर दी है। मनीलेन्डर ब्याज पर ब्याज, काटा ब्याज लेता है इन सब पर रोक लगाने के लिये हमने इस एक्ट को पास किया है।

इसके अलावा डेट रिडेम्शन एक्ट भी है। जितना पुराना कर्जा हो, ४० पर्सेन्ट उसमें प्रिन्सिपल में भी छूट दी है वह रेमिट हो जावेगा। अगर किसी ने usurous interest चार्ज किया तो उसके लिये भी वह सारा का सारा केस रीओपिन हो जावेगा और जितना ज्यादा चार्ज किया हो उसको कम करना होगा। इसलिये जहां तक ओल्ड डेट का प्रश्न है सरकार ने इस पर भी बराबर ध्यान दिया है। एक तरफ हमने दोनों कानूनों को बना कर उनको राहत दी है और दूसरी तरफ हम कोऑपरेटिव मूवमेंट को फैला रहे हैं इससे लोन की फेसिलिटीज़ काश्तकारों की बढ़ी हैं और दिनों-दिन बढ़ती जावेगी और आपके सामने मनीलेंडर्स बिल भी आ रहा है। यह स्टेज आ गई है कि अब मनीलेंडर्स बिल को पेश करें। हम यह चाहते हैं कि उन लोगों को कर्जा मिलने में सहूलियत रहे और जब तक हम कोई दूसरा मैनेजमेंट न कर लें उनको किसी प्रकार की दिक्कत पैदा न हो ऋण लेने में। मगर अब वह स्टेज आ गया है कि मनीलेंडर्स बिल आपके सामने प्रस्तुत हो। वह दो, तीन या चार रोज में आपके सामने सदन में आ जावेगा और उस पर आप विचार करेंगे। इसलिये इसको टोप प्रायोरिटी देने की जरूरत नहीं थी। जब तक हम विलेजर्स को लोन देने के लिये मशीनरी को प्रोवाइड न कर दें तब तक इस मशीनरी को जो सदियों से काश्तकारों को लोन देती चली आ रही है उसको खत्म करना उचित नहीं। हम उपयुक्त समय पर ही मनीलेन्डर्स बिल को पेश कर रहे हैं। हमने दो कानून बनाये, जैसा कि आपको बताया, उनको बना कर हमने उनको ओल्ड डेट से राहत दिलाई है। काफी ओल्ड डेट राइट ऑफ भी किया गया है और हमने लेन्ड मोर्टगेज बैंक आदि की स्थापना की है, इससे उनको काफी सहूलियतें मिल जावेंगी। इसलिये मनी लेन्डर्स बिल को टोप प्रायोरिटी का प्रश्न नहीं रहना चाहिये।

रहा प्रश्न इस बात का कि शायद माननीय सदस्य के ध्यान में यह हो कि सिविल कोर्ट में साधारणतः दर्ख्वास्त करें तो काश्तकार को इससे नुकसान हो, इस बात का प्रश्न नहीं रहता है।

अब प्रश्न जो उठाया गया है वह थ्री टायर सिस्टम पर उठाया गया कि अब हमने थ्री टायर सिस्टम बनाया है। लैंड का स्लोगन नहीं है। हमने टिलर्स को खातेदार माना है, हमने दफा १५ और १६ पर अमल किया है। दफा १५ और १६ इस बात के हैं कि हर टिलर ही काश्तकार और खातेदार हो।

"मालिक" शब्द उसमें आ गया इससे नाराजगी या और कोई इन्टरप्रिटेशन निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसमें देखेंगे

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कि मालिक को जितने राइट्स हैं, they are the same rights and liabilities as those of the Khatedar Kashtkar आखिर कुछ टिनेन्सीज़ ऐसी हैं जिनको आप नाम दे दें। कोई इससे खास गड़बड़ी नहीं होने वाली है। यह तो एक तरीका है। एक उस एरिया के काश्तकार, खातेदार और मालिक में कोई फर्क नहीं है; कानून में आप देख सकते हैं, आपको कोई फर्क मिलेगा नहीं। अपने यहां केवल एक ही टायर सिस्टम है, तीन टायर सिस्टम नहीं है; there is one type of tenancy in our law and that is Khatedari Kashtkar.

लैंडलेस के सवाल को हल करने के लिए हम हर तरह से प्रयत्न कर रहे हैं। खाली जमीनें हैं तो लैंडलेस को मिल रही हैं। थ्रीइयर्स में एक लाख को काबिज किया है और पहले भी बहुत से हुए हैं। लैंडलेस की तादाद बढ़ सकती हैं, पहले से। चूंकि अनएम्प्लोयमेन्ट होता है तो जमीन पर लोगों का आज-कल खास तौर से ध्यान गया है और यदि लैंड-लेस की तादाद बढ़ी है तो उनको जमीनें देने का भी प्रयत्न किया गया है। राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट हमारे सामने है। इससे हमारी ही नहीं, किन्तु सारे देश की अन्न की समस्या को हल करने की कोशिश होगी। प्रयत्न किया जा रहा है।

भरतपुर के माननीय सदस्य ने बार बार यह इकरार किया कि लैंडलेस को कोई जमीन नहीं मिली है। वहां पर जमीन पर प्रेशर कितना है, यह वे भी जानते हैं। जितनी प्रोपर्टी खाली है उस पर लैंडलेस बैठे हुए हैं, उनमें बांटी हुई है। इवेक्युई प्रोपोर्टी पर वे हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : मेरा यह सवाल था कि इवेक्युई प्रोपर्टी लोकल्स को नहीं दी गई है।

श्री दामोदरलाल व्यास : (अपना भाषण जारी रखते हुए) मैं कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि अगर हिन्दुस्तान में कहीं कोई नया नमूना पेश किया गया है तो शायद यह अलवर और भरतपुर में ही किया गया है और ऐसा कहीं नहीं है। हमको दूसरों से इसके लिए झगड़ा करना पड़ता है। जब कि कहते हैं कि लोकल के पास जमीन नहीं है लेकिन मैं आपको बताऊंगा। आप इन्कार कर देंगे, ऐसी मुझे जानकारी नहीं थी। आज मैं इसके लिए प्रिपेयर होकर नहीं आया लेकिन आयन्दा मैं आपको आंकड़े पेश करूंगा कि कितने आदमी लोकली उन जमीनों पर काबिज हैं। लोकल की सिक्योरिटी राजस्थान गवर्नमेन्ट ने ली है और १५ लाख रुपया गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया को राजस्थान गवर्नमेन्ट जमा करायेगी। सेल हो गई जमीन और मालिक हो गये उस जमीन के लेकिन जब देंगे तब ही देंगे, अभी तो राजस्थान सरकार ने उनके पेमेन्ट की सिक्योरिटी ली है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : हर साल इजेक्टमेन्ट होता है उसके भी आंकड़े देंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास (जारी) : उनका इजेक्टमेन्ट होता है जो कि लोकल काश्तकार नहीं हैं, उनका इजेक्टमेन्ट नहीं होता है जो कि भूमिहीन है। मैं तीन साल से इस डिपार्टमेन्ट को चला रहा हूं, मैं अधिक इस बारे में जानता हूं। यदि कोई व्यक्ति

(श्री दामोदरलाल व्यास)

व्यापार करने की दृष्टि से ले लेता है तो उसको इजेक्ट करते हैं। आप चाहें कि उसको प्रोटेक्शन देना चाहिये, मैं उसके लिए तैयार नहीं हूं। आप चाहें उनके लिए, मैं इसके लिए कतई तैयार नहीं हूं। उनका इजेक्टमेन्ट होगा। लैंडलेस के लिए तादाद मुकर्रर है। १० बीघा जमीन है तो उससे उसका इजेक्टमेन्ट नहीं होगा, नहीं होता है। इसके लिए रूल्स बनाये हैं। ये ५–६ केटेगरीज़ के लोग हैं। रहते तो पंजाब में हैं और अलवर और भरतपुर में उन्होंने जमीनें अलॉट करा रखी है, तिजारत करते हैं और जमीन अलॉट करा रखी है, हमने कहा है कि उनका इजेक्टमेन्ट होना चाहिये। कुछ के पास जमीन ज्यादा है और खुद की भी है और इवेक्युई प्रोपर्टी भी अपने नाम करा ली है। उनका इजेक्टमेन्ट होता है। उनके साथ मेरी हमदर्दी नहीं है। लैंडलेस का इजेक्टमेन्ट होता है तो कह सकते हैं। दस बीघा से उनके पास ज्यादा जमीन होगी तो ज्यादा से इजेक्टमेन्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। भरतपुर में इवेक्युई प्रोपर्टी है तो उसका गवर्नमेन्ट को गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया को रुपया देना पड़ता है। सेटलमेन्ट कराकर डीड करा लिया है। लोकल तो पैसा देंगे जब देंगे।

यह कहा गया कि बंजर जमीन की परेशानी हो गई। मैं, भरतपुर का जहां तक प्रश्न है, अर्ज करना चाहता हूं। वहां पर कानून गलतफहमी है। यह आपका ख्याल है कि कानून में ऐसा नहीं है और कलेक्टर को कोई अधिकार नहीं था। मैं जानकारी दूं और कहना चाहता हूं कि जमींदारी एबोलिशन होने से पहले जो भरतपुर अलवर में बंजर जमीन थी उसको फाड़ना–तोड़ना शुरू कर दिया। प्रोपर डिमार्केटेड चरागाह नहीं थे। वही जमीन पशुओं के चराने के लिए काम में आती थी। आपने खुद ने प्रश्न किया है कि पशुओं को चराने के लिए जगह नहीं मिलेगी। कलेक्टर के सामने जब यह बात आई कि बंजर जमीन को बेच रहे हैं, तोड़ रहे हैं, फाड़ रहे हैं पशुओं के चराने का सवाल खत्म हो जायेगा तो उसने अपने स्पेशल पॉवर्स को इस्तेमाल किया जो कि लैंड रेवेन्यू एक्ट में दिया हुआ है, ये चरागाह होंगे। उनको डिमार्केट करने का उनको पूर्ण अधिकार है। उन्होंने ऑर्डर किया कि फलां फलां बंजर जमीनें हैं :

"All 'banjar' lands should vest in the State Government. They will be common grazing grounds."

तोड़ नहीं सकेगा, बेच नहीं सकेगा। ये ऑर्डर्स दिये पशुओं के इन्ट्रेस्ट में। काश्तकारों के पशुओं को चरने के लिए, खड़ा रहने के लिए जमीन रहे, उनके इन्ट्रेस्ट में यह ऑर्डर दिया है। यह ठीक है कि ऑर्डर देने पर भी कुछ लोगों ने उस ऑर्डर की तामील नहीं की, कुछ ने जमीनें बेच दी होंगी और कुछ ने खरीद ली होंगी। फिर भी वह ऑर्डर खड़ा रहता है। "All 'banjar' lands are vested in the State Government." जितनी बंजर जमीनें हैं वे गवर्नमेंट में आ गई हैं। यह कहना कि बंजर नहीं होंगी, they will continue as Charagahs; चारागाह रहेंगी। कुछ टुकड़े ऐसे हो सकते हैं जहां कि छोटे २ होल्डर्स हों और उनको तकलीफ हो सकती

(श्री दामोदरलाल व्यास)

है हटने में जिन्होंने कि इसको अलॉट करा ली है। हमको कॉमन ग्रेजिंग को प्रोटेक्शन देना है चाहे कुछ लोगों को दिक्कत होती होगी तो होगी। आम लोगों के हित में यह किया गया है। जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और हाईकोर्ट से यह तय हो जायगा तो उस ऑर्डर की पाबन्दी कर ली जायेगी। उन मवेशियों के लिए क्या करना है, उसका और कोई रास्ता ढूंढेंगे। लेकिन जो मौजूदा ऑर्डर है उससे किसी की तरफ से कोई ज्यादती नहीं हुई है।

श्री दलीपसिंह (बांरा) : खाते-बन्दी हुई हो।

श्री दामोदरलाल व्यास : शामलाती बंजर जमीन है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : बंजर को आप खुद काश्त करते हैं, वह खुद काश्त नहीं हो सकती, जो बंजर जमीन है बंजर रहेगी।

श्री दामोदरलाल व्यास : एक सवाल और उठाया गया। ५६ में चरागाह डिमार्केट कर देते हैं तो जमींदारों को क्या अधिकार था काश्त कराने का और बेचने का। यदि जमींदारों को प्रोटेक्शन दिलाना चाहते हैं तो यह कानून के खिलाफ है। मैं प्रोटेक्शन इस तरह से देने के लिए तैयार नहीं हूँ। I am not going to give that protection against the law. I have absolutely no sympathy with them. They may go to courts of law if they feel aggrieved.

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : हाउस की भी हमदर्दी नहीं है उनके साथ।

श्री छोटूसिंह (अलवर) : अदरवाइज़ हो रहा है, उसके लिए हम चाहते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : जो शिकायतें हैं वह मैं पेश कर रहा हूं।

कुछ आबादी की जमीन के लिए खास तौर से सांचोर से आये हुए माननीय सदस्य ने अपने भाषण में पूरे जोर के शब्दों में कहा कि आबादी की जमीन नहीं होती, किसान परेशान हैं। वे समझते हैं कि वे ही किसान की परेशानी को जानते हैं, दूसरे नहीं। आबादी की जमीन के लिए कहना चाहता हूं कि यदि यह प्रवृत्ति किसी किसान की हो कि वह चरागाह की जमीन पर जाकर मकान बना ले तो उसको इजाजत नहीं दे सकते। यह सब पंचायतों के डिस्पोज़ल पर है। उसके पास पंचायत से मकान बनाने के लिए इजाजत होनी चाहिये। हमने ऑर्डर्स जारी कर रखे हैं। जितनी सरकारी जमीन पड़ी हुई है, सिवाय चक कहिये, बंजर कहिये, उसको आबादी में कन्वर्ट कर दिया जाये, कलेक्टर्स को पॉवर्स दे दिये गये हैं। कई जगह हुआ है। कोई पंचायत यह चाहे कि उसको दस बीघा की तो आवश्यकता है और वह पांच सौ एकड़ भूमि पर कब्जा कर ले और फिर उस जमीन से आमदनी बढ़ाने की कोशिश करे तो यह इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन आबादी के लिए, जरूरत है जमीन की तो पंचायत और पंचायत समिति इन दोनों के अलावा कलेक्टर को बीच में लाकर आबादी में कन्वर्ट करा लें; उसमें सरकार के पास आने का सवाल नहीं है।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

जहां तक प्राइवेट जमीन के कन्वर्शन का सवाल है, जो काश्त की जमीन है, उसके प्लॉट बना कर बेच दे और पैसा कमा ले, इसके लिये मैं यह बात कहना चाहता हूं कि मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। प्राइवेट एक्सेपशन्स के सिवाय 'फेट एकम्पली' की सूरत में कोई केस आया होगा तो मन्जूर किया होगा लेकिन ऑर्डिनरीली यह कन्वर्शन नहीं होना चाहिये। मगर गांव की आबादी को देखते हुए, गांव को जरूरत हो जमीन की तो वह कलेक्टर्स के मार्फत पंचायत समिति जमीन हासिल कर सकती है। किसान को इस बात की आवश्यकता है, उसकी जरूरत ज्यादा बता कर इसका फायदा वह उठा ले, इसके लिये कानून है। कानून हर चीज़ के लिये है और उस पर अमल भी हो रहा है लेकिन आप अपने नुक्ते निगाह से इसको देखें तो उसके लिये मेरे पास कोई इलाज नहीं है।

रेन्ट रेट्स के लिये यहां पर हम काफी बहस कर चुके हैं। इसके सम्बन्ध में शायद किसी को ही शिकायत हो सकती है।

एक माननीय सदस्य : मुझे भी है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपको इस बारे में शिकायत हो सकती है और दूसरी शिकायत भी हो सकती है। जहां पर बहुत सारी जमीन इस तरह की दर्ज थी वह वापिस ठीक हुई है। मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने समाजवादी सहकारिता के सम्बन्ध में बहुत आदर्श की बातें रखी थीं, वे ठीक हैं। जैसे आदर्श की वे कल्पना कर रहे हैं वैसा समय अभी हमारे यहां आया नहीं है। वे चाहते हैं कि गांव में इन्डीवीजुअल प्रोपर्टी हो ही नहीं सभी समाज के नाम से हो। इसके लिये मैं इन्कार नहीं करता कि यह उच्च आदर्श है लेकिन अभी वह समय आया नहीं, हम धीरे धीरे इस ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और करना भी चाहिये। विनोबा भावे ग्राम राज्य की ओर देश को बढ़ा रहे हैं, भूदान का नारा उन्होंने दिया, हम भी जितना योग उनको दे सकते हैं, दे रहे हैं। हम भी यह चाहते हैं कि गांव स्वावलम्बी हो जाये, इन्डीवीजुअल प्रोपर्टी नहीं रहे बहरहाल यह सम्भव नहीं है। ऐसी हालत में हमें इन्डीवीजुअल लैन्डलेस पर्सन को भी जमीन अलॉट करनी होगी। खातेदारी के हक भी देने होंगे। ये तमाम बातें करनी होंगी।

बांसवाडा से आने वाले माननीय सदस्य को, बांसवाड़े में बेहतरीन फसल होते हुए भी उनको वहां स्केअर्सिटी ही नजर आती है। पिछले तीन सालों का रेकॉर्ड देख लीजिये, हमने स्केअर्सिटी और फेमीन के लिये जो रूल्स बना रखें हैं उनको देखते हुए इस बात का सवाल ही नहीं उपस्थित होना चाहिये कि स्केअर्सिटी की हालत में किसी के साथ इन्जस्टिस हो जाय। जहां पर एग्रीकल्चर केलेमिटी होती है वह नोटिफाई हो जाता है। उस पर एतराज हो सकते हैं, उसके अन्दर तहसीलदार के लिये लाजमी है कि he should immediately proceed to the spot. स्पोट इन्स्पेक्शन करके रिपोर्ट करे।

यह भी कहा गया कि रेमीशन्स में देरी होती है, होनी चाहिये। जब वहां से फाइनल डेमेज्ड स्टेटमेंट आता है, उसके बाद उसको कई स्टेजेज़ पार करनी होती हैं लेकिन इससे

(श्री दामोदरलाल व्यास)

काश्तकार को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। काश्तकार से जो लगान वसूल काबिल होता है उससे उसको ससपेन्शन कर देते हैं। इससे किसी भी काश्तकार को दिक्कत पेश नहीं आती। लेकिन जो प्रोसीजरल डिले होती है उसको तो अवोइड नहीं किया जा सकता। रूल्स के तहत उसका लगान कितना बनता है, आदि का स्टेटमेंट बनता है, फिर वह हमारे पास आता है, फाइनेन्स के पास जाता है, इसमें किसी को कम्पलेन्ट हो, ऐसा मौका नही आना चाहिये।

इसके अलावा मैंने आपको जागीर रिज़म्पशन के और जमींदारी एबोलिशन के फीगर्स भी दिये थे। मावली से आने वाले माननीय सदस्य को अभी भी सामन्ती युग नजर आता है। जागीरदार, जमींदार नजर आते हैं। मैं समझता हूं जागीरदारी जमीदारी एबोलिशन के बाद उनको यह नजर नहीं आने चाहिये, अगर आते हैं तो यह उनकी भूल है उनको इन सब को भूल जाना चाहिये, जब जागीरें नहीं रहीं तो जागीरदार भी नहीं हैं, इस प्रकार की बातें करने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। खुदकाश्त की जमीन को रखने का अधिकार है, वह उनके पास है।

इसके अलावा एक हजार से नीचे के मन्दिरों की जागीरों को जब्त नहीं किया गया, इस बारे में भी कहा गया। आपको यह मालूम ही है कि जहां तक धार्मिक जागीरों का सवाल है पहले बिल में यह कतई रिज्यूम करने का सवाल नहीं था। जब हमने सोचा कि यह भी एबोलिशन करना आवश्यक है तो हमने बाई स्टेजेज़ इसको लिया। १० हजार तक की आमदनी की जागीरों को पहले रिज्यूम किया ताकि उनको इन्टेरिम कम्पन्सेशन मिलता रहे. Now we have come to the stage of 1000 and the next stage will be total abolition or nearabout. जब हमने इन रिलीजियस जागीर्स को लिया है तो हम बाई स्टेजेज़ यह करते जा रहे हैं, इसमें कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। पिछले डेढ़ साल में हमने इस दिशा में काफी तरक्की की है। उस सम्बन्धी सारी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। जहां तक इस कमीशन की रिपोर्ट का सवाल है यह कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं है। यह तो पहली रिपोर्ट है।

श्री चन्दनमल वैद : आप इसको फर्स्ट रिपोर्ट लिख देते तो गलतफहमी नहीं रहती।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपकी गलतफहमी पर गौर कर रहा हूँ। अब रहा सवाल इस बात का कि इसकी रिकमन्डेशन्स पर सरकार ने क्या क्या एक्शन लिया है, वह मैंने आपको बतला दिया। इसके अन्दर दो पोइन्ट्स थे, "Appointment of a committee for simplification of tenancy and revenue laws."

जैसा कि मैंने अर्ज किया वक्त वक्त पर इसको सिम्पलीफाई करने के लिये काफी अमेंडमेंट लाने पड़े। जो भी अमेंडमेंट हम लाये हरएक के पीछे कुछ न कुछ बैक ग्राउन्ड आपको मिलेगा। इसके लिये गवर्नमेंट ने एक कमेटी अपोइन्ट करने का निश्चय कर लिया है। वह कमेटी इन्डिपेन्डेन्ट बैठेगी, उसके अन्दर जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि रेवेन्यू मिनिस्टर को नहीं होना

(श्री दामोदरलाल व्यास)

चाहिये क्योंकि वे खुद लॉ बनाते हैं इसलिये उनको नहीं बैठना चाहिये। उस कमेटी में रेवेन्यू मिनिस्टर नहीं बैठेंगे ताकि इन्डिपेन्डेन्ट ओपीनियन कमेटी की आ सके, उसमें इस सदन के माननीय सदस्य भी रूल्स आदि के सम्बन्ध में सही राय दे सकें। रूल्स को सिम्पलीफाई करने के जो भी प्रोपोज़ल्स आयेंगे उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे।

दूसरा, "The appointment of a committee to examine the effect of land legislation on peasantry." This is a very important matter. इस सम्बन्ध में आपने देखा होगा कि लैन्ड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। इसके बारे में एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि हम इस बारे में जल्दी नहीं कर सकते। ५८-५६ की जो बेसिक बातें हैं, जब तक वे इम्पोज़ नहीं हो जाती हैं तब तक इवेल्युएशन कमेटी मुकर्रर करना एक तरह से प्री-मेच्योर होगा। इस कमेटी के जरिये हमें यह देखना है कि हमारी पोजेन्ट्री की इकोनोमिक कन्डीशन इम्प्रूव हुई या नहीं, वह हमें देखना है। जहां तक प्रोडक्शन का सवाल है उसके बारे में हमारे कृषि मन्त्री बराबर उसके फीगर्स सदन के सामने रखते रहे हैं। प्रोडक्शन तो अवश्य बढ़ा है, लेकिन सवाल यह है कि कहां किस काश्तकार को भूमि से कितना फायदा मिला है? The very fact that we have given him rights over the land, यह इस बात को जाहिर करता है कि प्रोडक्शन जरूर बढ़ा होगा। इसी तरह से तीसरी बात थी। इसी प्रकार की एक कमेटी बनाई जाय जो लैन्ड रिफॉर्म्स के कानून के इम्प्लीमेन्टेशन की निगरानी करे। इसके लिये मैं निवेदन कर दूँ सेकन्ड कमेटी की एक सब कमेटी बना दी जायेगी जो ऑफिशियल मशीनरी से कन्टेक्ट करके यह देखे कि उसका एनफोर्समेंट किस प्रकार हो रहा है, उस पर निगरानी रखे। निगरानी सभी तरफ से रखी जायेगी, लेकिन इसमें आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। हम सब मिल कर काश्तकारों को उनके अधिकारों को बतलायें, उनको इस ओर लाने का प्रयत्न करें तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।

अब जहां तक लैन्ड रिफॉर्म्स सम्बन्धी कानून बनाने का सवाल है द्वितीय योजना में इस सम्बन्धी कोई बात बाकी नहीं रही, अब तो सिर्फ लैन्ड मैनेजमेंट का सवाल है। गत सेशन में बिग-लार्ज होल्डिंग्ज़ के बारे में हमने कानून पास कर दिया है। छोटे छोटे काश्तकारों के लिये लैन्ड मैनेजमेंट के स्ट्रिन्जेन्ट प्रोवीज़न्स रखना उचित नहीं है।

श्री रामचन्द्र (डग-सु.) : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। लैंडलेस फार्मस को हाउस के मैटीरियल के लिए कन्सेशन दिया गया कि नहीं?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके लिये मैंने कहा था। इस रिकमन्डेशन को सरकार ने मान लिया है और इसके लिये जल्दी ही हम यहां विधान सभा में कानून पास करने वाले हैं।

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : पत्थर भी नहीं मिलता, ठेकेदार नहीं लेने देता इसके लिए आपने क्या किया? भोगीलालजी पढ़्या, कुछ करके गये, पर फिर भी नहीं देते।

श्री दामोदरलाल व्यास : करके जाने की बात नहीं थी । रूल्स में प्रोवीज़न नहीं था। वह रूल्स में अब प्रोवीज़न कर दिया गया है और हर माइनर मिनरल कन्सेशनरी को रूल्स के अन्दर हिदायत कर दी गई है कि जो खान और जितना एरिया उसको लीज़ के अन्तर्गत दिया गया है उसके अलावा जो भी एरिया फ्री है उसमें से अगर कोई पत्थर और चूना वगैरह का पत्थर ले जाये तो उसको ऐतराज नहीं होना चाहिये। उनकी माइन में से लेने का अधिकार नहीं है, पर दूसरी जगह से लेने का अधिकार है। तो इस तरह से रूल्स को हमने अमेन्ड कर दिया है। That rule has been amended recently, छः महीने पहले करीब । "Excavation of masonary stones and ordinary clay, including brick making clay from areas which are not working pits of lessees shall be free of any rent, royalty or permit fee."

इसके साथ ही साथ ठेकेदार को ठेका दिया जाता है तो उसमें भी शर्त दर्ज कर दी जाती है कि तुम जिसको खोदोगे, उसको छोड़कर बाकी और जगह में काश्तकार को इस रूल के तहत में अधिकार होगा और उन अधिकारों का वह उपयोग करेगा। उसको तुम रोक नहीं सकोगे। अब रहा सवाल कि इस प्रोवीज़न के रहते कोई रोके तो मैं अर्ज फिर यही करूंगा कि यहां रूल बनाने की बात नहीं है। उस एग्रीव्ड व्यक्ति को ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लॉ में रेमिडी सीक करनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट ऑथोरिटीज़ को भी इन्स्ट्रक्शन्स दे दी गई हैं। इससे ज्यादा सरकार के करने की बात नहीं है। अपने राइट को एसर्ट करने के लिए आदमी को स्वयं प्रयत्न करना चाहिये।

४.५१ म० प०

कार्य-सलाहकार समिति के १६ वें प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर सहमति

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिदेव जोशी अब कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे।

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के १६ वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Then you will move the motion.

श्री हरिदेव जोशी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन इस प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करे।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I want to move an amendment to it that for the Third Plan we may have four days instead of three days.

श्री दामोदरलाल व्यास : तीन दिन तो पहले कर लीजिये।

श्री पी० के० चौधरी : बाद में तो आप करेंगे नहीं, पास हो जावेगा। This House is competent to amend it now. As soon as it is placed before the House an amendment can be moved. So I move the amendment that this Report be re-submitted to the

(श्री पी. के. चौधरी)

Business Advisory Committee. We have amended our own programme so many times, and particularly when it is obvious that the time given is too short.

श्री दामोदरलाल व्यास : पार्लियामेंट में तीन दिन मिले हैं ।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : छः दिन मिले हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : दोनों हाउसों को गिन लिया होगा ?

श्री चन्दमल वैद : नहीं—नहीं, एक हाउस का गिना है ।

श्री पी० के० चौधरी : It is too short a period. It should be made four days and this report should again be sent back to Business Advisory Committee.

श्री चन्दनमल वैद : उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी साहब ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

दूसरा संशोधन यह कर सकता हूं कि तीन दिन मेम्बरों के लिये और एक दिन मिनिस्टर लोग ले लें इसमें चीफ मिनिस्टर महोदय जवाब देंगे बाकी जितने मन्त्री महोदय चाहें अपने अपने विभाग के लिए बोलेंगे । तो एक दिन तो वे लेंगे क्योंकि वे भी एक—एक, दो घंटे से कम नहीं बोलते । तो इसके बाद दो दिन रहते हैं, दो दिन कम होंगे । इसलिये तीन दिन मेम्बरों के लिए रख दिये जावें, नहीं तो तीन घंटों के अलावा मिनिस्टर लोग जितने घंटे बोलना चाहें बोलें । इस दृष्टि से भी चौधरी साहब का प्रस्ताव उपयुक्त और वाजिब है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्यों के राइट को कर्टेल करने का मेरा इरादा नहीं है । समय की ज्यादा आवश्यकता हुई तो समय बढ़ा देने के लिये मैं एतराज नहीं करूंगा । पर अभी से चार दिन रखना उचित नहीं होगा । तीन दिन बिज़नैस एडवाइज़री कमेटी ने रखे हैं वही ठीक हैं । तीन दिन बाद भी अगर जरूरत समझ कर समय बढ़ाया गया तो the Government will not object.

श्री चन्दनमल वैद : आप यह आश्वासन देते हैं तो चौधरी साहब का प्रस्ताव अब ले लें ।

श्री उपाध्यक्ष : But I have not yet taken it up. It is there just as it is.

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के १६ वें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है ।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

We now adjourn to meet tomorrow at 11 A. M.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही दिनांक ३०—८—६० को चार बजकर ५५ मिनिट पर अगले दिन म० प० ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई ।)

संक्षिप्त-विवरण

(मंगलवार, ३० अगस्त, १९६०)

	स्कम्भ		स्कम्भ
तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	१२०८	योग्यतानुसार वेतन न मिलना ।	
जिनिंग फैक्टरी, शाहपुरा एवं गुलाबपुरा, जिला भीलवाडा को बेचे जाने के सम्बन्ध में ।		जयपुर में स्थित दाऊजी के मन्दिर के हिसाब-किताब की जांच ।	
शेरगढ़ तहसील के ग्रामों के अनुसूचित जाति के काश्तकारों से छीने गये पट्टे पटवारियों से वापिस दिलाना ।		टोडारायसिंह से नासिरदा वाया थावल होती हुई अजमेर से दिल्ली जाने वाली सड़क को मालहेड़ा चौकी से मिलना ।	
सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्टरी में स्थित हाई स्कूल में शिक्षकों की कमी को दूर करना ।		जोधपुर जिले के पुलिस थानों को तहसीलवार पुनर्गठन कराना ।	
ग्राम जीतावाला, तहसील बस्सी के हरिजनों को खसरा नं० ३०१ की आबादी की भूमि दिलवाना ।		ग्राम मुरमुरा में भूमिहीनों को अलॉट की गई भूमि पर इनको काश्त करने देना ।	
विद्युत कार्यालय, बीकानेर के वर्क चार्ज कर्मचारियों को स्थायी करना ।		जालोर जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिये छात्रावास की व्यवस्था ।	
जालोर जिले की गलत तारीखों में रिज्यूम की गई जागीरों के रिफन्डेबल बिलों का भुगतान ।		स्टेनोग्राफर्स की पद-वृद्धि के नियम ।	
कोटा जिले के अधिक योग्यता वाले एस. डी. आईज़. को		अजमेर जिले में नम्बरदारों के बकाया अलाउन्स का भुगतान कराना ।	

Page No.114

स्कम्भ

टोंक से सवाई माधोपुर तक सड़क निर्माण।

श्री मोहनसिंह, एस. डी. ओ. प्रतापगढ़ के विरुद्ध हुई जांच पर की गई कार्यवाही।

ग्राम बीलवाड़ी, तहसील बैराठ में फीमेल टीचर क्वार्टर व पुलिया निर्माण हेतु प्रदत्त धन-राशि का हिसाब लेना।

चाकसू, पावटा तथा बांदीकुई स्कूलों के लिए खरीदे गये सामान में अनियमितता।

जयपुर नगर के सिटी कैम्प में बसे पुरुषार्थियों को अन्यत्र बसाने सम्बन्धी योजना

तहसील पीपल्दा में चम्बल नदी पर ग्राम ढीपरी या गैंता के निकट निर्मित होने वाली पुलिया।

श्रीमती बिमल सुधा ऋषि सहायक अध्यापिका, महारानी गर्ल्स हाई स्कूल, बीकानेर का वेतन किसी दीगर व्यक्ति द्वारा जाली हस्ताक्षर बनाकर लिया जाना।

तहसील अलॉटमेंट कमेटी, अनूपगढ़ द्वारा मुसलमानों को अलॉट किया रकबा दूसरे अधिकारियों को दे दिया जाना।

स्कम्भ

प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की कमी।

शिक्षण संस्थाओं में छात्रवृद्धि के कारण स्कूल में डबल शिफ्ट चालू करना।

आदर्श नगर बस्ती में सिंधी क्वार्टर्स के सामने बी ३४ व बी ३५ प्लॉट्स के बीच की सड़क हेतु छोड़ी जमीन का यू. आई. बी. द्वारा आवंटन।

प्राइमरी स्कूलों में चपरासी पुनः उपलब्ध कराना।

'स्कूल चलो' अभियान के द्वारा हुई प्रगति।

राज्य कर्मचारियों के लिए सिरोही में आवास गृहों की कमी।

सिरोही जिले में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को कुओं के निर्माण हेतु प्रदत्त सहायता।

सिरोही जिले में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को कुओं के निर्माण हेतु प्रदत्त सहायता।

Page No.115

राज्य के भूमि आयोग के प्रतिवेदन पर विचार १२८०

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री, ने निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया:—

"राज्य के भूमि आयोग (State Land Commission) के प्रतिवेदन को विचारार्थ लिया जाय।"

इस पर की गई बहस में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:—

(१) श्री श्रीभानसिंह

(२) श्री लक्ष्मीचन्द

(३) श्री मुरलीधर व्यास

(४) श्री सोहनलाल भटनागर

(५) श्री दयाकृष्ण विजय

(६) श्री पी० के० चौधरी

(७) श्री जनार्दनराय नागर

(८) श्री हीराभाई

(६) श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी

राजस्व मंत्री ने बहस का उत्तर दिया।

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन १४२१

श्री हरिदेव जोशी ने कार्य सलाहकार समिति के सोलहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन किया।

तत्पश्चात् प्रतिवेदन पर सदन द्वारा अपनी सहमति प्रकट की गई।

सदन की बैठक ४ बजकर ५५ मिनट पर बुधवार, दिनांक ३१ अगस्त, १९६० को प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।

बुधवार, ३१ अगस्त, १९६० की कार्य-सूची

(१) राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड विधेयक, १९५८ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन।

(२) वर्तमान नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड की अव्यवस्था सम्बन्धी गैर सरकारी संकल्प।

(३) मद्य निषेध नीति इत्यादि की जांच के निमित्त एक मूल्यांकन समिति की स्थापना सम्बन्धी गैर सरकारी संकल्प।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २१३ का उत्तर देखिए)

STATEMENT SHOWING THE PARTICULARS OF THE SUB-DEPUTY INSPECTORS OF SCHOOLS

1.	Shri Kanwar Lal Kataria	Kota Municipal Area	B. A. S. T. C.
2.	Shri Debi Lal	Panchayat Samiti, Ladpura	Middle Trained Advanced.
3.	Shri Panna Lal	,, ,, Ants	B. A. C. T. Passed B. Ed. this year.
4.	Shri Jagdish Chandra	,, ,, Baran	B. A. B. Ed. L. L. B.
5.	Shri Abdul Gafoor	,, ,, Shahbad	Inter C. T.
6.	Shri Kalyan Mal Joshi	,, ,, Chechet	Inter C. T.
7.	Shri Abdul Mazid Siddiki	,, ,, Sangod	B. A. Passed B. Ed. this year.
8.	Shri Mukat Behari Lal	,, ,, Chipabared	Inter C. T.
9.	Shri Debi Sharan	,, ,, Sulatanpur	Matric R. S. T. C.
10.	Shri Amba Lal	,, ,, Chabra	Inter C. T.
11.	Shri Chetayana Prasad	,, ,, Atru	Inter C. T.

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २२१ का उत्तर देखिए)

C. D. Works on Tonk Sawai Madhopur and Tonk Lakheri road which have been completed

1. Construction of a culverts in mile 18/3 of Tonk Lakheri Road.
2. —do— 19/4 —do—
3. —do— 22/3 —do—
4. —do— 8/6 —do—
5. —do— 9/6 —do—
6. Improving of culverts in mile 19/3 of Tonk Sawai Madhopur Road.
7. Construction of a culvert in mile 5/6 of Tonk Sawai Madhopur Road.

Remaining Cross Drainage works on Tonk Sawai Madhopur & Tonk Lakheri Road

1. Construction of Bridge in mile 21/7 of Tonk Sawai Madhopur Road.
2. —do— 23/7 —do—
3. —do— 23/5 Tonk Lakheri Road.
4. —do— 4/1 —do—

———

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २३४ का उत्तर देखिये)

LIST OF GOVT. GIRLS MIDDLE PRIMARY SCHOOLS JAIPUR CITY

1. Government Girls Middle, School Model, Jaipur.
2. Government Girls Middle, School Gangapole, Jaipur.
3. Government Girls Middle School, Telipara, Jaipur.
4. Government Girls Middle School Trpioliya, Jaipur.
5. Government Girls Middle School, Chandpole, Jaipur.
6. Government Girls Middle Sch ool Ghatgate, Jaipur.
7. Government Girls Middle School, Pan Ka Dariba, Jaipur.
8. Government Girls Middle School Rly. Station, Jaipur.

PRIMARY SCHOOLS

9. Government Girls Primary School, Thopkhana, Jaipur.
10. Government Girls Primary School, Brahampuri, Jaipur.
11. Government Girls Primary School, Babukatiba, Jaipur.
12. Government Girls Primary Schooi, Refugee, Chandpole, Jaipur.
13. Government Girls Primary School, Refugee, Motikatla, Jaipur.
14. Government Girls Primary School, Ghatgate, Jaipur (Refugee).
15. Government Girls Primary School, Gandhinagar, Jaipur.

———

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २३६ का उत्तर देखिये)

सूची (क) १९५९-६० में ऋण स्वीकृत किया गया ।

क्रम सं०	दिनांक स्वीकृति	प्रार्थी का नाम	स्वीकृत धनराशि	अन्य विवरण
१	२	३	४	५
१.	२-४-५९	श्री श्रीनारायण	६०००)रु०	
२.	,,	,, शशिसुन्दर	५०००)रु०	
३.	३-४-५९	,, जगननार्थसिंह	५०००)रु०	
४.	,,	,, क्रिष्णस्वरूप शर्मा	५०००)रु०	
५.	,,	,, रामगोपाल शर्मा	६०००)रु०	
६.	४-४-५९	,, दीनदयाल	६०००)रु०	
७.	,,	,, ओमप्रकाश	३०००)रु०	
८.	,,	,, पन्नालाल भार्गव	८०००)रु०	
९.	१३-४-५९	,, बिशेश्वरप्रशाद माथुर	५०००)रु०	
१०.	,,	,, राजेश्वरप्रशाद माथुर	८०००)रु०	
११.	१४-४-५९	,, रतनलाल कपूर	४०००)रु०	
१२.	,,	,, बदरीप्रशाद	६०००)रु०	
१३.	१५-४-५९	,, गोपाललाल गुप्ता	३०००)रु०	
१४.	,,	;, प्रेमप्रशाद माथुर	६०००)रु०	
१५.	,,	,, अब्दुल हफीज़खां	४०००)रु०	
१६.	,,	,, यूसफ अलीखां	५०००)रु०	
१७.	,,	,, अब्दुल हमीदखां	४०००)रु०	
१८.	,,	,, मांगीलल	३०००)रु०	

१	२	३	४	५
१६.	,,	श्री क्रिष्णबिहारीलाल	५०००)रु०	
२०.	,,	श्रीमति सुशीला पारीक	३०००)रु०	
२१.	,,	श्री शिवलेहरी शर्मा	५०००)रु०	
२२.	,,	श्रीमति राजकुमारी	७०००)रु०	
२३.	,,	,, चाननदेवी	८०००)रु०	
२४.	,,	श्री जमुना दत्त	५०००)रु०	
२५.	,,	,, रामनारायण यादव	३०००)रु०	
२६.	,,	,, रहीमुल्लाखां	३०००)रु०	
२७.	,,	,, थावंरदास	५०००)रु०	
२८.	,,	,, गजानन्द शर्मा	८०००)रु०	
२६.	,,	,, मदनमोहन शर्मा	४०००)रु०	
३०.	,,	श्रीमति मांगी बाई	३०००)रु०	
३१.	,,	श्री दयाराम	५०००)रु०	
३२.	,,	श्रीमति दुर्गादेवी	६५००)रु०	
३३.	,,	श्रीराधेश्याम	३०००)रु०	
३४.	,,	श्री बाबूराम	६०००)रु०	
३५.	,,	,, बिशन दयाल	५०००)रु०	
३६.	,,	,, कुजंबिहारीलाल	६०००)रु०	
३७.	,,	,, राधेश्याम	५०००)रु०	
३८.	,,	,, कन्हैयालाल	५०००)रु०	
३६.	,,	,, किशनबिहारीलाल	६५००)रु०	
४०.	,,	,, विश्वनाथ	६५००)रु०	

Page No.121

१	२	३	४	५
४१.	,,	श्री ब्रिजराजकिशोर	३०००)रु०	
४२.	,,	,, जी० आर० बवेजा	७०००)रु०	
४३.	,,	,, चन्द्रकान्त नागर	५०००)रु०	
४४.	,,	,, जयसिंह	८०००)रु०	
४५.	,,	,, द्वाराकप्रशाद वियास	३०००)रु०	
४६.	,,	,, गुरबक्श सक्सेना	६५००)रु०	
४७.	,,	,, राधेश्याम	६५००)रु०	
४८.	,,	,, केशवलाल	६५००)रु०	
४९.	,,	,, वाई० डी० शर्मा	६०००)रु०	
५०.	,,	,, चान्दबिहारीलाल	६०००)रु०	
५१.	,,	,, रामचन्द्र	६०००)रु०	
५२.	,,	,, डायनीयल एलसिंह	५०००)रु०	
५३.	,,	,, राजेन्द्रनाथ सोरल	५०००)रु०	
५४.	,,	,, श्यामलाल कौल	८०००)रु०	
५५.	२०-४-५६	,, एम० के० शेखरी	६५००)रु०	
५६.	,,	,, श्रीनिवास शास्त्री	८०००)रु०	
५७.	,,	श्रीमति जी लवरैन्स	३०००)रु०	
५८.	,,	श्री हरीशचन्द्र	४०००)रु०	
५९.	,,	,, गुलाबचन्द्र	५०००)रु०	
६०.	,,	,, एम० पी० विशिष्टा	८०००)रु०	
६१.	,,	,, रामगोपाल	८०००)रु०	
६२.	,,	,, उमा पादो	४०००)रु०	

Page No.122

१	२	३	४	५
६३.	,,	श्री एच० एस० मेहता	८०००)रु०	
६४.	,,	,, दुर्गाप्रशाद	५०००)रु०	
६५.	२२-४-५६	,, दुर्गाप्रशाद	८०००)रु०	
६६.	२५-४-५६	,, कन्हैयालाल	३०००)रु०	
६७.	,,	,, कपूरचन्द	५०००)रु०	
६८.	२७-४-५६	,, आर० एस० पाडें	६५००)रु०	
६९.	,,	,, प्रहलाद नारायण	३०००)रु०	
७०.	२६-३-६०	,, जालपुरा कॉपरेटिव सोसाईटी	४५३०००)रु०	

———

सूची (ख) जिनका स्वीकृत ऋण रद्द कर दिया गया

क्रम सं०	दिनांक स्वीकृति	प्रार्थि का नाम	स्वीकृत राशि	अन्य विवरण
१	२	३	४	५
७१.	१३-४-५६	श्री छोटेलाल	८०००) रु.	मध्यम आय वर्ग में प्रार्थना पत्र देने के कारण।
७२.	१५-४-५६	,, किशनचन्द	८०००) रु.	प्रार्थी के आवेदन पर।
७३.	,,	,, जिन्दूराम खन्ना	६५००)रु.	,, ,,
७४.	३-४-५६	,, पी. दयाल	८०००)रु.	ऋण की किश्त प्राप्त करने हेतु बन्धक पत्र तथा अन्य औपचारिक कार्यवाही न करने के कारण।
७५.	१४-४-५६	,, जी. एस. शेखावत	६५००)रु.	,, ,,
७६.	१५-४-५६	,, विश्म्भरनाथ भार्गव	५०००)रु.	,, ,,
७७.	,,	,, गुलाबराय एस. दासवानी	३०००)रु.	,, ,,
७८.	,,	,, रामलाल	३०००)रु.	,, ,,
७९.	,,	,, रिपु दमनसिंह	७०००)रु.	,, ,,
८०.	,,	,, भगवानदास माता	६५००)रु.	,, ,,
८१.	,,	मिस पुष्पा खन्ना	६०००)रु.	,, ,,
८२.	,,	श्री दामोदरलाल शर्मा	६०००)रु.	,, ,,
८३.	,,	,, ललिताप्रशाद शर्मा	५०००)रु.	,, ,,
८४.	,,	,, सत्यनारायण सक्सेना	३०००)रु.	,, ,,
८५.	,,	,, रामेश्वरप्रसाद शर्मा	३०००)रु.	,, ,,

Page No.124

१	२	३	४	५
८६.	,,	श्री मदनचन्द पारिख	५०००)रु.	,, ,,
८७.	,,	,, रामकिशन शर्मा	६०००)रु.	,, ,,
८८.	,,	,, महादेवलाल गोस्वामी	५०००)रु.	,, ,,
८९.	,,	,, नैनूलाल जैन	५०००)रु.	,, ,,
९०.	,,	,, लाभचन्द भण्डारी	५०००)रु.	,, ,,
९१.	,,	,, सयैद्अले अली	३०००)रु.	,, ,,
९२.	,,	,, रामकुमार गुप्ता	५०००)रु.	,, ,,
९३.	,,	,, ब्रह्मदत्त शर्मा	६०००)रु.	,, ,,
९४.	,,	,, पीरूमल	६५००)रु.	,, ,,
९५.	,,	,, रामशरन मदावत	४०००)रु.	,, ,,
९६.	,,	,, भोलाराम	३०००)रु.	,, ,,
९७.	,,	,, रामसिंह भार्गव	६०००)रु.	,, ,,
९८.	,,	,, हरिशंकर माथुर	६५००)रु.	,, ,,
९९.	,,	,, भंवरलाल माथुर	५०००)रु.	,, ,,
१००.	,,	,, विजयशंकर शिवपुरी	६५००)रु.	,, ,,
१०१.	,,	,, छगनलाल शर्मा	५०००)रु.	,, ,,
१०२.	,,	,, हजारीलाल शर्मा	३०००)रु.	,, ,,
१०३.	,,	,, विश्वमित्री	६५००)रु.	ऋण की किश्त प्राप्त करने हेतु बन्धक पत्र तथा अन्य औपचारिक कार्यवाही न करने के कारण।

Page No.125

१	२	३	४	५	
१०४.	,,	श्री कमलापत पाण्डे	३०००)रु.	,,	,,
१०५.	,,	,, गिराजमल अग्रवाल	६५००)रु.	,,	,,
१०६.	,,	,, हरिहर प्रसाद सक्सेना	५०००)रु.	,,	,,
१०७,	,,	,, शरदचन्द्रजी हरसोलेकर	५०००)रु.	,,	,,

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २२२ का उत्तर देखिये)

प्रतिलिपि पत्र दिनांक १६-५-५६ ओर से मंत्री भारतीय जनसंघ प्रतापगढ़ राजस्थान वास्ते विभाग अधिकारी उदयपुर

प्रतापगढ़ चित्तौड़ जिले के उस छोर में स्थित हैं जहां आवागमन के लिये वर्षों पुरानी एक मन्दसोर प्रतापगढ़ मैटल रोड ही सारे सब डिवीज़न में है। ६० मील के लम्बे-चौड़े इस क्षेत्र में सरकारी अफसर किस प्रकार अपनी जेबें गरम करते रहते हैं इसका वर्णन इस लेखनी से न कर स्वयं पधार कर ही प्रत्यक्ष जानकारी से ही की जा सकती है।

आजकल वहां पर ८ मास से एस. डी. ओ. श्रीमान् मोहनसिंह जी पधारे हुए हैं। बांसवाड़े से ही कुख्यात थे श्रीमान् ने येन केन प्रकारेण जेब गरम करना ही अपना कर्त्तव्य बना रखा है। यह आम चर्चा है कि सांगथली ठिकाने से आपने लैंड रिकॉर्ड के केस में हजारों पर हाथ साफ किया, इसका वर्णन वहां के आम जनता पर है और इनके एक रिश्तेदार इन्हीं रुपये के सौदेबाजी के आधार पर वहां १५ हॉर्स पॉवर के इन्जिन की प्राप्ति हेतु रह रहे हैं और शीघ्र ही वह टर्म पूरी होने वाली है। रठान्जना आठिनेरा दलोट नौगावा आदि स्थानों पर तीन मास पूर्व अफीम व गेहूं की स्मगलिंग में हजारों रुपये आप खा चुके हैं, ऐसी आम चर्चा है!

एक और बात प्रतापगढ़ तहसील में झासड़ी गांव के श्री लालसिंहजी में राजस्थान सरकार के ११००)रु. बकाया हैं। एस. डी. ओ. प्रतापगढ़ ने इन रुपयों की वसूली का ऑर्डर दिया किन्तु एकाएक कुछ साठ गांठ होने से ७००) रु० तकावी दे दिये और १० दिन बाद ५००)रु. और दे दिये और यह रकम बिल्कुल खर्च नहीं की गई। ये सारी बातें आप प्रतापगढ़ तहसील रिकॉर्ड से प्राप्त कर सकते हैं।

इस प्रकार की रिपोर्ट हम कई बार जहां तहां दे चुके हैं, किन्तु इस छोटे क्षेत्र की मोटी बातें कौन सुने। आपकी निष्पक्षता एवं कार्य तत्परता के बारे में सुनकर कि कुछ करेंगे, ऐसी आशा से यह पत्र लिख रहा हूँ।

इस प्रकार की मोरेलटी को गिराने की बातें दूर करने के पक्ष में हम भी हैं, पर यह सम्भव हमें मौजूदा एस. डी. ओ. के रहते होना नहीं दिखाई दे रहा है। अतः आशा है कि इस ओर ध्यान देंगे।

आप इन बातों के बारे में और भी अधिक जानकारी चाहेंगे तो हमारी पार्टी सहयोग करेगी।

———

परिशिष्ट

ARTICLES PURCHASED BY GOVERNMENT HIGH SCHOOL BANDIKUI IN THE YEAR 1958-59

Sl. No.	Name articles.	Qunty.	Name of supplier	Date of receipt of articles.	Date of payment.	Way of payment.	Remarks.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Chair		Handi crafts, Jaipur.	3-3-59	2-5-59	Bank Draft	
2.	Students table		,, ,,	19-3-59	2-5-59	,,	
3.	Stools		,, ,,	,,	,,	,,	
4.	Teachers table		,, ,,	,,	,,	,,	
5.	News paper stand		,, ,,	,,	,,	,,	
6.	Bas stand		,, ,,	,,	,,	,,	
7.	Chemestry table		Surendra cottage industries Jaipur	20-3-59	19-5-59	,,	
8.	Pigeon hole		,, ,,	,,	,,	,,	
9.	Science articles		Capital scientific store, Delhi.	8-1-59	,,	M. O.	
10.	,, ,,		General sceintific store, Ajmer.	6-2-59	27-2-58	,,	

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २२५ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING THE INFORMATION REGARDING PURCHASES OF S. T. C. TRAINING SCHOOL PAOTA DURING 1958-59.

S. No.	Nature of articles	Name of Firm	Date of receipt of articles	Date of Payment as per Government Cash Book.	Mode of Payment	Was enquiry by whom made.	Result of enquiry.	Was payment before receipt of articles, if yes how	REMARKS.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Football Cover No. 5	M/S Sexna Bros., Jaipur	25-3-58	9—12-58	By messanger	No enquiry was made in this connection Shri Sita Ram Accounts Clerk of Dy. D. E. Jaipur who only check the bills and Cash Book.	During the checking no irregularity was pointed out by the checking clerk.	No payments were made before the receipt of articles.	
2.	Chalk boxes	M/S Kanhiya Lal & Sons, Jaipur	13-10-58	11-12-58	,,				
3.	Gram for Seed	M/S Prabhoo Dayal Radha Krishan Paota	21-10-58	24-12-58	Paid to himself				
4.	Gur and sault for bulocks	M/S Kanhiya Lal Bansidhar Paota	21-12-58	9—2—60	,,				
5.	Ghee for bulocks	M/S Deen Dayal Paota	21-12-58	9—2—60	,,				
6.	Gram for Seed	M/S Sita Kam Shiv Dutt Paota	21-12-58	9—2—60	,,				
7.	Ghal for bulocks	M/S Narain Sahai Bansidhar Paota	21-12-58	9—2—60	,,				
8.	Radio Batries	M/S Radio Centre, Jaipur	19-12-58	19-12-58	by messanger.				
9.	Liveries articles	M/S Udhog Mandir Paota	3-1-59	7—2—59	paid to himself				
10.	Games articles	M/S Jéluka Sports, Jaipur	10-12-58	9—3—59	by messanger.				
11.	Games articles	M/S Liuerty Sports, Jaipur	11-12-58	9—3—59	,,				
12.	Games articles	M/S Regal Sports, Jaipur	20-12-58	9—3—59	,,				
13.	Almarlas Small	M/S Surendra Cottage,Industries, Jaipur	22-1-59	10-2—59	,,				
14.	Finail Tins.	M/S Kanhiya Lal & Sons, Jaipur	20-1-59	10-2—59	,,				
15.	D. D. T & Hot Water boxes	M/S Regal Sports, Jaipur	22-12-58	10-2—59	,,				
16.	Science articles	M/S Educational Meusem, Agra	24-1-59	10-2—59	by money order				
17.	Science articles	M/S Scientific Equipment works	22-11-58	6—5—59	,,				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Dumbles	M/S Educational Equipment & appliances. Co., Jaipur.	19-2-59	19-3-59	by messanger.				
32.	Prizes.	M/S Baboo Lal Jugal Kishore, Paota	25-2-59	18-3-59	paid to himself.				
33.	Craft Material	M/S Basant & Co., Jaipur	20-1-59	19-3-59	by messanger.				
34.	Science articles	M/S General Scientific Co., Jaipur	9—2-59	18-3-59	„				
35.	Science articles	M/S General Science Industries, Ambala.	9—2-59	6—5-59	„				
36.	Science articles	M/S Hargolal & Sons, Ambala	11-2-59	6—5-59	by money order.				
37.	Maps & Charts.	M/S Kanhiyalal & Sons, Ambala	20-12-58	18-3-59	„				
38.	Books for Library	M/S Nand Kishore & Bros., Banaras	1—3-59	8—4-59	„				
39.	Books for Library	M/S Orientic Languages Prt. Ltd,, Delhi.	26-2-59	8—4-59	„				
40.	Books for Library	M/S Punjab Kitab Ghar, Jalendhar	6—3-59	8—4-59	„				
41.	Drawing articles.	M/S J. B. Nav-Lakhi & Co., Bombay	5—3-59	8—4-59	„				
42.	Science articles.	M/S Capital Scientific Store, Ajmer	18-3-59	21-10-59	„				
43.	Craft Material	M/S Kanhiya Lal Gandhi & Sons, Bharatpur.	20-3-59	8—4-59	„				
44.	Yarn.	M/S Surendra Cottage Industries, Jaipur.	22-3-59	3—4-59	by messanger.				

Sd/—
HEADMASTER
Basic S. T. C. Training School,
Paota (Jaipur, Rajasthan).

[१४१]

ARTICLES PURCHASED BY GOVT. HIGH SCHOOL CHAKSU UNDER GRANT PILOT SCHEME IN THE YEAR 1958-59

S.L. No.	Name of articles	Qunty.	Name supplier	Date of receipt of articles.	Date of payment	Way of Payment	Remarks.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Time pieces	2	Basant & Co, Jaipur	18-3-59	31-3-59	Cash	
2.	Almirah for office	2	Surendra cottage industries, Jaipur.	20-3-59	20-4-59	" "	
3.	Pegion Hole	2	" "	"	"	"	
4.	Trunks Iron	2	" "	18-3-59	25-4-59	"	
5.	Almirah Small	2	" "	"	"	"	
6.	Attendance Board	1	" "	"	"	"	
7.	Teachers Chairs	10	The Handicraft produces Co-operative society Ltd. Jaipur.	10-3-59	31-3-59	" " "	
8.	Table for office use.	2	" "	"	"	"	
9.	Office chairs	10	" "	"	"	"	
10.	Flate Tables.	30	" "	"	"	"	
11.	News paper Stand	2	" "	"	"	"	
12.	Godrej Store well	1	Rajasthan central stores Jaipur.	20-3-59	31-3-59	" "	
13.	Godrej Locks	24	" "	"	31-3-59	"	
14.	Sound Speaker with full material.	one set	Jaipur Gramophone house & Vinod traders, Jaipur.	19-3-59	"	"	
15.	Hockey sticks	24	Liberty sports Jaipur.	"	"	"	
16.	Hockey balls	12	" "	"	"	"	
17.	Tani kirt rings	6	" "	"	"	"	
18.	Ludo	6	" "	"	"	"	
19.	Snake ladder	6	" "	"	"	"	
20.	Shuttle cock	48	" "	"	"	"	
21.	Basket ball cover	1	" "	"	"	"	
22.	Volley-ball net	2	" "	"	"		
23.	[illegible]	12	Legal sports Jaipur	20-3-59	[illegible]		

STATEMENT OF ARTICLES PURCHASED BY HIGHER SECONDARY SCHOOL, PAOTA DURING THE YEAR 1958-59

S.INo. 1	Name of articles. 2	Qunty. 3	Name of supplier. 4	Date of rateceipt of articles. 5	Date of payment. 6	Way of payment. 7	Remarks. 8
1.	Games articles		Liberty sports Jaipur	22-12-58	21-2-59	By Messanger.	
			Liberty sports Jaipur	21-2-59	31-3-59	"	
			Legal sports Jaipur	22-12-58	21-2-59	"	
			Lulaka sports Jaipur	20-12-58	14-2-59	"	
			Educational equipment & App. Co. Jaipur	29-12-58	21-2-59	"	
			Ramkumar Brothers Itawa	20-1-59	18-4-59	M.O.	
2.	General Science articles		H.C. Memorial Scientific, Ambala	22-12-58	30-4-59	M.O.	
			God Scientific, Ambala.	15-1-59	18-4-59	M.O.	
			Ramkumar Brothers Itawa	20-1-59	18-4-59	M.O.	
			Scientific App. & Chemical works, Jodhpur	28-1-59	31 3-59	M.O.	
			General Scientific Jaipur	29-1-59	27-3-59	By Messanger	
			Capital Scientific Ajmer	8-2-59	18-4-59	M.O'	
			Hargolal & sons Ambala	15-2-59	18-4-59	M.O.	
			Scientific equipment Delhi	19-2-59	18-4-59	M.O.	
			Scientific supply Delhi	23-3-59	81-4-59	M.O.	
			General Scientific inds. Ambala	5-3-59	18-4-59	M.O.	
			Scientific Appt. Jaipur	15-3-59	31-3-59	M.O.	
3.	Liveries		Khadi Bhandar Aligar.	22-12-58	9-1-59	M.O.	
4.	Furniture		Suredra cottage Jaipur	16-3-59	21-3-59	By messanger.	
			" " "	21-1-59	31-1-59	"	
			Jaipur Handicraft	16-3-59	22-4-59 18-7-59	"	
			" " "	16-3-59	18-7-59	"	
			Vishawkarma furniture Jaipur	16-3-59	31-3-59	"	
5.	Craft material		M.N. Bhalla & Co. Jaipur	16-3-59	31-3-59	"	
			Krishan Murari Krishan Behari, Paota	11-3-59	18-4-59	"	
6.	Geography		Malikpur branch press Saraupur	8-3-599	18-4-59	M.O.	
			Cloftm & Co Delhi	20-3-59	19-9-59	M.O.	
			" " "	26-3-59	19-9-59	M.O.	
			Rajasthan Pustak Mandir, Jaipur	18-3-59	30-3-59	By messanger	
7.	Library		Mayr Pustak Jhansi.	2-3-59	18-4-59	M.O.	
			Sarswati press Jaipur	2-3-59	31-3-59	By messanger.	
			Vani Mandir Jaipur	2-3-59	30-3-50	"	
			Oxford University	2-3-59	18-4-59	M.O.	
			Sahitya Sadan Jhansi	2-3-59	20-4-59	M.O.	
			Nawjeevan press pustak Allahabad	2-3-59	20-4-59	M.O.	
			Rajasthan Mandir Jaipur	2-3-59	30-3-59	By messanger.	
			" " "	12-3-50	"	"	
			" " "	12-3-59	"		

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Books		Rajasthan Pustak Mandir Jaipur	9-12-53	14-1-59	,,	
12.	Books	,,	Sarsawati Press Book Depot Jaipur	9-12-58	22-1-59	,,	
13.	Games articles		Regal sports Jaipur	5-1-59	21-1-59	,,	
14.	,,	,,	Liberty sports, Jaipur.	5-1-59	22-1-59	,,	

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक ३० अगस्त, १९६०)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१२३९	अन्तिम से ३	(च)	(घ)
१२६६	,, ,, ४	guestion for	Question for
१२८१	२	सर्कुलेट कर	सर्कुलेट
१२८५	१४	and ordfnary	and ordinary
१२९०	६	वही जवाबे	वही जवाब
१२९३	२६	वैल मैनेल्ड	वैल मैनेज्ड
१२९६	२१	भर के कि कितने	भर के कितने
१३००	२४	यह नहीं जरूरत समझती	यह जरूरत नहीं समझती
१३०५	अन्तिम से ५	घंटी नही	घंटी नहीं
१३०७	अन्तिम से ७	नही कर सकें।	नहीं कर सके ।
१३०९	६	शेयार लेता	शेयर लेता
१३८१	अन्तिम से ३	टकड़ों के	टुकड़ों के
१३८५	२	ऐसी और रवैया....जाता है।	और ऐसा रवैया....जाता है ?
१४००	५	वहां तर घूम	वहां पर घूम
१४०२	शीर्षक	भूमि आयोग	भूमि आयोग के
,,	१५	फिकेसेसिटी ऑफ	फिक्सेशन ऑफ
१४१२	१७	ज्यादा इनजस्टिन्स	ज्यादा इनजस्टिस
१४३०-३१	शीर्षक	राज्य भूमिआयोग के प्रतिवेदन पर विचार	कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर सहमति